निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 377) पटना, सोमवार, 8 मई 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 मई 2017

सं० एल०जी०–01–12/2017/93 लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 3 मई 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम—12, 2017]

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

बिहार सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के अंत:राज्यीय प्रदाय पर

कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार के राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार ।— (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर अधिनियम २०१७ कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. परिभाषाएं । इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ होगा, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में उसका है ;

(2) "परिदान का पता" से माल या सेवाओं या दोनों के पाने वाले का ऐसा पता अभिप्रेत है, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के परिदान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कर बीजक पर उपदर्शित है ;

(3) "अभिलेख पर पता" से पाने वाले का वह पता अभिप्रेत है, जो प्रदायकर्ता के अभिलेखों में उपलब्ध है ;

(4) "न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन कोई आदेश या विनिश्चय देने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत आयुक्त, पुनरीक्षण प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी, अग्रिम विनिर्णय

अपील प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण नहीं है ;

(5) "अभिकर्ता" से फैक्टर, दलाल, कमीशन अभिकर्ता, आढ़तिया, प्रत्यायक अभिकर्ता (डेल क्रेडर एजेंट), नीलामकर्ता या कोई अन्य वाणिज्यिक अभिकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(6) "संकलित आवर्त" से अखिल भारतीय आधार पर संगणित सामान स्थायी खाता संख्यांक वाले व्यक्तियों के सभी कराधेय प्रदायों (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करके, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है), छूट प्राप्त प्रदायों, माल या सेवाओं या दोनों के निर्यातों और अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित है ;

(7) "कृषक" से ऐसा कोई व्यक्ति या कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब अभिप्रेत है, जो,--

(क) स्वयं के श्रम द्वारा ; या

(ख) कुटुंब के श्रम द्वारा ; या

(ग) नकद या वस्तु के रूप में संदेय मजदूरी पर सेवकों द्वारा या व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन या कुटुंब के किसी सदस्य के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के मजदूरों द्वारा,

भूमि पर खेती करता है ;

(8) "अपील प्राधिकारी" से अपीलों की सुनवाई के लिए नियुक्त या प्राधिकृत धारा 107 में यथानिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(9) "अपील अधिकरण" से धारा 109 के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(10) "नियत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे ;

(11) "निर्धारण" से इस अधिनियम के अधीन कर के दायित्व का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत स्वत:निर्धारण, पुन: निर्धारण, अनंतिम निर्धारण, संक्षिप्त निर्धारण और सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण भी है ;

(12) "सहयुक्त उद्यमों" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में उसका है ;

(13) "संपरीक्षा" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अनुरक्षित या दिए गए अभिलेखों, विवरणियों और अन्य दस्तावेजों की, घोषित आवर्त, संदत्त करों, दावाकृत प्रतिदाय और उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप उसके अनुपालन को सत्यापित करने के लिए परीक्षा अभिप्रेत है ;

(14) "प्राधिकृत बैंक" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर या किसी अन्य रकम का संग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई बैंक या किसी बैंक की कोई शाखा अभिप्रेत है ;

(15) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से धारा 116 के अधीन यथा निर्दिष्ट प्रतिनिधि अभिप्रेत है ;

(16) "बोर्ड" से केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(17) "कारबार" में निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(क) कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण, वृत्ति, व्यवसाय, प्रोद्यम, पद्यम् या उसी प्रकार का कोई अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी धनीय फायदे के लिए हो या न हो ;

(ख) उपखंड (क) के संबंध में या उसके आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार ;

(ग) उपखंड (क) की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या संव्यवहार, चाहे ऐसे संव्यवहार का कोई परिमाण, आवृत्ति, निरंतरता या नियमितता हो या न हो ;

(घ) कारबार के प्रारंभ या उसकी बंदी के संबंध में पूंजी माल सहित माल और सेवाओं का प्रदाय या अर्जन ;

(ङ) किसी क्लब, संगम, सोसाइटी या वैसी ही किसी निकाय द्वारा किसी अभिदान या किसी अन्य प्रतिफल के लिए उसके सदस्यों के लिए सुविधाओं या फायदों वाले कोई व्यवस्था ;

(च) किसी परिसर में किसी प्रतिफलार्थ व्यक्तियों का प्रवेश ;

(छ) किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदधारक के रूप में, जो उसने अपने व्यापार, वृत्ति या व्यवसाय के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए स्वीकार किया है, प्रदाय की गई सेवाएं ;

(ज) किसी घुड़दौड़ क्लब द्वारा, योगमान के रूप में उपलब्ध कराई गई

सेवाएं या ऐसे क्लब में के बुक-मेकर की अनुज्ञप्ति ; और

(झ) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार द्‌वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या संव्यवहार, जिसमें वे लोक प्राधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं ;

(18) "कारबार शीर्षका" से किसी ऐसे उद्‌यम का विशिष्ट संघटक अभिप्रेत है, जो ऐसे पृथक्-पृथक् माल या सेवाओं के या ऐसे संबंधित माल या सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है, जो ऐसे जोखिम और प्रत्यागमके अध्यधीन है, जो उसके अन्य कारबार शीर्षकाओं से भिन्न है ;

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कारक, जिन पर यह अवधारण करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या माल या सेवाएं संबंधित हैं, उसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(क) माल या सेवाओं की प्रकृति ;

(ख) उत्पादन प्रक्रियाओं की प्रकृति ;

(ग) माल या सेवाओं के ग्राहकों के प्रकार या वर्ग ;

(घ) माल के वितरण या सेवाओं के प्रदाय में प्रयुक्त पद्धतियां ; और

(ङ) विनियामक पर्यावरण की प्रकृति (जहां भी लागू हो), इसके अंतर्गत बैंककारी, बीमा या लोक उपयोगिताएं हैं ;

(19) "पूंजी माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिनका मूल्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा करने वाले व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत है और जिनका कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है ;

(20) "नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कराधेय क्षेत्र में जहां उसके कारबार का निश्चित स्थान नहीं है, प्रधान, अभिकर्ता या किसी अन्य हैसियत में कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में यदा कदा ऐसे संव्यवहार करता है, जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है ;

(21) "केंद्रीय कर" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 के अधीन उद्‌ग्रहीत केंद्रीय माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(22) "उपकर" का वही अर्थ हो, जो माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में उसका है ;

(23) "चार्टर्ड एकाउंटेंट" से चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड एकाउंटेंट अभिप्रेत है ;

(24) "आयुक्त" से धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर आयुक्त अभिप्रेत है और इसमें धारा 3 के अधीन नियुक्त राज्य कर का प्रधान आयुक्त और मुख्य आयुक्त भी सम्मिलित हैं ;

(25) "बोर्ड में आयुक्त" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 में निर्दिष्ट आयुक्त अभिप्रेत है ;

(26) "सामान्य पोर्टल" से धारा 146 में निर्दिष्ट सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रानिक पोर्टल अभिप्रेत है ;

(27) "सामान्य कार्य दिवस" से लगातार ऐसे दिन अभिप्रेत हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार या बिहार सरकार द्वारा राजपत्रित छुट्टी घोषित नहीं किया गया है ;

(28) "कंपनी सचिव" से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है ;

(29) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(30) "संयुक्त प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को किया गया कोई ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं या दोनों के दो या अधिक कराधेय प्रदायों से मिलकर बना है या उनका कोई समुच्चय है, जिन्हें कारबार के साधारण अनुक्रम में एक दूसरे के साथ संयोजन में प्रकृतित: बांधा गया है और प्रदाय किया गया है, जिनमें एक मूल प्रदाय है ;

दृष्टांत : जहां माल का बीमा के साथ पैक और परिवहन किया जाता है, वहां माल का, पैकिंग सामग्री का, परिवहन का और बीमा का प्रदाय संयुक्त प्रदाय होगा और माल का प्रदाय मुख्य प्रदाय होगा ।

(31) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में "प्रतिफल" के अंतर्गत निम्नलिखित भी है,--

(क) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए, चाहे धन के रूप में या अन्यथा किया गया या किया जाने वाला कोई संदाय, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी ;

(ख) प्राप्तिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, उनके प्रत्युत्तर में या उनके प्रलोभन के लिए,

किसी कार्य या संयमित रहने का धनीय मूल्य, किंतु इसमें केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई कोई सहायिकी सम्मिलित नहीं होगी :

परंतु माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में दिए गए निक्षेप को ऐसे प्रदाय के लिए किए गए संदाय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जब तक कि प्रदायकर्ता ऐसे निक्षेप का, उक्त प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में उपयोजन न करे ;

(32) "माल का निरंतर प्रदाय" से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन तार, केबल पाइपलाइन या अन्य नलिका के माध्यम से या अन्यथा, निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और जिसके लिए नियमित या आवधिक आधार पर प्रदायकर्ता, प्राप्तिकर्ता के लिए बीजक बनाता है और इसके अंतर्गत ऐसे माल, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, का प्रदाय भी है ;

(33) "सेवाओं का निरंतर प्रदाय" से सेवाओं का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संविदा के अधीन आवधिक संदाय की बाध्यताओं के साथ तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरंतर रूप से या आवर्ती आधार पर उपलब्ध कराई जाए या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई जाए और इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं का, जो सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रदाय भी है ;

(34) "प्रवहरण" के अंतर्गत कोई जलयान, वायुयान और यान भी है ;

(35) "लागत लेखाकार" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखाकार अभिप्रेत है ;

(36) "परिषद्" से संविधान के अनुच्छेद 279क के अधीन स्थापित माल और सेवा कर परिषद् अभिप्रेत है ;

(37) "जमापत्र" से धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(38) "नामे नोट" से धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी कोई दस्तावेज अभिप्रेत है ;

(39) "समझा गया निर्यात" से माल का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जिसे धारा 147 के अधीन अधिसूचित किया जाए ;

(40) "अभिहित प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(41) "दस्तावेज" के अंतर्गत किसी प्रकार का लिखित या मुद्रित अभिलेख तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (न) में यथापरिभाषित इलैक्ट्रानिक अभिलेख भी है ;

(42) भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में "चुंगी वापसी" से ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी आयातित निवेश पर या किसी घरेलू निवेशों या इनपुट सेवाओं पर प्रभार्य शुल्क, कर या उपकर का रिबेट अभिप्रेत है;

(43) "इलेक्ट्रोनिक नकद खाते" से धारा 49 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक नकद खाता अभिप्रेत है ;

(44) "इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य" से डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पाद सहित माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है,

(45) "इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलेक्ट्रोनिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रोनिक सुविधा या प्लेटफार्म पर स्वामित्व रखता हो, उसका प्रचालन या प्रबंध करता हो ;

(46) "इलेक्ट्रोनिक जमा खाते" से धारा 49 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट इलेक्ट्रोनिक जमा खाता अभिप्रेत है ;

(47) "छूट प्राप्त प्रदाय" से ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिसकी, धारा 11 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अधीन, कर की दर शून्य हो या कर से पूरी छूट दी गई है ;

(48) "विद्यमान विधि" से माल या सेवाओं या दोनों पर शुल्क या कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित कोई ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी विधि, अधिसूचना, आदेश, नियम या विनियम बनाने की शक्ति रखने वाली विधायिका या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा पारित किया गया है या बनाया गया है ;

(49) "कुटुंब" से अभिप्रेत है,--

(ii) व्यक्ति का पति या पत्नी और बच्चे ; और

(iii) व्यक्ति के माता-पिता, पितामह-पितामही, मातामह-मातामही, भाई और बहन, यदि वे पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से उक्त व्यक्ति पर आश्रित है ;

(50) "नियत स्थापन" से (कारबार के रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न) कोई ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिसकी अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं का प्रदाय

करने या सेवाएं प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए जो पर्याप्त डिग्री के स्थायित्व और मानव और तकनीकी संसाधनों के उपयुक्त संरचना की विशिष्टता से वर्णित है ;

(51) "निधि" से धारा 57 के अधीन स्थापित उपभोक्ता कल्याण निधि अभिप्रेत है ;

(52) "माल" से मुद्रा और प्रतिभूतियों से भिन्न प्रत्येक प्रकार की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें अनुयोज्य दावे, उगती फसलें, घास और भूमि से जुड़ी हुई या उसके भागरूप ऐसी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिसका प्रदाय के पूर्व या प्रदाय की संविदा के अधीन पृथक् किए जाने का करार किया गया है ;

(53) "सरकार" से बिहार सरकार अभिप्रेत है ;

(54) "माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम" से माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(55) "माल और सेवा कर व्यवसायी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका धारा 48 के अधीन ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदन किया गया है ;

(56) "भारत" से संविधान के अनुच्छेद 1 में यथानिर्दिष्ट भारत का राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 में यथानिर्दिष्ट उसका राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, ऐसे राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड का समुद्रतल तथा उसकी अधोभूमि, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र और उसके राज्यक्षेत्र और राज्यक्षेत्रीय सागर-खंडों के ऊपर का आकाशी क्षेत्र अभिप्रेत है ; 1976 का 80

(57) "एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(58) "एकीकृत कर" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत एकीकृत माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(59) "निवेश" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने के लिए आशयित पूंजी माल से भिन्न कोई माल अभिप्रेत है ;

(60) "इनपुट सेवा" से कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रदायकर्ता द्वारा उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशयित कोई सेवा अभिप्रेत है ;

(61) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है ;

(62) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "इनपुट कर" से माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय पर प्रभारित केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,--

(क) माल के आयात पर प्रभारित एकीकृत माल और सेवा कर;

(ख) धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(ग) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

(घ) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन संदेय कर;

किंतु इसमें उद्ग्रहण के प्रशमन के अधीन संदत्त कर सम्मिलित नहीं है ;

(63) "इनपुट कर प्रत्यय" से इनपुट कर का प्रत्यय अभिप्रेत है ;

(64) "माल का राज्यान्तर्गत **प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है ;**

(65) "सेवाओं का राज्यान्तर्गत **अंतरराज्यिक प्रदाय" का वही अर्थ होगा, जो एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 8 में उसका है ;**

(66) "बीजक" या "कर बीजक" से धारा 31 में निर्दिष्ट कर बीजक अभिप्रेत है;

(67) किसी व्यक्ति के संबंध में "आवक प्रदाय" से क्रय, अर्जन या किसी अन्य साधन द्वारा प्रतिफल के साथ या उसके बिना माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति अभिप्रेत है ;

(68) "छुटपुट कार्य" से किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया अभिप्रेत है और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(69) "स्थानीय प्राधिकारी" से निम्न अभिप्रेत हैं,--

(क) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथा परिभाषित कोई पंचायत ;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथा परिभाषित कोई नगरपालिका ;

(ग) कोई नगरपालिका समिति और कोई जिला परिषद्, जिला बोर्ड और कोई अन्य प्राधिकारी, जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध करने का कानूनी रूप से हकदार है या जिसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है ;

(घ) छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 3 में यथा परिभाषित छावनी बोर्ड ;

(ङ) संविधान की छठी अनुसूची के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् या कोई जिला परिषद् ;

(च) संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन गठित कोई विकास बोर्ड ; या

(छ) संविधान के अनुच्छेद 371क के अधीन गठित कोई प्रादेशिक परिषद् ;

(70) "सेवाओं के प्राप्तिकर्ता का अवस्थान" से,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान पर प्राप्त किया जाता है जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र नियत स्थापन), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों पर प्राप्त किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन, वहां प्रदाय की प्राप्ति से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तिकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(71) "सेवाओं के प्रदायकर्ता का अवस्थान" से,--

(क) जहां प्रदाय कारबार के ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है, वहां कारबार के ऐसे स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ख) जहां प्रदाय कारबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से किया जाता है, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया गया है (अन्यत्र नियत स्थापन), वहां ऐसे नियत स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(ग) जहां प्रदाय एक से अधिक स्थापनों से किया जाता है, चाहे वह कारबार का स्थान हो या नियत स्थापन है, वहां प्रदाय की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थापन का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(घ) ऐसे स्थानों के अभाव में प्रदायकर्ता के प्रायिक निवास स्थान का अवस्थान अभिप्रेत है ;

(72) "विनिर्माण" से कच्ची सामग्री या निवेश का ऐसी रीति से प्रसंस्करण अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का अविर्भाव होता है और "विनिर्माता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(73) "बाजार मूल्य" से ऐसी पूरी रकम अभिप्रेत होगी, जिसकी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से, वैसे ही प्रकार और क्वालिटी के माल या सेवाओं या दोनों को, उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तिकर्ता और प्रदायकर्ता संबंधित नहीं हैं, वहां उसी वाणिज्यिक स्तर पर अभिप्राप्त करने के लिए, संदाय किए जाने की अपेक्षा होती है ;

(74) "मिश्रित प्रदाय" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समुच्चय का, जो परस्पर सहयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक्-पृथक् प्रदाय अभिप्रेत हैं, जहां ऐसा प्रदाय कोई संयुक्त प्रदाय नहीं है ।

दृष्टांत : डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई, चाकलेट, केक, मेवा, वातित पेय और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज का प्रदाय, जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है, तो वह प्रदाय मिश्रित प्रदाय होगा । इन मदों में से प्रत्येक मद का अलग-अलग भी प्रदाय किया जा सकता है और वह किसी अन्य पर निर्भर नहीं होगा । यदि इन मदों का अलग-अलग प्रदाय किया जाता है तो वह मिश्रित प्रदाय नहीं होगा ;

(75) "धन" से भारतीय विधिमान्य मुद्रा या कोई विदेशी करेंसी, चैक, वचनपत्र, विनिमय पत्र, साख पत्र, ड्राफ्ट, संदाय आदेश, यात्री चैक, मनी आर्डर, डाक या इलैक्ट्रानिक विप्रेषणादेश या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य लेख

पत्र अभिप्रेत है, जब उसका उपयोग किसी बाध्यता के परिनिर्धारण के लिए या किसी अन्य अंकित मूल्य की भारतीय विधिमान्य मुद्रा से विनिमय के प्रतिफल के रूप में किया जाता है, किंतु इसमें कोई ऐसी करेंसी सम्मिलित नहीं होगी, जिसका अपना मुद्रा विधा मूल्य है ;

(76) "मोटर यान" का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (28) में उसका है ;

(77) "अनिवासी कराधेय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो यदा कदा, प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत में ऐसे संव्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अंतर्वलित है, किंतु जिसका भारत में कारबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है ;

(78) "गैर-कराधेय प्रदाय" से माल या सेवाओं या दोनों का ऐसा प्रदाय अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर से उदग्राहय नहीं है ;

(79) "गैर-कराधेय क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो कराधेय क्षेत्र से बाहर है;

(80) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" और "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(81) "अन्य राज्यक्षेत्र" में ऐसे राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र सम्मिलित हैं, जो किसी राज्य में समाविष्ट हैं और जो खंड (114) के उपखंड (क) से उपखंड (ङ) में निर्दिष्ट हैं ;

(82) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "आउटपुट कर" से उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कर अभिप्रेत है, किंतु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा संदेय कर को अपवर्जित किया गया है ;

(83) किसी कराधेय व्यक्ति के संबंध में "जावक प्रदाय" से किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया माल या सेवाओं या दोनों का, विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या निपटान या किसी भी अन्य रीति से किया गया प्रदाय अभिप्रेत है ;

(84) "व्यक्ति" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) कोई व्यष्टि ;

(ख) कोई हिंदू अविभक्त कुटुंब ;

(ग) कोई कंपनी ;

(घ) कोई फर्म ;

(ङ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ;

(च) कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे भारत में या भारत के बाहर निगमित हो या न हो ;

(छ) किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्‌वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी ; 2013 का 18

(ज) भारत के बाहर किसी देश की विधि द्‌वारा या उसके अधीन निगमित कोई निगमित निकाय ;

(झ) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी ;

(ञ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

(ट) केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार ;

(ठ) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन यथा परिभाषित सोसाइटी ; 1860 का 21

(ड) न्यास ; और

(ढ) प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपरोक्त किसी में नहीं आता है ;

(85) "कारबार के स्थान" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) वह स्थान, जहां से सामान्य तौर से कारबार किया जाता है और इसके अंतर्गत कोई भांडागार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है, जहां कराधेय व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है या प्राप्त करता है ; या

(ख) वह स्थान, जहां कराधेय व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को अनुरक्षित रखता है ; या

(ग) वह स्थान, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, किसी अभिकर्ता के माध्यम से, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, कारबार में लगा हुआ है ;

(86) "प्रदाय का स्थान" से एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अध्याय 5 में यथानिर्दिष्ट प्रदाय का स्थान अभिप्रेत है ;

(87) "विहित" से परिषद् की सिफारिशों पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(88) "प्रधान" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी ओर से कोई अभिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय या प्राप्ति का कारबार करता है ;

(89) "कारबार का मुख्य स्थान" से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में कारबार के मुख्य स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट कारबार का स्थान अभिप्रेत है ;

(90) "मुख्य प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अभिप्रेत है, जो किसी संयुक्त प्रदाय का प्रबल तत्व है और जिसके लिए उस संयुक्त प्रदाय के भागरूप कोई अन्य प्रदाय आनुषंगिक है ;

(91) इस अधिनियम के अधीन पालन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "उचित अधिकारी" से राज्य कर का आयुक्त या ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे आयुक्त द्वारा वह कृत्य सौंपा गया है ;

(92) "तिमाही" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसमें किसी कलैंडर वर्ष के मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले तीन क्रमवर्ती कलैंडर मास समाविष्ट हों ;

(93) माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के "प्राप्तिकर्ता" से,--

(क) जहां माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उस प्रतिफल के संदाय का दायी है ;

(ख) जहां माल के प्रदाय के लिए कोई प्रतिफल संदेय नहीं है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसको माल प्रदत्त किया गया है या उपलब्ध कराया गया है या जिसे माल का कब्जा या उपयोग के लिए दिया गया है या उपलब्ध कराया गया है ;

(ग) जहां किसी सेवा के प्रदाय के लिए प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है, वहां ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे सेवाएं दी जाती है,

और किसी ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिर्देश का, जिसे प्रदाय किया गया है, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा और इसके अंतर्गत प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता भी होगा ;

(94) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, किंतु इसमें विशिष्ट पहचान संख्यांक वाला कोई व्यक्ति सम्मिलित नहीं है ;

(95) "विनियम" से सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिश पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(96) माल के संबंध में "हटाए जाने" से,--

(क) उसके प्रदायकर्ता द्वारा या ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिदान के लिए माल का प्रेषण अभिप्रेत है ; या

(ख) उसके प्राप्तिकर्ता द्वारा या ऐसे प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माल का संग्रहण अभिप्रेत है ;

(97) "विवरणी" से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन दिए जाने के लिए विहित या उससे अन्यथा अपेक्षित कोई विवरणी अभिप्रेत है ;

(98) "विपरीत प्रभार" से धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा कर संदाय का दायित्व अभिप्रेत है ;

(99) "पुनरीक्षण प्राधिकारी" से धारा 108 में यथानिर्दिष्ट विनिश्चय या आदेशों के पुनरीक्षण के लिए नियुक्त या प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(100) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(101) "प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;

(102) "सेवाओं" से माल, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न कुछ भी अभिप्रेत है, किंतु इसमें धन का उपयोग या नकद या किसी अन्य रीति से एक करेंसी या अंकित मूल्य का किसी अन्य रूप, करेंसी या अंकित मूल्य में उसका ऐसा संपरिवर्तन, जिसके लिए पृथक् प्रतिफल प्रभारित हो, से संबंधित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं ;

(103) "राज्य" से बिहार राज्य अभिप्रेत है ;

(104) "राज्य कर" से इस अधिनियम के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है ;

(105) माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में "प्रदायकर्ता" से उक्त माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत होगा और इसमें प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में ऐसे प्रदायकर्ता की ओर से उस रूप में कार्य करने वाला कोई अभिकर्ता सम्मिलित होगा ;

(106) "कर अवधि" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है, जिसके लिए विवरणी देने की अपेक्षा है ;

(107) "कराधेय व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी है ;

(108) "कराधेय प्रदाय" से ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर से उदग्राहय है ;

(109) "कराधेय राज्यक्षेत्र" से ऐसा राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं ;

(110) "दूर-संचार सेवा" से किसी प्रकार की ऐसी सेवा अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक मेल, वायस मेल, डाटा सर्विस, आडियो टेक्स्ट सर्विस, वीडियो टैक्सी सर्विस, रेडियो पेजिंग और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाएं भी है) जो उपयोक्ता को किसी संकेत, सिग्नल, लेख, आकृति और ध्वनि के पारेषण या ग्रहण करने या किसी प्रकार की आसूचना के माध्यम से तार, रेडियो, दृश्य या अन्य इलैक्ट्रो मैग्नेटिक साधनों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ;

(111) "केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम" से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(112) "राज्य में आवर्त" या "संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त" से किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर किए गए (ऐसे आवक प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए, जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है) सभी कराधेय प्रदायों और छूट प्राप्त प्रदायों, उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात और अंतरराज्यिक प्रदाय का संकलित मूल्य अभिप्रेत है, किंतु इसमें केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर अपवर्जित हैं ;

(113) "प्रायिक निवास स्थान" से,--

(क) किसी व्यक्ति की दशा में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां वह सामान्य तौर पर निवास करता है ;

(ख) अन्य दशाओं में ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां व्यष्टि निगमित है या अन्यथा विधिक रूप से गठित है ;

(114) "संघ राज्यक्षेत्र" से,--

(क) अंदमान और निकोबार द्वीप ;

(ख) लक्षद्वीप ;

(ग) दादरा और नागर हवेली ;

(घ) दमन और दीव ;

(ङ) चंडीगढ़ ; और

(च) अन्य राज्यक्षेत्र,

का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में से प्रत्येक को एक पृथक् संघ राज्यक्षेत्र समझा जाएगा ;

(115) "संघ राज्यक्षेत्र कर" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन उदगृहीत संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अभिप्रेत है ;

(116) "संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम" से संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अभिप्रेत है ;

(117) "विधिमान्य विवरणी" से धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई ऐसी विवरणी अभिप्रेत है, जिस पर स्वत: निर्धारण कर का पूर्ण रूप से संदाय किया गया है ;

(118) "वाऊचर" से कोई ऐसी लिखत अभिप्रेत है, जहां उसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए प्रतिफल के रूप में या भागिक प्रतिफल के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता है और जहां प्रदाय किए जाने वाला माल या सेवाओं या दोनों या उनके संभावी प्रदायकर्ताओं की पहचान या तो लिखत पर ही उपदर्शित है या संबद्ध **दस्तावेजीकरण में उपदर्शित है, जिसमें ऐसी लिखत के उपयोग के निबंधन और शर्तें भी हैं ;**

(119) "कार्य संविदा" से किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) कोई संविदा अभिप्रेत है ;

(120) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

प्रशासन

3. इस अधिनियम के अधीन अधिकारी । **सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों के वर्ग नियुक्त करेगी, अर्थात्:-**

(क) राज्य कर प्रधान आयुक्त या राज्य का मुख्य आयुक्त ;

(ख) राज्य कर विशेष आयुक्त ;

(ग) राज्य कर अपर आयुक्त ;

(घ) राज्य कर संयुक्त आयुक्त ;

(ङ) राज्य कर उपायुक्त ;

(च) राज्य कर सहायक आयुक्त ; और

(छ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझे :

परंतु बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा ।

4. अधिकारियों की नियुक्ति । **(1) राज्य सरकार, धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित अधिकारियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अधिकारी के रूप में ठीक समझे ।**

(2) आयुक्त का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य होगा, विशेष आयुक्त तथा अपर आयुक्त का क्षेत्राधिकार उन्हें सौंपे गये सभी या किसी कृत्य के बावत संपूर्ण राज्य या, राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित, राज्य का कोई स्थानीय क्षेत्र होगा तथा, निर्दिष्ट किये गये शर्तों के अध्यधीन, अन्य सभी अधिकारियों का क्षेत्राधिकार संपूर्ण राज्य या राज्य का ऐसा स्थानीय क्षेत्र होगा जैसा कि आयुक्त आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे।

5. **अधिकारियों की शक्तियां ।** **(1) राज्य कर अधिकारी, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयुक्त अधिरोपित करे, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।**

(2) राज्य कर अधिकारी, किसी अन्य ऐसे राज्य कर अधिकारी को, जो उसके अधीनस्थ है, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसके द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी शक्तियों का, उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील प्राधिकारी, किसी अन्य राज्य कर अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा ।

6. कतिपय परिस्थितियों में केंद्रीय कर अधिकारियों का समुचित प्राधिकारी के रूप में प्राधिकरण । (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विनिर्दिष्ट करेगी, उचित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत होंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां कोई उचित अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश देता है, वहां वह केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन, भी उस अधिनियम द्वारा यथा प्राधिकृत आदेश, केंद्रीय कर के अधिकारिता अधिकारी की प्रज्ञापना के अधीन, आदेश देगा,;

(ख) जहां केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई उचित अधिकारी किसी विषय-वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ करता है, वहां इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी उसी विषय वस्तु पर कोई कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश की परिशुद्धि, अपील और पुनरीक्षण, जहां-जहां लागू हों, के लिए कोई कार्यवाही केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के समक्ष नहीं होगी ।

अध्याय 3

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

7. प्रदाय की परिधि ।— (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,--

(क) किसी व्यक्ति द्वारा कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में किसी प्रतिफल के लिए किया गया या किए जाने के लिए करार पाया गया विक्रय, अंतरण, वस्तु-विनिमय, विनिमय, अनुज्ञप्ति, भाटक, पट्टा या निपटान जैसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सभी प्ररूप ;

(ख) किसी प्रतिफल के लिए सेवाओं का आयात, चाहे वह कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं ;

(ग) किसी प्रतिफल के बिना किए गए या किए जाने के लिए करार पाए गए अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ; और

(घ) माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माने गए अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलाप ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, या

(ख) केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लोक प्राधिकारियों के रूप में किए गए ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों को, , जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

न तो माल के प्रदाय के रूप में और न ही सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाएगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे संव्यवहारों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें,--

(क) माल के प्रदाय के रूप में, न कि सेवाओं के प्रदाय के रूप में ; या

(ख) सेवाओं के प्रदाय के रूप में, न कि माल के प्रदाय के रूप में,

माना जाएगा ।

8. संयुक्त और मिश्रित प्रदायों पर कर का दायित्व ।— किसी संयुक्त या मिश्रित प्रदाय पर कर के दायित्व का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए किसी संयुक्त प्रदाय को, जिसमें से एक मुख्य प्रदाय है, ऐसे मुख्य प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा ; और

(ख) दो या अधिक प्रदायों को समाविष्ट करके किए गए मिश्रित प्रदाय को उस

विशिष्ट प्रदाय की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, जिसके कर की दर उच्चतम है ।

9. उद्ग्रहण और संग्रहण । (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मानवीय उपभोग के लिए मादक शराब के प्रदाय को छोड़कर, माल या सेवाओं या दोनों के सभी राज्यान्तर्गत प्रदायों पर, धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर और बीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए, बिहार राज्य माल और सेवा कर नामक कर का, उद्ग्रहण और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संग्रहण किया जाएगा और जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

(2) अपरिष्कृत पैट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल कहा जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन के प्रदाय पर राज्य कर का उद्ग्रहण उस तारीख से किया जाएगा, जो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाए ।

(3) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिस पर कर का संदाय, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता द्वारा विपरीत प्रभार के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(4) किसी ऐसे प्रदायकर्ता द्वारा, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में राज्य कर, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्तिकर्ता के रूप में विपरीत प्रभार के आधार पर संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है ।

(5) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, सेवाओं के प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके राज्यान्तर्गत प्रदायों पर कर, इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा, यदि सेवाओं का प्रदाय उसके माध्यम से किया जाता है, और इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को इस प्रकार लागू होंगे, मानो वह ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कर के संदाय का दायी है :

परंतु यदि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है तो कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी प्रयोजन के लिए ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा :

परंतु यह और कि कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक की भौतिक रूप से उपस्थिति नहीं है और उक्त राज्यक्षेत्र में उसका कोई प्रतिनिधि भी नहीं है,

वहां ऐसा इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, कर संदाय के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा और ऐसा व्यक्ति कर संदाय करने का दायी होगा ।

10. प्रशमन उद्ग्रहण ।—

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किंतु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, उसके द्वारा संदेय कर के स्थान पर, ऐसी दर पर, जो विहित की जाए, किंतु जो,--

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में आवर्त के ढ़ाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ग) अन्य प्रदायकर्ताओं की दशा में, राज्य में आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगा :

परंतु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को एक करोड़ रूपए से अनधिक की ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,-

(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदायों से भिन्न सेवाओं के प्रदाय में लगा हुआ है ;

(ख) वह ऐसे किसी माल का प्रदाय करने में लगा हुआ है, जिस पर अधिनियम के अधीन कर उदग्राहय नहीं है ;

(ग) वह माल के किसी अंतरराज्यिक जावक प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी माल का प्रदाय करने में नहीं लगा है ;

(ङ) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिसे सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित किया जाए :

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया

विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका संकलित आवर्त उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा ।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा किए गए प्रदायों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा ।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे ।

11. कर से छूट देने की शक्ति ।—

(1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी ।

(2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित अपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी ।

(3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश की परिधि या प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंत:स्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानों वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था ।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन जारी किसी आदेश को यथास्थिति इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना या आदेश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे

माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

अध्याय 4

प्रदाय का समय और मूल्य

12. माल के प्रदाय का समय ।—

(1) माल पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उद्भूत होगा ।

(2) माल के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) बीजक जारी किए जाने की तारीख या धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा ऐसी अंतिम तारीख, जिसको उससे प्रदाय की बाबत बीजक जारी करने की अपेक्षा है ; या

(ख) वह तारीख, जिसको प्रदायकर्ता प्रदाय की बाबत संदाय प्राप्त करता है :

परंतु जहां कराधेय माल का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी किए जाने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण 1–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "प्रदाय" को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जहां तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ।

स्पष्टीकरण 2–खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, ऐसी तारीख, जिसको प्रदायकर्ता संदाय प्राप्त करता है, वह तारीख होगी, जिसको उसकी लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) माल प्राप्ति की तारीख ; या

(ख) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से तीस दिन के ठीक पश्चात्वर्ती

तारीख :

परंतु जहां खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,--

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

13. **सेवाओं के प्रदाय का समय ।**—

(1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित प्रदाय के समय उदभूत होगा ।

(2) सेवाओं के प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ग) वह तारीख, जिसको प्राप्तिकर्ता अपनी लेखा-पुस्तकों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है, उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं :

परंतु जहां कराधेय सेवा का प्रदायकर्ता, कर बीजक में उपदर्शित रकम से एक हजार रूपए अधिक तक की कोई राशि प्राप्त करता है, वहां प्रदाय का समय, ऐसी आधिक्य

रकम के विस्तार तक, उक्त प्रदायकर्ता के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम के संबंध में बीजक जारी करने की तारीख होगा ।

स्पष्टीकरण–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,--

(ii) प्रदाय को उस सीमा तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आता है ;

(iiii) "संदाय प्राप्त करने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

(3) ऐसे प्रदायों की दशा में, जिनके संबंध में, विपरीत प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर संदेय है, प्रदाय का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :--

(क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; या

(ख) प्रदायकर्ता द्वारा बीजक या उसके बजाए कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्वर्ती तारीख :

परंतु जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख होगी :

परंतु यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदाय की दशा में, जहां सेवा का प्रदायकर्ता भारत से बाहर स्थित है, वहां प्रदाय का समय, प्रदाय के प्राप्तिकर्ता की लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ।

(4) किसी प्रदायकर्ता द्वारा वाऊचरों के प्रदाय की दशा में प्रदाय का समय,--

(क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि प्रदाय उस बिंदु पर पहचान योग्य है ; या

(ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा ।

(5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रदाय के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां प्रदाय का समय,--

(क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह

तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है ; या

(ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है ।

(6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को प्रदाय के मूल्य में जोड़े जाने का है, प्रदाय का समय वह तारीख होगा, जिसको प्रदायकर्ता ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है ।

14. **माल या सेवाओं के प्रदाय के संबंध में कर की दर में परिवर्तन ।** धारा 12 या धारा 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में कर की दर में कोई परिवर्तन होता है, वहां प्रदाय के समय का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) यदि कर की दर में परिवर्तन से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किया गया है, उस दशा में,--

(ii) जहां उसके लिए बीजक जारी किया गया है और संदाय भी कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा ;

(iiii) जहां बीजक कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व जारी कर दिया गया है, किंतु संदाय कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, वहां प्रदाय का समय बीजक जारी करने की तारीख होगा ; या

(iiiiii) जहां संदाय कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व प्राप्त हो गया है, किंतु उसके लिए बीजक कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् जारी किया जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय की प्राप्ति की तारीख होगा ;

(ख) कर की दर में परिवर्तन के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय किए जाने की दशा में,--

(ii) जहां संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् प्राप्त होता है, किंतु बीजक कर की दर में परिवर्तन के पहले जारी कर दिया गया है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख होगा ;

(iiii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने से पूर्व बीजक जारी कर दिया गया है और संदाय भी प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय संदाय प्राप्ति की तारीख या बीजक जारी करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा; या

(iiiiii) जहां कर की दर में परिवर्तन होने के पश्चात् बीजक जारी किया

गया है, किंतु संदाय, कर की दर में परिवर्तन होने के पूर्व प्राप्त हो जाता है, वहां प्रदाय का समय, बीजक जारी करने की तारीख होगा :

परंतु संदाय प्राप्त होने की तारीख, बैंक खाते में जमा करने की तारीख होगी यदि बैंक खाते में ऐसी जमा कर की दर में परिवर्तन की तारीख से चार कार्य दिवस के पश्चात् की जाती है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संदाय के प्राप्त होने की तारीख" वह तारीख होगी, जिसको प्रदायकर्ता की लेखा-पुस्तकों में संदाय की प्रविष्टि की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके बैंक खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ।

15. कराधेय प्रदाय का मूल्य ।—

(1) जहां प्रदायकर्ता या प्रदाय का प्राप्तिकर्ता संबंधित नहीं है और प्रदाय के लिए एक मात्र आधार उसकी कीमत है, वहां माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय का मूल्य ऐसा संव्यवहार मूल्य होगा, जो माल या सेवाओं या दोनों के उक्त प्रदाय के लिए वास्तविक रूप से संदत्त किया जाता है या संदेय है ।

(2) प्रदाय के मूल्य में निम्नलिखित सम्मिलित होगा,--

(क) इस अधिनियम, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम से भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उदगृहीत कोई कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार, यदि प्रदायकर्ता द्वारा पृथक् रूप में प्रभारित किया गया है ;

(ख) कोई ऐसी रकम, जिसका प्रदायकर्ता, ऐसे प्रदाय के संबंध में संदाय करने के लिए दायी है, किंतु जो प्रदाय के प्राप्तिकर्ता द्वारा उपगत की गई है और उसे माल या सेवाओं या दोनों के लिए वास्तविक रूप से संदत्त या संदेय कीमत में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(ग) किसी प्रदाय के प्राप्तिकर्ता से प्रदायकर्ता द्वारा प्रभारित आनुषंगिक व्यय, जिसके अंतर्गत कमीशन और पैक करना भी है, और माल या सेवाओं के प्रदाय के समय या उसके पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में प्रदायकर्ता द्वारा की गई किसी कृत्य के लिए प्रभारित कोई रकम ;

(घ) किसी प्रदाय के लिए किसी प्रतिफल के विलंबित संदाय के लिए ब्याज या विलंब फीस या शास्ति ; और

(ङ) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायकियों को अपवर्जित करते हुए कीमत से प्रत्यक्षत: जुड़ी हुई सहायिकियां ।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, सहायिकी की रकम को सहायिकी प्राप्त करने वाले प्रदायकर्ता के, प्रदाय के मूल्य में सम्मिलित किया जाएगा ।

(3) प्रदाय के मूल्य में कोई ऐसी छूट सम्मिलित नहीं होगी, जो,--

(क) प्रदाय के पूर्व या प्रदाय के समय दी जाती है, यदि ऐसी छूट को ऐसे प्रदाय के संबंध में जारी बीजक में सम्यक् रूप से अभिलिखित किया गया है ; और

(ख) प्रदाय के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाती है, यदि,--

(ii) ऐसी छूट, ऐसे प्रदाय के समय या उसके पूर्व किए गए किसी करार के निबंधनानुसार स्थापित की जाती है और विनिर्दिष्ट रूप से सुसंगत बीजकों से जुड़ी हुई है ; और

(iiii) प्रदायकर्ता द्वारा जारी ऐसे दस्तावेज के आधार पर छूट के मद में मानी गई इनपुट कर प्रत्यय, जिसकी राशि को प्राप्तिकर्ता द्वारा अधोमुख किया गया है ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य का अवधारण नहीं किया जा सकता है, वहां उसका अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (1) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रदायों के, जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, मूल्य का अवधारण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) ऐसे व्यक्तियों को "सम्बद्ध व्यक्ति" समझा जाएगा, यदि,--

(ii) ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के कारबार के अधिकारी या निदेशक हैं ;

(iiii) ऐसे व्यक्ति कारबार में विधिक रूप से मान्यताप्राप्त भागीदार है ;

(iiiiii) ऐसे व्यक्ति नियोजक और कर्मचारी हैं ;

(iviv) कोई व्यक्ति, जिसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों व्यक्तियों के परादेय मतदान स्टाक या शेयरों के पच्चीस प्रतिशत या अधिक पर स्वामित्व या नियंत्रण रखता है या धारण करता है ;

(vv) उनमें से एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य पर नियंत्रण रखता है ;

(vivi) वे दोनों प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के नियंत्रण में हैं ;

(viivii) वे साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखते हैं ; या

(viiiviii) वे एक ही कुटुंब के सदस्य हैं ;

(ख) "व्यक्ति" पद के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी है ;

(ग) कोई व्यक्ति दुसरे व्यक्ति के कारबार से इस प्रकार सहबद्ध हैं, जिसमें वह दुसरे व्यक्ति का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरक या एक मात्र रियायतग्राही, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, है, संबद्ध व्यक्ति समझे जाऐंगे ।

अध्याय 5

इनपुट कर प्रत्यय

16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, और धारा 49 में विनिर्दिष्ट रीति से उसको किए गए ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय पर प्रभारित इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जिसका उसके कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने में उपयोग किया जाता है या उपयोग किया जाना आशयित है और उक्त रकम ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक जमा खाते में जमा की जाएगी ।

(2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,--

(क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्‌वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो ;

(ख) वह माल या सेवाओं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है ।

स्पष्टीकरण– इस खंड के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्‌वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्‌वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है ;

(ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में, अनुज्ञेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके, वास्तविक रूप से सरकार को संदाय न कर दिया जाए ; और

(घ) वह धारा 39 के अधीन विवरणी न दे दे :

परंतु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्‌वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात् भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्‌वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्‌वारा किए गए संदाय पर इनपुट कर

प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन पूंजी माल और संयंत्र तथा मशीनरी की लागत के कर संघटक पर अवक्षयण का दावा किया है, वहां उक्त कर संघटक पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । 1961 का 43

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उस वित्तीय वर्ष के, जिससे ऐसा बीजक या ऐसे नामे नोट से संबंधित बीजक संबंधित है, अंत के अगले सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की देय तारीख के पश्चात् माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए किसी बीजक या नामे नोट के संबंध में या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार नहीं होगा ।

17. प्रत्यय का प्रभाजन और निरूद्ध प्रत्यय । (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागत: किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागत: अन्य प्रयोजन के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की रकम उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए मानी गई सीमा तक निर्बंधित होगी।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागत: इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों को पूर्ण करने के लिए और भागत: उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त प्रदायों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर प्रदायों सहित उक्त कराधेय प्रदायों के लिए मानी गई सीमा तक निर्बंधित होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता विपरीत प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा ।

(4) जहां कोई बैंकिंग कंपनी या कोई वित्तीय संस्थान, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धन का विस्तार करके सेवाओं का प्रदाय करने में लगी हुई है, वहाँ उसे उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या हर माह उस मास के प्रत्ययों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर वरणीय इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा :

परंतु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किए गए प्रदायों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :--

(क) मोटर यान और अन्य प्रवहरण, सिवाय तब के जब उनका उपयोग,--

(i) निम्नलिखित कराधेय प्रदायों को करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :--

(अ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के आगे के प्रदाय के लिए ; या

(आ) यात्रियों के परिवहन के लिए ; या

(इ) ऐसे यानों या प्रवहरणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन का प्रशिक्षण देने के लिए ;

(iii) माल के परिवहन के लिए ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों के निम्नलिखित प्रदाय के लिए :--

(ii) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदाय का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के जावक कराधेय प्रदाय के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के एक तत्व के रूप में किया जाता है ;

(iiii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता ;

(iiiiii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां,--

(अ) सरकार ने ऐसी सेवाओं को अधिसूचित किया है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है ; या

(आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे आवक प्रदाय का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों का जावक कराधेय प्रदाय करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित प्रदाय के भागरूप किया जाता है ; और

(iviv) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रवकाश पर कर्मचारियों के लिए विस्तारित यात्रा फायदे ।

(ग) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनका प्रदाय स्थावर संपत्ति संयंत्र और मशीनरी से भिन्न के सन्निर्माण के लिए किया जाता है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा के आगे के प्रदाय के लिए कोई आवक सेवा है ;

(घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अपने खाते में, किसी स्थावर संपत्ति के संयंत्र और मशीनरी से भिन्न सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाओं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के दौरान या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है ।

स्पष्टीकरण– खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति, का पूंजीकरण के विस्तार तक, पुनर्निर्माण, नवीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है ;

(ङ) ऐसा माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है ;

(च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों ;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, अपलिखित हुआ या दान या नि:शुल्क सैंपल द्वारा व्ययनित माल ;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर ।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसे उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय निर्धारित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण– इस अध्याय और अध्याय 4 के प्रयोजनों के लिए, "संयंत्र और मशीनरी" पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों का जावक प्रदाय करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा प्रतिष्ठापन या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित अपवर्जित हैं,--

(ii) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल सन्निर्माण ;

(iiii) दूर-संचार टावर ; और

(iiiiii) कारखाना परिसर के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें ।

18. विशेष परिस्थितियों में प्रत्यय की उपलब्धता ।—

(1) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं,--

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदन किया है, और उसे ऐसा रजिस्ट्रीकरण दे दिया गया है, उस तारीख से, जिससे वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशों तथा स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ख) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है, रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में अंतर्विष्ट अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ;

(ग) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर का संदाय करना बंद करता है, वहां वह उस तारीख से, जिससे वह धारा 9 के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को स्टाक में धारित निवेशो, स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का छूट प्राप्त प्रदाय कराधेय प्रदाय हो गया है, वहां ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको ऐसा प्रदाय कराधेय हुआ है, ठीक पूर्ववर्ती दिन को ऐसे छूट प्राप्त प्रदाय के लिए अनन्य रूप से संबंधित स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा :

परंतु पूंजी माल पर प्रत्यय को ऐसे प्रतिशतता के बिंदु तक कम कर दिया जाएगा, जो विहित किया जाए ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रदाय से संबंधित कर बीजक जारी किए जाने की

तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उसे प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के गठन में, दायित्व अंतरण के विशिष्ट उपबंधों के साथ, कारबार के विक्रय, विलयन, निर्विलयन, समामेलन, पट्टा या अंतरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे विक्रीत, विलीन, निर्विलीन, समामेलित, पट्टे पर दिए गए या अंतरित कारबार के उसके इलैक्ट्रानिक निवेश खाते में अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण **विहित रीति से अनुज्ञात होगा, जो ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,**

(4) जहां इनपुट कर प्रत्यय को उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है या जहां उसके द्वारा प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो गए हैं, वहां वह इलैक्ट्रानिक निवेश खाते या इलैक्ट्रानिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो यथास्थिति, ऐसे विकल्प का प्रयोग करने या ऐसी छूट की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर, , ऐसी प्रतिशतता बिंदु को, जो विहित किया जाए, कम करके, इनपुट कर प्रत्यय के बराबर है :

परंतु ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात् उसके इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन प्रत्यय की रकम और उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम की संगणना ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के प्रदाय की दशा में, जिस पर इनपुट कर प्रत्यय लिया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय ऐसे प्रतिशतता बिंदु को घटाकर, जो विहित किया जाए, के बराबर रकम का या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर का, इनमें से जो भी अधिक हो, संदाय करेगा :

परंतु जहां स्क्रैप के रूप में रिफैक्टरी ईंटें, सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों का प्रदाय किया जाता है, वहां कराधेय व्यक्ति धारा 15 के अधीन अवधारित ऐसे माल के संव्यवहार मूल्य पर कर का संदाय कर सकेगा ।

19. छुटपुट काम के लिए भेजे गए निवेशों और भेजे गए पूंजी माल के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का लिया जाना ।—

(1) प्रधान को, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, छुटपुट काम के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(2) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान निवेशों को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, निवेशों पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(3) जहां प्रधान को, छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए निवेश भेजे जाने के एक वर्ष के भीतर, छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा वापस प्राप्त नहीं होता है या छुटपुट

कार्य करने वाले व्यक्ति के कारबार के स्थान से धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अनुसार उसका प्रदाय नहीं किया जाता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्‌वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे निवेशों का प्रदाय उस दिन किया गया था, जब उक्त निवेश भेजे गए थे :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे निवेश भेजे जाते हैं, वहां किसी एक वर्ष की अवधि की संगणना छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्‌वारा निवेशों के प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

(4) प्रधान को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय अनुज्ञात करेगा ।

(5) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रधान पूंजी माल को पहले उसके कारबार के स्थान पर लाए बिना छुटपुट कार्य के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे भेजे जाने पर भी, पूंजी माल पर, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां प्रधान को छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया पूंजी माल, भेजे जाने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर वापस प्राप्त नहीं होता है, वहां यह समझा जाएगा कि प्रधान द्‌वारा छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूंजी माल का प्रदाय उस दिन किया गया था जब उक्त पूंजी माल भेजा गया था :

परंतु जहां किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को सीधे पूंजी माल भेजा जाता है, वहां तीन वर्ष की अवधि की संगणना छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति द्‌वारा पूंजी माल के प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी ।

(7) उपधारा (3) या उपधारा (6) में अंतर्विष्ट कोई बात छुटपुट कार्य करने के लिए किसी छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति को भेजे गए सांचे और डाई, जिग्स और फिक्चरों और औजारों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "प्रधान" से धारा 143 में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ।

20. इनपुट सेवा वितरक द्‌वारा प्रत्यय के वितरण की रीति ।—

(1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा ।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है ;

(ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी ;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उसके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा ;

(घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को उनके संबंध में मानी गई इनपुट

सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है, और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके संबंध में ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, आवर्त का संकलन के अनुपातत: होगा ;

(ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए उनके संबंध में मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के आधार पर, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में संक्रियात्मक हैं, के आवर्त का संकलन के अनुपातत: होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "सुसंगत अवधि",--

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त, है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी ;

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है ;

(ख) "प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता" पद से उस माल या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ता अभिप्रेत है जिनका तथा इनपुट सेवा वितरक स्थायी खाता संख्यांक समान है ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और ऐसे माल, जो कराधेय नहीं है, के प्रदाय में लगा हुआ किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में "आवर्त" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उदगृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को आवर्त के का मूल्य से घटाकर अभिप्रेत है ।

21. **आधिक्य में वितरित प्रत्यय के वसूली की रीति ।**— जहां इनपुट सेवा कर वितरक, धारा 20 में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में प्रत्यय का ऐसा वितरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यय के एक या अधिक प्राप्तिकर्ताओं को आधिक्य में प्रत्यय का वितरण हो जाता है वहां ऐसे प्राप्तिकर्ताओं से इस प्रकार वितरित आधिक्य प्रत्यय ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध वसूल किए जाने वाली रकम के अवधारण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण

22. रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी व्यक्ति ।—

(1) राज्य में मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदाय को करने वाला प्रत्येक प्रदाता इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त बीस लाख रूपए से अधिक है :

परंतु विशेष प्रवर्ग के राज्यों में से किसी राज्य से माल या सेवाओं या दोनों का कराधेय प्रदाय करने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का दायी होगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष में उसका संकलित आवर्त दस लाख रूपए से अधिक है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो, नियत तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्ति धारण करता है, नियत तारीख से अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है होने के लिए दायी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा चलाया गया कारबार, किसी अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में, चाहे उत्तराधिकार या अन्यथा अंतरित किया जाता है तो, यथास्थिति, अंतरिति या उत्तराधिकारी, के कारण, ऐसे अंतरण या उत्तराधिकार की तारीख से रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी होगा ।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी उच्च न्यायालय या किसी अधिकरण के आदेश के अनुसरण में या अन्यथा दो या अधिक कम्पनियों के किसी स्कीम की मंजूरी या किसी समामेलन या, यथास्थिति, निर्विलयन के अनुसरण किसी अंतरण की दशा में अंतरिती ऐसी तारीख से जिससे उच्च न्यायालय या अधिकरण के ऐसे आदेश को प्रभाव देते हुए कंपनी रजिस्ट्रार निगमन का प्रमाणपत्र जारी करता है, रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी होगा

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजन के लिए,--

(i) अभिव्यक्ति "संकलित व्यापारवर्त" में, कराधेय व्यक्ति द्वारा की गई सभी प्रदाय, चाहे उसके अपने लेखे या उसके सभी मालिकों की ओर से, सम्मिलित है;

(ii) रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार द्वारा फुटकर-काम पूर्ण करने के पश्चात्, मालों की आपूर्ति, धारा 143 के निर्दिष्ट प्रधान द्वारा मालों की आपूर्ति मानी जाएगी और ऐसे मालों का मूल्य रजिस्ट्रीकृत फुटकर कर्मकार का संकलित व्यापारवर्त में सम्मिलित नहीं होगा;

(iii) अभिव्यक्ति "विशेष प्रवर्ग राज्यों" से संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड (4) के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट राज्य अभिप्रेत हैं।

23. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है ।—

(1) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :--

(क) कोई व्यक्ति जो अनन्य रूप से केवल ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के कारबार में लगा हुआ है जो इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल या सेवा कर अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

(ख) कृषक, भूमि पर खेती की उपज के प्रदाय के विस्तार तक ।

(2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है ।

24. कतिपय मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण ।— धारा 22 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित होगा,--

(i) **व्यक्ति जो अंतरराज्यिक कराधेय प्रदाय करते हैं ;**

(ii) **कराधेय प्रदाय करने वाले आकस्मिक कराधेय व्यक्ति ;**

(iii) **व्यक्ति जिससे विपरीत प्रभार के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है;**

(iv) **व्यक्ति जिससे धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन कर का संदाय करना अपेक्षित है ;**

(v) **कराधेय प्रदाय करने वाले अनिवासी कराधेय व्यक्ति ;**

(vi) **व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं ;**

(vii) **व्यक्ति जो, चाहे अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा, अन्य कराधेय व्यक्तियों की ओर से कराधेय मालों या सेवाओं अथवा दोनों का प्रदाय करते हैं ;**

(viii) **इनपुट सेवा वितरक, चाहे इस अधिनियम के अधीन पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत है या नहीं ;**

(ix) **व्यक्ति जो की ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर एकत्र करना अपेक्षित है, के माध्यम से धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रदाय से भिन्न मालों या सेवाओं अथवा दोनों का प्रदाय करता है;**

(x) **प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य ऑपरेटर ;**

(xi) **प्रत्येक व्यक्ति जो भारत से बाहर के स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधार पहुंच या सुधार सेवाओं भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदाय करता है ;**

(xii) **ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिन्हें सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए ।**

25. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया ।—

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी है, वह उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होता है, से तीस दिवस के भीतर, ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परंतु आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति कारबार प्रारंभ होने के कम से कम पांच दिवस पहले रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड से प्रदाय करता है, ऐसे तटीय राज्य, जहां समुचित आधार रेखा का निकटतम बिन्दु अवस्थित है, में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहता है को राज्य में एकल रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा :

परंतु एक राज्य में बहुल कारबार वर्टिकल रखने वाले व्यक्ति को, ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक कारबार वर्टिकल के लिए पृथक रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा ।

(3) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी नहीं है वह स्वयं को स्वेच्छया रजिस्ट्रीकृत करा सकता है और इस अधिनियम के सभी उपबंध वैसे ही ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जैसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर लागू होते हैं।

(4) एक व्यक्ति जिसने एक से अधिक रजिस्ट्रीकरण चाहे एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में प्राप्त किया है या एक राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र अथवा एक से अधिक राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है, प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुभिन्न व्यक्ति के रूप में माना जाएगा।

(5) जहां एक व्यक्ति जिसने एक स्थापना की बाबत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया है या जिससे ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अपेक्षित है, के पास किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक स्थापना है, तब ऐसे स्थापनाओं को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुभिन्न व्यक्तियों के स्थापनाओं के रूप में माना जाएगा ।

(6) प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र होने के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्या रखेगा :

परंतु व्यक्ति जिससे धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, स्थायी खाता संख्या के बजाय, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए पात्र होने के लिए उक्त अधिनियम के अधीन जारी कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या रख सकेगा ।

(7) उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक अनिवासी कराधेय व्यक्ति को ऐसे अन्य दस्तावेजों जो विहित किए जाए के आधार पर उप धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जा सकता है ।

(8) जहां एक व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए दायी है रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में विफल होता है, उचित अधिकारी, कोई कार्रवाई जिसे इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा ।

(9) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी--

(क) संयुक्त राष्ट्र संगठन का कोई विशिष्ट अभिकरण या संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां), अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित बहुपार्श्व वित्तीय संस्था और संगठन, विदेशी देशों के कौंसल-कार्यालय या राजदूतावास ; और

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाए को,

ऐसी रीति और ऐसे प्रयोजनों, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्राप्त मालों का सेवाओं अथवा दोनों की अधिसूचित प्रदाय पर शामिल है करों का प्रतिदाय, जैसा कि विहित किया जाए, विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान किया जाएगा ।

(10) रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या ऐसी रीति में सम्यक् सत्यापन के पश्चात् और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा या खारिज किया जाएगा ।

(11) रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसी तारीख

से लागू होगा, जो विहित किया जाए ।

(12) एक रजिस्ट्रीकरण या एक विशिष्ट पहचान संख्या उप धारा (10) के अधीन विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रदान किया गया समझा जाएगा, यदि आवेदक को उस अवधि के भीतर कोई कमी संसूचित नहीं की जाती है ।

26. रजिस्ट्रीकरण समझा जाना ।—

(1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन इस अधिनियम के अधीन, धारा 25 की उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर खारिज नहीं किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या का प्रदान किया जाना समझा जाएगा ।

(2) धारा 25 की उपधारा (10) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या के लिए आवेदन का खारिज किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का खारिज किया जाना समझा जाएगा ।

27. आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से संबंधित विशिष्ट उपबंध ।—

(1) आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति को जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि जो भी पहले हो, के लिए विधिमान्य होगा और ऐसा व्यक्ति केवल रजिस्ट्रीकरण, प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ही कराधेय प्रदाय करेगा :

परंतु उचित अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो उक्त कराधेय व्यक्ति द्वारा दर्शाए जाए, उक्त नब्बे दिन की अवधि को नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(2) एक आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय, ऐसी अवधि जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य रकम में कर का अग्रिम निक्षेप करेगा :

परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन समय का कोई विस्तार चाहा गया है, ऐसा कराधेय व्यक्ति, ऐसी अवधि जिसके लिए विस्तार चाहा गया है, के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राक्कलित कर दायित्व के समतुल्य कर की अतिरिक्त रकम निक्षेप करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निक्षेप की गई रकम, ऐसे व्यक्ति के इलैक्ट्रानिक नकद खाते में जमा की जाएगी और धारा 49 के अधीन उपबंधित रीति से उपयोग किया जाएगा ।

28 रजिस्ट्रीकरण का संशोधन ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या समनुदेशित की गई है, रजिस्ट्रेशन के समय या तत्पश्चात् दी गई सूचना में किसी परिवर्तन को ऐसे प्ररूप ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, उचित अधिकारी को सूचित करेगा ।

(2) उचित अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन दी गई या उसके द्वारा अभिनिश्चित की गई सूचना के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, संशोधनों का अनुमोदन करेगा या खारिज करेगा :

परंतु ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाएं, के संशोधन की बाबत समुचित अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा :

परंतु यह और कि उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में संशोधन के लिए आवेदन को उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिए बिना खारिज नहीं करेगा ।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी अनुमोदन या संशोधनों का खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना, इस अधिनियम के अधीन खारिज किया जाना या अनुमोदित किया जाना माना जाएगा ।

29. रजिस्ट्रीकरण का रद्दीकरण ।—

(1) उचित अधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक वारिसों, द्वारा दाखिल किए गए आवेदन पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां,--

(क) कारबार किन्हीं कारणों से जिसके अंतर्गत स्वत्वधारी की मृत्यु, किसी अन्य विधिक सत्ता के साथ समामेलन, निर्विलयन या अन्यथा निपटान भी है, बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से अंतरित कर दिया गया है;

(ख) कारबार के गठन में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न कोई कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी तारीख, जिसके अंतर्गत किसी भूतलक्षी तारीख से जैसा वह उचित समझे, किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा, जहां--

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के ऐसे उपबंधों का उल्लंघन किया है, जैसा विहित किया जाए; या

(ख) धारा 10 के अधीन कर अदा करने वाले व्यक्ति ने, तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी नहीं दी है; या

(ग) खंड (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने लगातार छह मास की अवधि तक विवरणी नहीं दी है; या

(घ) कोई व्यक्ति, जिसने धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया रजिस्ट्रीकरण कराया है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छह मास के भीतर कारबार प्रारंभ नहीं किया है ; या

(ङ) रजिस्ट्रीकरण कपट के साधनों से, जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों के छिपाने के द्वारा प्राप्त किया गया है:

परंतु उचित अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण को रद्द नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, कराधेय व्यक्ति का इस अधिनियम के अधीन कर और अन्य शोध्य के भुगतान के दायित्व **या इस अधिनियम या**

इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, रद्दीकरण की तारीख से पहले किसी अवधि के लिए, अवधारित कोई कर या अन्य शोध्य चाहे ऐसा कर और अन्य शोध्य, रद्दीकरण की तारीख से पहले या पश्चात् अवधारित किए जाते हैं, के भुगतान के दायित्व **की किसी बाध्यता के निर्वहन पर प्रभाव नहीं डालेगा ।**

(4) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना समझा जाएगा ।

(5) प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में विकलन के माध्यम से, विहित रूप में संगणित ऐसी बीजक रकम का संदाय करेगा जो रद्दीकरण की तारीख से ठीक पूर्व दिन को स्टॉक में धारित निवेशों और स्टॉक में धारित अर्द्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के समतुल्य राशि या प्रकल्पित ऐसे माल पर संदेय आउटपुट कर की राशि, दोनों में जो अधिक हो:

परंतु पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी के मामले में कराधेय व्यक्ति उक्त पूंजीमाल या संयंत्र और मशीनरी पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के समान ऐसी रकम जो ऐसे प्रतिशतता बिन्दु जो विहित किए जाए, से घटाकर आये या धारा 15 के अधीन ऐसे पूंजी माल या संयंत्र और मशीनरी के संव्यवहार मूल्य पर कर, जो भी अधिक हो, संदत्त करेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन देय रकम ऐसी रीति जो विहित की जाए, से प्रकल्लित की जाएगी।

30. रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण ।—

(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा पर रद्द किया गया है, रद्दीकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) उचित अधिकारी, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो विहित की जाए, आदेश द्वारा या तो रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण कर सकेगा या आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परंतु रजिस्ट्रीकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना खारिज नहीं किया जाएगा ।

(3) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण का प्रतिसंहरण माना जाएगा ।

अध्याय 7

कर बीजक, जमा पत्र और नामे पत्र

31. कर बीजक।—

(1) कराधेय मालों का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे समय से पहले या उस समय पर,--

(क) प्राप्तिकर्ता का प्रदाय, जहां प्रदाय में मालों का संचलन अंतर्वलित है, के लिए माल को हटाए जाने; **या**

(ख) किसी अन्य मामले में, मालों के परिदान या प्राप्तिकर्ता को उन्हें उपलब्ध कराए जाने के समय या उससे पहले मालों का, **वर्णन, मात्रा और मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा**:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा मालों या प्रदायों का प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनकी बावत विहित समय में और रीति में कर बीजक जारी किया जाएगा

(2) कराधेय सेवाओं का प्रदाय करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सेवाओं के प्रदान के पूर्व या पश्चात् परंतु विहित अवधि के भीतर, वर्णन, मूल्य, उस पर भारित कर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, दर्शाने वाला कर बीजक जारी करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा और उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए सेवाओं के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनकी बाबत—

(क) प्रदाय के संबंध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज कर बीजक समझा जाएगा; या

(ख) कर बीजक जारी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,--

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से एक मास के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण के प्रभावी होने की **तारीख से प्रारंभ होने और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख तक की अवधि के दौरान पहले से जारी बीजक के विरुद्ध पुनरावलोकित बीजक जारी कर सकेगा;**

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और ऐसी रीति जो विहित की जाए के अध्यधीन रहते हुए कर बीजक जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा **यदि, मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का मूल्य दो सौ रूपए से कम है ;**

(ग) छूट प्राप्त मालों और सेवाओं या दोनों का प्रदाय करने वाला या धारा 10 के उपबंधों के अधीन का संदाय **करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, कर बीजक के बजाय ऐसी विशिष्टिताएं अंतर्विष्ट करने वाला और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, एक प्रदाय का बिल जारी करेगा** :

परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रदाय का बिल जारी करने के लिए बाध्य नहीं होगा, **यदि प्रदाय किया गया माल या सेवाओं या दोनों का मूल्य दो सौ रूपए से कम है** ;

(घ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवा या दोनों के किसी प्रदाय की बाबत **अग्रिम संदाय की प्राप्ति पर ऐसे संदाय का** साक्ष्यस्वरूप **ऐसी विशिष्टियों से अंतर्विष्ट**,

जो विहित की जाए, कोई रसीद वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज जारी करेगा ;

(ङ) जहां, माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के संबंध में अग्रिम की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कोई रसीद वाउचर जारी करता है, परंतु तत्पश्चात कोई प्रदाय नहीं की जाती है और उसके अनुसरण में कोई कर बीजक जारी नहीं किया जाता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने संदाय किया है, ऐसे संदाय के विरुद्ध कोई प्रतिदाय वाउचर जारी कर सकेगा ;

(च) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, उसके द्वारा किसी ऐसे प्रदात्ता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख को माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में एक बीजक जारी करेगा ;

(छ) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर संदत्त करने के लिए दायी है, प्रदायकर्ता, को संदाय करते समय एक संदाय वाउचर जारी करेगा ।

(4) माल के निरंतर प्रदाय की दशा में, जहां लेखाओं के क्रमवार विवरण या क्रमवार संदाय अंतर्वलित हैं, वहां बीजक, प्रत्येक ऐसे विवरण जारी करते समय या उससे पूर्व या, यथास्थिति, प्रत्येक ऐसा संदाय प्राप्त करते समय या उससे पूर्व, जारी किया जाएगा ।

(5) उपधारा (3) के खंड (घ) के उपबंधों के अध्यधीन सेवाओं की निरंतर प्रदाय की दशा में,--

(क) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता लगाया जा सकता है, वहां बीजक संदाय की नियत तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ;

(ख) जहां संदाय की नियत तारीख का संविदा से पता नहीं लगाया जा सकता है, वहां सेवाओं को प्रदायकर्ता संदाय द्वारा प्राप्त करने, के समय या उससे पूर्व बीजक जारी किया जाएगा ;

(ग) जहां संदाय को किसी घटना के पूरा होने से जोड़ा गया है, वहां बीजक उस घटना के पूरा होने की तारीख को या उससे पूर्व जारी किया जाएगा ।

(6) किसी ऐसे मामले में जहां किसी संविदा के अधीन प्रदाय के पूरा होने से पूर्व सेवाओं का प्रदाय बंद हो जाता है, वहां बीजक ऐसे समय पर जारी किया जाएगा जब प्रदाय बंद होता है और ऐसा बीजक ऐसी बंदी से पूर्व किए गए प्रदाय की सीमा तक जारी किया जाएगा ।

(7) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां विक्रय या वापसी के लिए अनुमोदन पर भेजा जा रहा या लिया जा रहा माल प्रदाय किए जाने से पूर्व हटाया जाता है, वहां बीजक, आप्रदाय के समय या उससे पूर्व अथवा हटाए जाने की तारीख से छह मास तक, जो भी पूर्वतर हो, जारी किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए "कर बीजक" पद के अंतर्गत पूर्व में की गई प्रदाय के बाबत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई पुनरीक्षित बीजक शामिल होगा ।

32. कर के अप्राधिकृत संग्रहण का प्रतिषेध ।—

(1) कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नहीं है, माल और सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के की बाबत इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में कोई रकम संगृहीत नहीं करेगा ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार के

सिवाय, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा ।

33. कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में कर की रकम का उपदर्शन।— इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रदाय किसी प्रतिफल के लिए किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रदाय के लिए कर संदाय करने का दायी है निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों, कर बीजक और अन्य ऐसे अन्य दस्तावेज में, कर की रकम जो उस मूल्य का भाग होगी जिस पर ऐसी प्रदाय की जाती है, प्रमुखत: उपदर्शित करेगा ।

34. जमा और नामे पत्र ।—

(1) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में प्रभारित कर योग्य मूल्य या कर ऐसी प्रदाय के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से अधिक पाया जाता है या जहां प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय किए गए माल को वापस किया जाता है या जहां प्रदाय किए गए माल या सेवाओं या दोनों में कमी पाई जाती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसमें ऐसे माल या सेवाएं या दोनों की प्रदाय की है, प्रदाय प्राप्तिकर्ता को ऐसी विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, से अंतर्विष्ट जमापत्र जारी कर सकेगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई जमा पत्र जारी करता है, ऐसे जमा पत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में घोषित करेगा जिसके दौरान ऐसा जमा पत्र जारी किया गया है परंतु उस वित्तीय वर्ष जिसमें ऐसी प्रदाय की गई थी, के अंत के पश्चात् सितंबर मास या सुसंगत वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख, जो भी पूर्वतर हो से अपश्चात्, तथा कर दायित्व ऐसी रीति जो विहित की जाए, में समायोजित किया जाएगा :

परंतु यदि ऐसी प्रदाय पर कर और ब्याज का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति को पास किया गया है तो प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3) जहां किसी माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर बीजक जारी किया गया है और उस कर बीजक में कर योग्य मूल्य या प्रभारित कर ऐसी प्रदाय के संबंध में कर योग्य मूल्य या संदेय कर से कम पाया जाता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय की है प्राप्त कर्ता को ऐसी विशिष्टियों जो विहित की जाए, से अंतर्विष्ट नामे पत्र जारी करेगा ।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के संबंध में कोई नामे पत्र जारी करता है, ऐसे नामेपत्र के ब्यौरे उस मास की विवरणी में, जिसके दौरान ऐसा नामे पत्र जारी किया गया है, घोषित करेगा और कर दायित्व, ऐसे रीति में जो विहित की जाए, समायोजित करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नामे पत्र" पद के अंतर्गत पूरक बीजक हैं ।

अध्याय 8

लेखे और अभिलेख

35. लेखे और अन्य अभिलेख ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने यथावर्णित कारबार के मूल स्थान पर रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में,--

(क) माल के उत्पादन और विनिर्माण ;

(ख) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक प्रदाय ;

(ग) माल का स्टाक ;

(घ) प्राप्त किया गया इनपुट कर प्रत्यय ;

(ङ) संदेय और संदत्त आउटपुट कर ; और

(च) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं,

की सत्य और शुद्ध लेखे रखेगा और अनुरक्षित करेगा :

परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में एक से अधिक कारबार का स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां कारबार के प्रत्येक स्थान से संबंधित लेखे कारबार के ऐसे स्थानों में रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे लेखे और अन्य विशिष्टियां इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, रख सकेगा और अनुरक्षित कर सकेगा ।

(2) भांडागार या गोदाम या माल के भंडारण के लिए उपयोग में लाया गया किसी अन्य स्थान का प्रत्येक स्वामी या ऑपरेटर और प्रत्येक परिवाहक, चाहे **वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है या नहीं,** प्रेषक, प्रेषिती **और ऐसे माल के अन्य सुसंगत ब्यौरे जो विहित किए जाएं, के अभिलेख रखेगा ।**

(3) आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी कराधेय व्यक्तियों के वर्ग को **के अतिरिक्त लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित करने के लिए कर योग्य व्यक्तियों का वर्ग अधिसूचित कर सकेगा ।**

(4) जहां आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्तियों का कोई वर्ग इस धारा के उपबंधों के अनुसार लेखे रखने और अनुरक्षित करने की स्थिति में नहीं है, वहां वह कारणों को अभिलिखित करते हुए कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लेखों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अनुरक्षित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका आवर्त किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विहित सीमा से अधिक होता है, अपने लेखे किसी चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा संपरीक्षित करवाएगा और संपरीक्षित वार्षिक लेखों की एक प्रति, धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन समाधान विवरण और ऐसे अन्य दस्तावेज ऐसे प्ररूप और रीति में प्रस्तुत

करेगा, जो विहित की जाए ।

(6) धारा 17 की उपधारा (5) के खंड (ज) के उपबंधों के अध्यधीन जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अनुसार माल या सेवाओं या दोनों का लेखा देने में विफल रहता है, वहां उचित अधिकारी माल या सेवाओ या दोनों जिसका लेखा नहीं दिया गया है, पर संदेय कर की रकम, अवधारित करेगा, मानो ऐसा माल या सेवाएं या दोनों की ऐसी व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई थी और, यथास्थिति, धारा 73 या धारा 74 के उपबंध ऐसे कर के अवधारण के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

36. **लेखों के प्रतिधारण की अवधि ।** धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन लेखों की बहियों और अन्य अभिलेखों को रखने और अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उनको ऐसे लेखों और अभिलेखों से संबंधित वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की नियत तारीख से 72 मास की समाप्ति तक प्रतिधारण करेगा :

परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के समक्ष किसी अपील या पुनरीक्षण या किसी अन्य कार्यवाही चाहे उसके द्वारा या आयुक्त द्वारा फाइल की गई हो, में कोई पक्षकार है, या अध्याय 19 के अधीन किसी अपराध के लिए अन्वेषणाधीन है, ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण की विषयवस्तु से संबंधित लेखाबहियों और अन्य अभिलेखों को ऐसी अपील या पुनरीक्षण या कार्यवाही या अन्वेषण के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात्वर्ती हो, के लिए प्रतिधारित करेगा ।

अध्याय 9

विवरणियां

37. जावक प्रदायों के ब्यौरे देना ।—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक, किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इलैक्ट्रानिक रूप में ऐसे प्ररूप में और रीति में जो विहित की जाए, किसी कर अवधि के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की की गई जावक प्रदायों **के ब्यौरे उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन से पूर्व देगा और ऐसे ब्यौरे उक्त प्रदाययों के प्राप्तिकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे :**

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अवधि के उत्तरवर्ती मास के 11वें दिन से 15वें दिन तक की अवधि के दौरान जावक प्रदाययों के ब्यौरे देने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा **:**

परंतु यह और कि आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और भी कि केंद्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई विस्तार, आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसको धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन ब्यौरे या धारा 38 की उपधारा (4) के अधीन इनपुट सेवा वितरक की आवक प्रदाययों से संबंधित ब्यौरे संसूचित किए गए हैं, 17वें दिन को या इससे पूर्व इस प्रकार संसूचित ब्यौरे को स्वीकार या अस्वीकार करेगा, परंतु कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 15वें दिन से पूर्व नहीं, तथा उसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे तदनुसार संशोधित हो जाऐंगे**।**

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी त्रुटि या लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा:

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने, जो भी पूर्वतर है, के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, "जावक प्रदायों **के ब्यौरे" पद के अंतर्गत किसी कर-अवधि के दौरान की गई जावक प्रदाययों के संबंध में जारी बीजक, नामे पत्र, जमा पत्र और पुनरीक्षित बीजक के ब्यौरे है ।**

38. आवक प्रदायों के ब्यौरे देना ।—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अपनी आवक प्रदायों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे तैयार करने के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन संसूचित जावक प्रदाययों और जमा या नामे पत्रों से संबंधित ब्यौरे सत्यापित करेगा, विधि मान्य करेगा, उपांतरित करेगा या हटाएगा, यदि अपेक्षित हो और उसमें ऐसी प्रदाययों, जो धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रदायकर्ता द्वारा घोषित नहीं की गई है, की बावत प्राप्त आवक प्रदाययों और जमा या नामे पत्रों के ब्यौरे सम्मिलित कर सकेगा ।

(2) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलैक्ट्रानिक रूप में किसी कर अवधि के दौरान कर योग्य माल या सेवाओं या दोनों, की आवक प्रदायों जिसके अंतर्गत माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आवक प्रदायों, जिन पर इस अधिनियम के अधीन विपरीत आधार पर कर संदेय है तथा समन्वित माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन माल या सेवा या दोनों की आवक कराधेय प्रदायों या जिस पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन समन्वित माल और सेवा कर संदेय है, और ऐसी प्रदायों के संबंध में प्राप्त जमा या नामे पत्रों उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती मास के 10वें दिन के पश्चात् परंतु 15वें दिन से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, के ब्यौरे देगा :

परंतु आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए अधिसूचना द्वारा कर योग्य व्यक्ति, के ऐसे वर्ग जो उसमें विनिर्दिष्ट किएं जाएं, के लिए ऐसे ब्यौरे देने के लिए समय सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केंद्रीय कर के आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदायों और उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(4) धारा 39 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन प्राप्तिकर्ता द्वारा दी गई विवरणी में उपांतरित, हटाई गई या सम्मिलित की गई प्रदाययों के ब्यौरे संबंधित प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएंगे ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने किसी कर अवधि के लिए उपधारा (2) के अधीन ब्यौरे दिए हैं और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गए हैं, उसमें किसी त्रुटि या लोप का पता लगने पर ऐसी त्रुटि या लोप का ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी कर अवधि के लिए दी जाने वाली विवरणी में सुधार करेगा, तथा यदि ऐसी त्रुटि लोप के कारण कर का कम संदाय हुआ है तो कर और ब्याज, यदि कोई हो, का संदाय करेगा :

परंतु उस वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, के अंत के पश्चात् सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने, जो भी पूर्वतर है, के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन दिए गए ब्यौरे के संबंध में त्रुटि या लोप का कोई सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

39. विवरणियां देना ।—

(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या किसी अनिवासी कर योग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के उपबधों के अधीन कर संदत्त करने वाले किसी व्यक्ति से अन्यथा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए इलैक्ट्रानिक रूप में माल या सेवा या दोनों की आवक और जावक प्रदाययां, प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर, संदत्त कर और अन्य ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जायें, **ऐसे कलैंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के 20वें दिन या इससे पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, विवरणी देगा ।**

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राज्य में आवर्त **कोई माल या सेवा या दोनों की आवक प्रदाययों, संदेय कर और संदत्त कर की विवरणी, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् 18 दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में संदत्त करेगा ।**

(3) धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस मास के लिए जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिन के भीतर, इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(4) किसी इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक कराधेय **व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, ऐसे मास की समाप्ति के पश्चात् 13 दिन के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।**

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत अनिवासी कर योग्य व्यक्ति प्रत्येक कलैंडर मास या उसके किसी भाग के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए कलैंडर मास के अंत के पश्चात् 20 दिन के भीतर या धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अंतिम दिन के पश्चात् सात दिन के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, इलैक्ट्रानिक रूप में विवरणी देगा ।

(6) आयुक्त, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरणियां देने के लिए समय-सीमा विस्तारित कर सकेगा :

परंतु केंद्रीय कर आयुक्त के द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर ऐसी विवरणी देने की अंतिम तारीख, से अपश्चात् सरकार को संदत्त करेगा ।

(8) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, प्रत्येक कर अवधि के लिए विवरणी देगा, चाहे माल या सेवा या दोनों की कोई प्रदाय ऐसी कर अवधि के दौरान की गई या नहीं ।

(9) धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन विवरणी देने के पश्चात्, कर प्राधिकारियों द्वारा संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या

प्रवर्तन क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप से अन्यथा, उसमें किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का पता चलता है तो वह, इस अधिनियम के अधीन ब्याज के संदाय के अध्यधीन, उस मास या तिमाही, जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां ध्यान में आई हैं, के लिये दी जाने वाली विवरणी में ऐसे लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का सुधार करेगा :

परंतु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए विवरणी देने की नियत तारीख के या सुसंगत वार्षिक विवरणी देने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, पश्चात् किसी लोप या अशुद्ध विशिष्टियों का ऐसा सुधार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए कोई विवरणी देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी नहीं दी गई है ।

40. प्रथम विवरणी ।— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उस तारीख, जिसको वह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी बना, से उस तारीख तक जिसको उसे रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया, के मध्य अवधि में जावक प्रदाईयाँ की हैं, रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् उसके द्वारा दी गई प्रथम विवरणी में उसकी घोषणा करेगा ।

41. इनपुट कर प्रत्यय का दावा और उसकी अनंतिम स्वीकृति ।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसी शर्तों और निबंधनों जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन यथा स्वनिर्धारित, पात्र इनपुट कर, का अपनी विवरणी में प्रत्यय लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अनंतिम आधार पर उसकी इलैक्ट्रानिक खाते में जमा की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल उक्त उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के संदाय के लिए किया जाएगा ।

42. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान, उलटाव और वापस लेना ।—

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी कर अवधि के लिए दिए गए प्रत्येक आवक प्रदाय के ब्यौरे का–

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में दी गई जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरे के साथ ;

(ख) उसके द्वारा आयातित माल के संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ ; और

(ग) इनपुट कर प्रत्यय के दावों के अनुलिपिकरण के लिए,

ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, मिलान किया जाएगा ।

(2) इनपुट कर प्रत्यय का ऐसा दावा जिसके संबंध में आवक पूर्ति की बावत बीजकों या नामे पत्रा, जो तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों के साथ या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन आयातित माल के संबंध में उसके द्वारा संदत्त समन्वित माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है, अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(3) जहां आवकप्रदाय के संबंध में किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय उसी प्रदाय के लिए प्रदायकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या प्रदायकर्ता द्वारा अपनी विधिमान्य विवरणियों में जावक प्रदाय घोषित नहीं की गई है, वहां विसंगति दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो विहित की जाए संसूचित किया जाएगा ।

(4) इनपुट कर जमा के दावों की अनुलिपि प्राप्तिकर्ता को ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(5) किसी ऐसी रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन किसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको उस मास की विधिमान्य विवरणी में प्रदायकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, को उस मास के, जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई है, के उत्तरवर्ती मास की विवरणी में प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) इनपुट कर प्रत्यय के रूप में दावा की गई रकम, जो दावों की आवृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है, को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास, जिसमें आवृत्ति संसूचित की जाती है, की विवरणी में जोड़ा जाएगा ।

(7) प्राप्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा, यदि प्रदायकर्ता धारा 39 की उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपनी विधिमान्य विवरणी में बीजक या नामे नोट के ब्यौरों को घोषित करता है ।

(8) कोई प्राप्तिकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, प्रत्यय लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी वर्धन किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रतिदाय प्राप्तिकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी नकद खाते में तत्स्थानी शीर्ष में रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्यय करके किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए गए ब्याज की रकम प्रदायकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा, जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

43. आउटपुट कर दायित्व का मिलान, प्रतिलोम और प्रतिदाय ।—

(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" कहा गया है) द्वारा किसी करावधि के लिए जावक प्रदाय के संबंध में के लिए प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के ब्यौरे का—

(क) तत्स्थानी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्राप्तिकर्ता" कहा गया है) द्वारा उसी करावधि या अन्य पश्चात्वर्ती करावधि के लिए उसकी विधिमान्य विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी कटौती दावे के लिए ; और

(ख) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की आवृत्ति के लिए,

ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(2) प्रदायकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए ऐसा दावा, जिसका प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय में तत्स्थानी दावे में कमी से मिलान हो जाता है, को

अंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी तथा ऐसी स्वीकृति प्रदायकर्ता को रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित की जाएगी ।

(3) जहां जावक प्रदायों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे में तत्स्थानी कमी से अधिक हो जाती है या तत्स्थानी जमा पत्र की प्राप्तिकर्ता द्वारा उसकी विधिमान्य विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है तो इस विसंगति की संसूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(4) आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों के आवृत्ति की संसूचना प्रदायकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) वह रकम, जिसके संबंध में उपधारा (3) के अधीन कोई विसंगति संसूचित की गई है और जिसको प्राप्तिकर्ता द्वारा उस मास की विवरणी, जिसमें ऐसी विसंगति संसूचित की गई है, की विधिमान्य विवरणी में ठीक नहीं किया गया है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास के पश्चात्वर्ती मास, जिसमें विसंगति संसूचित की गई है, की विवरणी में उस रीति में जोड़ दिया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(6) आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में ऐसी रकम, जो दावों की आवृत्ति के लेखे पाई जाती है, को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा, जिसमें ऐसी आवृत्ति संसूचित की जाती है ।

(7) प्रदायकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा (5) के अधीन जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तिकर्ता जमा पत्र के ब्यौरों को अपनी विधिमान्य विवरणी में धारा 39 की उपधारा (9) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर घोषित कर देता है ।

(8) कोई प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं के अधीन तत्स्थानी जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा ।

(9) जहां उपधारा (7) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार किया जाता है वहां उपधारा (8) के अधीन संदत्त ब्याज का प्रतिदाय प्रदायकर्ता को उसकी इलैक्ट्रानिकी नकद खाता में तत्स्थानी शीर्ष में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रकम का प्रत्यय करके किया जाएगा :

परंतु किसी भी दशा में प्रत्यय किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तिकर्ता द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी ।

(10) उपधारा (7) के उपबंधों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस मास की उसकी विवरणी में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और ऐसा प्रदायकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।

44. वार्षिक विवरणी ।—

(1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रानिकी रूप से ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के पश्चात् 31 दिसंबर को या उससे पूर्व

एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाए, के साथ एक समाधान विवरण के साथ इलैक्ट्रानिकी रूप में उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

45. अंतिम विवरणी ।— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है और जिसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है, रद्द करने की तारीख या रद्द करने के आदेश की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से तीन मास के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक अंतिम विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

46. विवरणी व्यतिक्रमियों को सूचना ।— जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39, धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है तब वहां पन्द्रह दिन के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, एक सूचना जारी की जाएगी ।

47. विलंब फीस का उदग्रहण ।—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 37 या धारा 38 के अधीन अपेक्षित जावक **या** आवक **प्रदायों** के ब्यौरे **या धारा 39 या धारा 45 के अधीन** वांछित विवरणियाँ नियत **तारीख तक प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए विलंब फीस का संदाय करेगा ।**

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो सम्यक् तारीख तक धारा 44 के अधीन अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में उसके कारबार के एक चौथाई प्रतिशत पर संगणित अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, सौ रूपए की विलंब फीस का संदाय करने का दायी होगा ।

48. माल और सेवा कर व्यवसायी ।—

(1) माल और सेवा कर व्यवसायी के अनुमोदन की रीति, उनकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य और बाध्यताएं, हटाने की रीति तथा उनके कार्य करने के लिए सुसंगत शर्तें अन्य, वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित माल और सेवा कर व्यवसायी को धारा 37 के अधीन जावक **प्रदायों के ब्यौरे धारा 38 के अधीन** आवक **प्रदायों के ब्यौरे और धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के अधीन विवरणी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।**

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी माल और सेवा कर व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाइल किए गए अन्य ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पर होगा जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।

अध्याय 10

कर संदाय

49. कर, ब्याज, शास्ति और अन्य रकमों का संदाय ।—

(1) किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड या राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिकी निधि अंतरण या वास्तविक समय समग्र निपटान या किसी ऐसे अन्य ढंग द्वारा कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के लिए किया गया प्रत्येक जमा का ऐसी शर्तों तथा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति की संधारित इलैक्ट्रानिकी नकद खाता में प्रत्यय किया जाएगा।

(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की विवरणी में यथा स्व निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय का उसकी संधारित इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाते, में धारा 41 के अनुसरण में प्रत्यय किया जाएगा ।

(3) इलैक्ट्रानिकी नकद खाते में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या तदधीन न बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।

(4) इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता में उपलब्ध रकम का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन आउटपुट कर दायित्व का संदाय करने के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किया जा सकेगा ।

(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की इलैक्ट्रानिकी प्रत्यय खाता में उपलब्ध—

(क) एकीकृत कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, केंद्रीय कर और राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उस क्रम में संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ख) केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ग) राज्य कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग, राज्य कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(घ) संघ राज्यक्षेत्र कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का पहले उपयोग संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा और शेष रकम, यदि कोई हो, का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर का संदाय करने के लिए किया जाएगा ;

(ङ) केंद्रीय कर के इनपुट कर प्रत्यय की रकम का उपयोग राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ; और

(च) राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का उपयोग केंद्रीय कर का संदाय करने के लिए नहीं किया जाएगा ।

(6) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या संदेय किसी अन्य रकम का संदाय करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक नकद खाता या इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाता रकम में शेष का धारा 54 के उपबंधों के अनुसार प्रतिदाय किया जा सकेगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति के सभी दायित्वों को इलैक्ट्रानिक देयता रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा और उनका ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अनुरक्षण किया जाएगा ।

(8) प्रत्येक कराधेय व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कर और अन्य शोध्यों का निम्नलिखित क्रम में निर्वहन करेगा, अर्थात् :--

(क) पूर्व कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्व निर्धारित कर और अन्य शोध्य ;

(ख) चालू कर कालावधियों से संबंधित विवरणियों के स्व निर्धारित कर और अन्य शोध्य ;

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय कोई अन्य रकम, जिसके अंतर्गत धारा 73 या धारा 74 के अधीन अवधारित मांग भी है ।

(9) प्रत्येक व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन मालों या सेवाओं या दोनों पर कर संदत्त किया है, जब तक कि उसके द्वारा प्रतिकूल न साबित किया जाए, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे कर की पूर्ण रकम को ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता को पास कर दिया है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की जाने की तारीख को इलैक्ट्रानिकी नकद खाता में जमा करने की तारीख समझा जाएगा ;

(ख) पद,--

(i) "कर बकाया" से इस अधिनियम के अधीन संदेय कर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ब्याज, फीस और शास्ति सम्मिलित नहीं है ; और

(ii) "अन्य शोध्य" से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य रकम अभिप्रेत है ।

50. आस्थगित कर संदाय पर ब्याज ।—

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में कर का संदाय करने का दायी है, किंतु सरकार को विहित अवधि के भीतर कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहता है, उस अवधि के लिए जिसके दौरान कर या उसका कोई भाग असंदत्त रहता है, स्वयं, अठारह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए, पर ब्याज का संदाय करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्याज की संगणना उस दिन, जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए शोध्य था, के पश्चात्वर्ती दिन से यथाविहित ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

(3) कोई कराधेय व्यक्ति, जो धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का अनुचित या आधिक्य का दावा करता है या धारा 43 की उपधारा (10) के अधीन आउटपुट कर दायित्व में अनुचित या आधिक्य कटौती का दावा करता है, तो वह,

यथास्थिति, ऐसे अनुचित या आधिक्य दावे या ऐसी अनुचित या आधिक्य कटौती पर केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर ब्याज का संदाय करेगा ।

51. **स्रोत पर कर कटौती ।—**

(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार,--

(क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन को ; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी को ; या

(ग) सरकारी अभिकरणों को ; या

(घ) ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग को, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित किया जाए,

(जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "कटौतीकर्ता" कहा गया है), प्रदायकर्ता (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "जिससे कटौती की गई है" कहा गया है) को कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लिये किए गए संदाय या किए गए प्रत्यय से वहां, जहां ऐसा प्रदाय का कुल मूल्य किसी संविदा के अधीन दो लाख पचास हजार रूपए से अधिक है, के एक प्रतिशत की दर से कर कटौती करने का आदेश दे सकेगी :

परंतु कोई कटौती तब नहीं की जाएगी यदि आप्रदाय का स्थान और में प्रदायकर्ता का स्थान, किसी ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में है जो, प्राप्तिकर्ता के रजिस्ट्रीकरण राज्य या कि यथास्थिति संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न है ।

स्पष्टीकरण—पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट कर की कटौती के प्रयोजन के लिए आप्रदाय के मूल्य को बीजक में उपदर्शित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर, एकीकृत कर और उपकर को विवर्जित करते हुए रकम के रूप में लिया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का कटौतीकर्ता द्वारा उस मास के अंत से दस दिन के भीतर, जिसमें ऐसी कटौती की गई है, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सरकार को संदाय किया जाएगा ।

(3) कटौती करने वाला, जिससे कटौती की जा रही है, को संविदा मूल्य, कटौती की दर, कटौती की गई रकम, सरकार को संदत्त रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि कोई कटौतीकर्ता, जिससे कटौती की जा रही है, को स्रोत पर कर की कटौती करने के पश्चात् सरकार को इस प्रकार कटौती की गई रकम का प्रत्यय करने के पांच दिन के भीतर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कटौतीकर्ता विलंब फीस के माध्यम से ऐसी पांच दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जब तक कि ऐसी असफलता को ठीक नहीं कर लिया जाता है, पांच हजार रूपए की अधिकतम रकम के अधीन रहते हुए, सौ रूपए की राशि का संदाय करेगा ।

(5) जिससे कटौती की जा रही है वह अपने इलैक्ट्रानिक नकद खाता में कटौती किए गए और धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन कटौतीकर्ता की विवरणी में उपदर्शित कर के प्रत्यय का दावा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि कोई कटौतीकर्ता उपधारा (1) के अधीन कर के रूप में कटौती की गई रकम का सरकार को संदाय करने में असफल रहता है तो वह कटौती किए गए कर की रकम के अतिरिक्त धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में ब्याज का संदाय करेगा ।

(7) इस धारा के अधीन व्यतिक्रम की रकम का अवधारण धारा 73 या धारा 74 में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा ।

(8) आधिक्य या त्रुटिपूर्ण कटौती के मद्दे उदभूत कटौती के कटौतीकर्ता या जिससे कटौती की जा रही है, को प्रतिदाय धारा 54 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु कटौतीकर्ता को कोई प्रतिदाय अनुदत्त नहीं किया जाएगा यदि कटौती की गई रकम को, जिससे कटौती की जा रही है, के इलैक्ट्रानिकी नकद खाता **में प्रत्यय कर दिया गया है ।**

52. स्रोत पर कर का संग्रहण ।—

(1) इस अधिनियम में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "प्रचालक" कहा गया है), जो अभिकर्ता नहीं है, के माध्यम से अन्य प्रदायकर्त्ताओं द्वारा की गयी ऐसे कराधेय प्रदायों जिनकी बावत प्रतिफल का संग्रहण प्रचालक द्वारा किया गया है, के शुद्ध मूल्य का एक प्रतिशत **से** अनधिक ऐसी दर, जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार अधिसूचित करे, से संगणित राशि का संग्रहण करेगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयजनों के लिए अभिव्यक्ति ''कराधेय प्रदायों का शुद्ध मूल्य'' से किसी माह में प्रचालक के माध्यम से सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, धारा 9 की उप–धारा (5) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से भिन्न, मालों या सेवाओं या दोनों के कराधेय प्रदायों के संकलित मूल्य में से घटाये गये उक्त माह में प्रदायकर्त्ताओं को वापस किये गये कराधेय प्रदायों का संकलित मूल्य

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करने की शक्ति प्रचालक से किसी एनी ढंग से वसूली को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन संग्रहित रकम का संदाय प्रचालक द्वारा सरकार को उस मास, जिसमें ऐसा संग्रह किया गया था, के अंत से दस दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(4) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके माध्यम से किए जाने वाले मालो या सेवाओं या दोनों की जावक प्रदायों, जिनके अंतर्गत उसके माध्यम से वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा मास के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, में ऐसे मास के अंत से दस दिन के पश्चात् इलैक्ट्रानिकी रूप में एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(5) प्रत्येक प्रचालक, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम का संग्रह करता है, उसके माध्यम से की जाने वाली मालो या सेवाओं या दोनों की जावक प्रदायों, जिसके अंतर्गत उसके माध्यम से वापस की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय हैं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन संगृहित रकम के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्त वर्ष के अंत के पश्चात् 31 दिसंबर से पूर्व इलैक्ट्रानिकी रूप में एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि कोई प्रचालक उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें कोई लोप या गलत विशिष्टियां पाता है, जो कि संवीक्षा, संपरीक्षा, निरीक्षण या कर प्राधिकारियों के प्रवर्तन कार्यकलापों से भिन्न है तो वह ऐसे उस मास, जिसके दौरान ऐसा लोप या गलत विशिष्टियां ध्यान में आई है, के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में लोप या गलत विशिष्टियों को धारा 50 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट ब्याज के संदाय

के अधीन रहते हुए ठीक करेगा :

परंतु ऐसे लोप या गलत विशिष्टियों के ऐसे शुद्ध करने की अनुमतिवित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नीयत तारीख या सुसंगत वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की वास्तविक तारीख, जो भी पूर्वतर हो, के पश्चात् नहीं दी जाएगी।

(7) प्रदायकर्ता, जिसने प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय की है,संगृहित रकम और उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत प्रचालक की विवरणी में उपदर्शित रकम का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,अपनी इलैक्ट्रानिक नकद खाता में प्रत्यय का दावा करेगा ।

(8) उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत प्रदाय के ब्यौरों का इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संबंधित प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाय के तत्स्थानी ब्यौरों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मिलान किया जाएगा ।

(9) जहां उपधारा (4) के अधीन प्रत्येक प्रचालक द्वारा प्रस्तुत जावक प्रदाय के ब्यौरे धारा 37 के अधीन प्रदायकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत तत्स्थानी ब्यौरों के साथ मिलान नहीं करते है तो इस विसंगति की संसूचनादोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, दी जाएगी ।

(10) वह रकम,जिसके संबंध में उपधारा (9) के अधीनकिसी विसंगति की संसूचना दी गई है और जिसको प्रदायकर्ताओं द्वारा विधिमान्य विवरणी में या प्रचालक द्वारा उस मास के विवरण में,जिसमें विसंगति की संसूचना दी गई थी,ठीक नहीं किया जाता है तो उसे उक्त प्रदायकर्ता के उस मास के पश्चात्वर्ती मास की विवरणी में जिसमें विसंगति की सूचना दी गई थी केआउटपुट कर दायित्वमेंऐसी रीति से, जो विहित की जाए,जोड़ा जाएगा जहां प्रचालक द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों का मूल्य प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत बहिर्गामी प्रदायों के मूल्य से,अधिक है ।

(11) संबंधित प्रदायकर्ता, जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा (10) के अधीन कोई रकम जोड़ी गई है, वह ऐसा प्रदाय के संबंध में धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट दर से जोड़ी गई रकम पर उस तारीख से जब ऐसा कर भुगतेय था, से भुगतान की तारीख तक संगणित ब्याज सहित कर का संदाय करेगा ।

(12) उपायुक्त से अन्यून श्रेणी का कोई प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों से पूर्व या उनके क्रम में प्रचालक को निम्नलिखित से संबंधित ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए सूचना की तामील कर सकेगा—

(क) किसी कालावधि के दौरान ऐसे प्रचालक के माध्यम से की गई मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदाय ; या

(ख) ऐसे प्रचालक के माध्यम से प्रदाय कर रहे प्रदायकर्ताओं द्वारा गोदामों या भांडागारों,चाहे किसी भी नाम से वे ज्ञात हों, में रखे मालों का स्टाक, जो प्रचालक द्वारा प्रबंधित हो और ऐसे प्रदायकर्ताओं ने जिसे कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में घोषित किया है,

जो सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(13) प्रत्येक प्रचालक, जिस पर उपधारा (12) के अधीन सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तामील की तारीख से पन्द्रह कार्य दिवस के भीतर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

(14) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (12) के अधीन तामील की गई सूचना द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, धारा 122 के अधीन की जा सकने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति का दायी होगा, जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संबंधित प्रदायकर्ता" पद से प्रचालक के माध्यम से मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय करने वाला प्रदायकर्ता अभिप्रेत है ।

53. इनपुट कर प्रत्यय का अंतरण ।— धारा 49 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कर बकाया **के संदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग,** जो **धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विधिमान्य विवरणी में उपदर्शितहै, किये जाने पर राज्य कर के रूप में संगृहित रकम** से **इस प्रकार उपयोग किए गए प्रत्यय के बराबर रकम** को **घटा दिया जाएगा और राज्यसरकार राज्यकर लेखे से इस प्रकार घटाई गई रकम के समतुल्य रकम को एकीकृत कर लेखे में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर,जो विहित किया जाए, अंतरित करेगी ।**

अध्याय 11

प्रतिदाय

54. कर प्रतिदाय ।—

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी कर और ऐसे कर पर भुगतित **ब्याज, यदि कोई हो तो, या उसके द्वारा** भुगतित **किसी रकम के प्रतिदाय का दावा करता है वह सुसंगत तारीख से दो वर्ष** की समाप्ति **से पूर्व ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा :**

परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 49 की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसरण में इलैक्ट्रानिकी नकद खाता में किसी शेष के प्रतिदाय का दावा करता है वह धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दावा कर सकेगा ।

(2) संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन, जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है, विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जो धारा 55 के अधीन अधिसूचित है, जो उसके द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों परभुगतित **कर के प्रतिदाय का पात्र है, ऐसे प्रतिदाय के लिए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, में उस तिमाही, जिसमें ऐसीप्रदाय प्राप्त की गई थी, के अंतिम दिन से छह मास** की समाप्ति **से पूर्व आवेदन कर सकेगा ।**

(3) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर अवधि के अंत में ऐसे इनपुट कर प्रत्यय का, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, प्रतिदाय का दावा कर सकेगा :

पंरतु निम्नलिखित से भिन्न मामलों में उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय का कोई दावा स्वीकार **नहीं किया जाएगा—**

(i) कर का भुगतान **किए बिना की गई शून्य दर प्रदाय ;**

(ii) जहां इनपुट कर प्रत्यय के संचित होने का कारण इनपुट कर दर की तुलना में आउटपुट आपूर्ति कर दर का उच्चतर होना है (शून्य कर दर एवं पूर्णतः कर मुक्त मामलों को छोड़कर), सिवाय वैसे मालों एवं सेवाओं या दोनों की आपूर्त्ति जो परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

परंतु यह और कि इनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के प्रतिदाय को उन मामलों में स्वीकार **नहीं किया जाएगा जहां भारत से निर्यात किए गए माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है :**

परंतु यह भी कि इनपुट कर प्रत्ययके किसी प्रतिदाय को स्वीकार **नहीं किया जाएगा, यदि मालों या सेवाओं या दोनों का प्रदायकर्ताऐसी प्रदायों पर** भुगतित **एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करता है ।**

(4) आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) यह साबित करने के लिए ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य कि आवेदक को प्रतिदाय देय **है; और**

(ख) ऐसे दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य (धारा 33 में निर्दिष्ट दस्तावेज सहित**) जैसा कि आवेदक यह साबित करने के लिए प्रस्तुत करे कि कर की रकम और ब्याज, यदि कोई है, का संदाय किया गया है या ऐसी किसी रकम का संदाय किया गया है जिसके संबंध में ऐसे प्रतिदाय का दावा किया गया है, उस रकम को उससे** संग्रहित **किया गया था या उसके द्वारा** भुगतित **किया गया था तथा ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास नहीं किया गया है :**

परंतु जहां प्रतिदाय का दावा की गई रकम दो लाख रूपए से कम है,तो आवेदक के लिए कोई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा किंतु वह उसके पास उपलब्ध दस्तावेज या अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा फाइल कर सकेगा कि ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास नहीं किया गया है।

(5) यदि किसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि दावा किए गए प्रतिदाय की संपूर्ण रकम या उसके किसी भाग का प्रतिदाय किया जा सकता है तो वह तदनुसार आदेश करेगा और इस प्रकार अवधारित रकम का धारा 57 में निर्दिष्ट निधि में जमा **करेगा ।**

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा शून्य-दर वाले **मालों या सेवाओं या दोनों के प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में** औपबंधिक **आधार पर दावा की गई रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा की विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय के निपटान के लिए अंतिम आदेश करेगा ।**

(7) उचित अधिकारी उपधारा (5) के अधीन सभी परिप्रेक्ष्यों में संपूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(8) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रतिदेय रकम का निधि में जमा **किए जाने के स्थान पर आवेदक को** भुगतान **किया जाएगा यदि ऐसी रकम**

निम्नलिखित से संबंधित है—

(क) शून्य-दरवालेमालों या सेवाओं या दोनों या इनपुट या इनपुट सेवाओं जिनका उपयोग ऐसी शून्य-दर वाले प्रदायोंके लिए किया गया है, पर संदत्त कर का प्रतिदाय ;

(ख) उपधारा (3) के अधीनइनपुट कर प्रत्यय, जिसका उपयोग नहीं किया गया है, का प्रतिदाय ;

(ग) ऐसेप्रदाय पर भुगतित कर का प्रतिदाय, जिसको या तो पूर्णत: या अंशतः उपलब्ध नहीं कराया गया है और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है या जहां कोई प्रतिदाय वाउचर जारी किया गया है ;

(घ) धारा 77 के अनुसरण में कर का प्रतिदाय ;

(ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा भुगतित कोई रकम, यदि उसने ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को पास नहीं किया हो ; या

(च) आवेदकों के ऐसे अन्य वर्ग, जैसा कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, द्वारा चुकाया जाने वाला कर या ब्याज ।

(9) अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सिवाय उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसरण के,कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।

(10) जहां किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (3) के अधीन कोईप्रतिदाय देय है, जिसने कोई विवरणी प्रस्तुत करने में चूक किया है या जिससे कोई कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान किए जाने की अपेक्षा है, जिस पर किसी न्यायालय, अधिकरण या अपील प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट तारीख तक कोई रोक नहीं लगाई है, उचित अधिकारी—

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा विवरणी प्रस्तुत करने या यथास्थिति, कर,ब्याज या शास्ति का भुगतान किए जाने तक देय प्रतिदाय के भुगतान को रोक सकेगा ;

(ख) देयप्रतिदाय में से किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम की, जिसका भुगतान करने के लिए कराधेय व्यक्ति दायी है किंतु जो इस अधिनियम या विद्यमान विधि के अधीन अभुगतित रहती है, कटौती कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट तारीख" से इस अधिनियम के अधीन अपील फाइल करने की अंतिम तारीख अभिप्रेत है ।

(11) जहां कोई आदेश जिससे प्रतिदाय उद्भूत हुआ है किसी अपील या अग्रत्तर कार्यवाहियों की विषय-वस्तु है या जहां इस अधिनियम के अधीन अन्य कार्यवाहियां लंबित हैं और आयुक्त का यह मत है कि ऐसा प्रतिदाय अनुदत्त करने से उक्त अपील या अन्य कार्यवाही में अपकरण या किए गए कपट के कारण राजस्व के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है तो वह कराधेय व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रतिदाय को उस समय तक, जैसा वह अवधारित करे, विधारित कर सकेगा ।

(12) जहां उपधारा (11) के अधीन किसी प्रतिदाय को विधारित किया गया है तो धारा 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कराधेय व्यक्ति परिषद् की सिफारिशों पर यथा अधिसूचित छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज का हकदार होगा यदि अपील या और कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप वह प्रतिदाय का हकदार हो जाता है ।

(13) इस धारा में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा

जमा की गई अग्रिम कर की रकम का तब तक प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने उस समस्त कालावधि के लिए, जिसके लिए उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है, के प्रवृत्त रहने की अवधि के लिए धारा 39 के अधीन अपेक्षित सभी विवरणियां दाखिल न कर दी हो ।

(14) इस धारा में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन किसी प्रतिदाय का आवेदक को संदाय नहीं किया जाएगा यदि रकम एक हजार रूपए से कम है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(1) "प्रतिदाय" में शून्य-दर मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय या ऐसे शून्य दर प्रदायों को करने के लिए उपयोग किए गए इनपुटों या इनपुट सेवाओं के लिए कर का प्रतिदाय या समझे गए निर्यात के रूप में मालों की प्रदाय पर कर प्रतिदाय या उपधारा (3) के अधीन यथाउपबंधित उपयोग न किया गया इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय सम्मिलित है ।

(2) "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(क) भारत से निर्यात किए गए मालों की दशा में, यथास्थिति, जहां स्वयं ऐसे मालों के लिए या ऐसे मालों में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में भुगतित कर का प्रतिदाय उपलब्ध है,--

(i) यदि मालों का निर्यात समुद्र या वायु मार्ग द्वारा किया जाता है तो वह तारीख जिसको पोत या वह वायुयान, जिसमें ऐसे मालों की लदाई की जाती है, भारत छोड़ता है ; या

(ii) यदि मालों का निर्यात भूमि मार्ग से किया जाता है तो वह तारीख जिसको ऐसे माल सीमा से गुजरते हैं ; या

(iii) यदि मालों का निर्यात डाक द्वारा किया जाता है तो संबंधित डाकघर द्वारा भारत से बाहर स्थान को मालों के पारेषण की तारीख ;

(ख) मालों के प्रदाय कोनिर्यात समझे जाने की दशा में जहां भुगतित कर का प्रतिदाय मालों के संबंध में उपलब्ध है, वह तारीख जिसको ऐसे समझे गए निर्यातों के संबंध में विवरणी प्रस्तुत की गई है ;

(ग) भारत से बाहर सेवाओं के निर्यात की दशा में जहां भुगतित कर का प्रतिदाय, यथास्थिति, सेवाओं के लिए स्वयं या ऐसी सेवाओं में उपयोग किए गए इनपुट या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपलब्ध है तो निम्नलिखित की तारीख—

(i) संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संदाय की रसीद, जहां सेवाओं की प्रदाय को ऐसे संदाय की प्राप्ति से पूर्व पूरा कर लिया गया है ; या

(ii) बीजक जारी करना, जहां सेवाओं के लिए संदाय कीबीजक जारी करने से पूर्व अग्रिम में प्राप्त कर लिया गया था ;

(घ) उस दशा में जहां कर किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के परिणामस्वरूप कर प्रतिदेय हो जाता है तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निदेश के संसूचनकी तारीख ;

(ङ) उपधारा (3) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय की दशा में उस वित्त वर्ष का अंत, जिसमें ऐसे प्रतिदाय का दावा उदभूत

होता है ;

(च) उस दशा में, जहां कर का अनंतिम रूप से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन भुगतान **किया जाता है तो कर के अंतिम निर्धारण के पश्चात् समायोजन की तारीख ;**

(छ) प्रदायकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में ऐसे व्यक्ति द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति की तारीख ; और

(ज) किसी और दशा में कर के भुगतान **की तारीख ।**

55. कतिपय मामलों में प्रतिदाय । सरकार परिषद् की सिफारिशों पर,अधिसूचना द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेषीकृत अभिकरण या कोई अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन,जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 के अधीन अधिसूचित है,विदेशी राज्यों के कन्सुलेट या दूतावास या कोई अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग,जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं,जो कि ऐसे निबंधनों और शर्तों,जो विहित की जाए,के अधीन रहते हुए उनके द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों की अधिसूचित प्रदाय पर भुगतित **कर के प्रतिदाय का दावा करने का हकदार होंगे ।**

56. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज ।— यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के समाप्ति के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज भुगतेय **होगा :**

परंतु जहां प्रतिदाय के लिए कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश,जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप पारित आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के समाप्ति **के पश्चात् की तारीख से ऐसा प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज** भुगतेय **होगा ।**

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन उचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश माना जाएगा ।

57. उपभोक्ता कल्याण निधि ।— सरकार उपभोक्ता कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी और उस निधि में निम्नलिखित को जमा **किया जाएगा—**

(क) धारा 54 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट रकम ;

(ख) निधि में जमा **की गई रकम के विनिधान से कोई आय ; और**

(ग) उसके द्वारा प्राप्त ऐसी अन्य धनराशियां ।

58. निधि का उपयोग ।—

(1) निधि में जमा **की गई सभी राशियों का सरकार द्वारा उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।**

(2) सरकार या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी निधि के संबंध में उचित और पृथक् लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से यथाविहित प्ररूप में तैयार करेगा ।

अध्याय 12

कर निर्धारण

59. स्वत: निर्धारण ।— प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन संदेय करों का स्वत: निर्धारण करेगा और धारा 39 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रत्येक करावधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

60. अनंतिम निर्धारण ।—

(1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कराधेय व्यक्ति मालों या सेवाओं या दोनों के मूल्य का अवधारण करने में या उसको लागू कर की दर का अवधारण करने में असमर्थ है तो वह उचित अधिकारी कोलिखित में औपबंधिक आधार पर कर के भुगतान **के कारणों को देते हुए अनुरोध करेगा और उचित अधिकारी ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन से अपश्चात् अवधि के भीतर औपबंधिक आधार पर ऐसी दर पर या ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर के** भुगतान **को अनुज्ञात करेगा ।**

(2) औपबंधिक आधार पर कर के भुगतान **को अनुज्ञात किया जा सकेगा यदि कराधेय व्यक्ति विहित प्ररूप मे एकबंध-पत्र और ऐसा प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूति, जो उचित अधिकारी उचित समझे, जो कराधेय व्यक्ति को अंतिम रूप से निर्धारित कर और** औपबंधिक **रूप से निर्धारित कर की रकम के बीच के अंतर का** भुगतान **करने के लिए बाध्य करती हो, निष्पादित करता है ।**

(3) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन जारी आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास से अनधिक अवधि के भीतर कर **निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए यथा अपेक्षित ऐसी सूचना को** विचार **में लेने के पश्चात् अंतिम निर्धारण आदेश पारित करेगा :**

परंतु इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि को पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर और कारणों को लेखबद्ध करते हुए संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की और अवधि के लिए तथा आयुक्त द्वारा चार वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मालों या सेवाओं की प्रदाय या दोनों पर औपबंधिक **निर्धारण के अधीन संदेय कर, किंतु जिसका** भुगतान **धारा 39 की उपधारा (7) या तद्धीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट नियत तारीख तक नहीं किया गया है, पर धारा 50 की उपधारा (1) के**

अधीन निर्दिष्ट दर पर मालों या सेवाओं या दोनों की उक्त प्रदाय के संबंध में कर का भुगतान करने की नियत तारीख के पश्चात् वास्तविक भुगतान की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का दायी होगा चाहे ऐसी रकम का भुगतान अंतिम निर्धारण के लिए आदेश जारी करने से पूर्व या पश्चात् किया गया हो ।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन अंतिम निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय का हकदार हो जाता है तो धारा 54 की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्रतिदाय पर धारा 56 में यथा उपबंधित ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

61. विवरणियों की संवीक्षा ।—

(1) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरणी और संबंधित विशिष्टियों के सही होने का सत्यापन करने के लिए संवीक्षा करेगा और ध्यान में आई विसंगतियों, यदि कोई हों, की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में सूचना देगा तथा उस पर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

(2) स्पष्टीकरण के स्वीकार्य पाए जाने की दशा में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा और इस संबंध में कोई और कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

(3) उचित अधिकारी द्वारासूचित किए जाने के तीस दिन की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि,जो उसके द्वारा मंजूर की जाए,में समाधानप्रद स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की दशा में या जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विसंगतियों को स्वीकार करने के पश्चात् उस मास की विवरणी में,जिसमें विसंगति स्वीकार की गई थी,सुधारकारी उपाय करने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी समुचित कार्रवाई आरंभ कर सकेगा,जिसके अंतर्गत धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 के अधीन कार्रवाईयां हैं या धारा 73 या धारा 74 के अधीन कर और अन्य बकाया का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

62. विवरणियों को फाइल नहीं करने वाले का निर्धारण ।—

(1) धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को विचार में लेने के पश्चात् और अपनी सर्वोत्तम विवेक से उक्त व्यक्ति का कर निर्धारण करेगा तथा वित्त वर्ष, जिससे अभुगातित कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से

तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के भुगतान या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व जारी रहेगा ।

63. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का निर्धारण ।— धारा 73 या धारा 74 में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी जहां कोई कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में असफल रहता है या जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन रद्द कर दिया गया है किंतु जो कर का संदाय करने का दायी था तो उचित अधिकारी उपलब्ध तात्विक सामग्री या वह सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को विचार में लेने के पश्चात् और अपनी सर्वोत्तम जानकारी से उक्त व्यक्ति का करेगा तथा वित्त वर्ष, जिससे अभुगातित कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण का आदेश जारी करेगा :

परंतु व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान किए बिना ऐसा कोई निर्धारण आदेश नहीं किया जाएगा ।

64. कतिपय विशेष मामलों में त्वरित निर्धारण ।—

(1) उचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करते हुए निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलंब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परंतु यदि कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकने और ऐसा दायित्व मालों की प्रदाय से सम्बंधित होने की दशा में ऐसे मालों के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन देय अन्य रकम का भुगतान करने का दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वयं अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश को रद्द कर देगा और धारा 73 और धारा 74 में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

अध्याय 13

लेखापरीक्षा

65. कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा ।—

(1) आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की ऐसी कालावधि, ऐसी आवृत्ति और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखापरीक्षा कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के स्थान या अपने कार्यालय में लेखापरीक्षा का संचालन कर सकेंगे ।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम पन्द्रह कार्य दिवस पूर्व विहित रीति से सूचित किया जायेगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन लेखापरीक्षा को लेखापरीक्षा के आरंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा :

परंतु जहां आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में लेखापरीक्षा तीन मास के भीतर पूरी नहीं की जा सकती है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए अधिकतम **छह मास** की और अवधि **के लिए कालावधि का विस्तार कर सकेगा ।**

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “लेखापरीक्षाका आरंभ” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख **को कर प्राधिकारियों द्वारा मांगे गए अभिलेख और दस्तावेज रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपलब्ध करा दिए जाते हैं याकारबार के स्थान पर, लेखापरीक्षा के वास्तविक आरंभ** की तारीख, **इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हों**।

(5) लेखापरीक्षा के प्रक्रम में प्राधिकृत अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा कर सकेगा,--

(i) **उसकी अपेक्षानुसार लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना ;**

(ii) **उसे ऐसी जानकारी, जो वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की तथा लेखापरीक्षा के समय पर पूर्ण करने के लिए सहायता प्रदान करने की ।**

(6) लेखापरीक्षा के पूर्ण होने पर उचित अधिकारी तीस दिन के भीतर उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसके अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई है, निष्कर्षों, उसके अधिकारों और बाध्यताओं तथा ऐसे निष्कर्षों के कारणों से सूचित करेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या

इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो उचित अधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

66. विशेष लेखापरीक्षा ।—

(1) यदि संवीक्षा, जांच, अन्वेषण या उसके समक्ष किन्हीं अन्य कार्यवाहियों के प्रक्रम में सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्यून अधिकारी का मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित में यह मत है कि मूल्य की सही रूप से घोषणा नहीं की गई है या लिया गया प्रत्यय सामान्य सीमाओं के भीतर नहीं है तो वह आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लिखित संसूचना द्वारा उसके अभिलेखों, जिसके अंतर्गत लेखा बहियां भी हैं, की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार, जैसा कि आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, से जांच करवाने और लेखापरीक्षा करवाने का निदेश दे सकेगा ।

(2) इस प्रकार नामनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार नब्बे दिन की कालावधि के भीतर ऐसी लेखापरीक्षा की उसके द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और प्रमाणित रिपोर्ट जिसमे अन्य विशिष्टियों का वर्णन करते हुए, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, उक्त सहायक आयुक्त को प्रस्तुत करेगा :

परंतु सहायक आयुक्त उसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंटया लागत लेखाकार द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी तात्विक और पर्याप्त कारण से उक्त कालावधि का नब्बे दिन की और कालावधि से विस्तार कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के उपबंध इस बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखाओं की लेखापरीक्षा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन की गई है ।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन विशेष लेखापरीक्षा के आधार पर एकत्रित किसी सामग्री, जिसका इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, के संबंध में सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिलेखों की जांच और लेखापरीक्षा के खर्च जिसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंटया लागत लेखाकार का पारिश्रमिक भी है, का आयुक्त द्वारा निर्धारण और भुगतान किया जाएगा तथा ऐसा निर्धारण अंतिम होगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन संचालित लेखापरीक्षा का परिणाम कर का संदाय न करना का पता लगने या कम कर संदत्त किए जाने या त्रुटिवश प्रतिदाय किए जाने या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लेने या उपयोग करने के रूप में होता है तो उचितअधिकारी धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्रवाई आरंभ करेगा ।

अध्याय 14

निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तारी

67. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।—

(1) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) जहां किसी कराधेय व्यक्ति ने मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय अपने पास रखे गए मालों के स्टाक के संबंध में किसी संव्यवहार को छिपाया है या इस अधिनियम के अधीन उसकी हकदारी से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया है या वह कर अपवंचन के लिए इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन में लिप्त रहा है; या

(ख) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति या किसी भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान का स्वामी या प्रचालक ऐसे मालों को रख रहा है जिन पर कर का संदाय नहीं किया गया है या उसने अपने लेखाओं या मालों को ऐसी रीति में रखा है जिससे इस अधिनियम के अधीन देय कर का अपवंचन होने की संभावना है,

तो वह लिखित में राज्यकर के किसी अधिकारी को कराधेय व्यक्ति के कारबार या मालों के परिवहन के कारबार में लगे हुए व्यक्तियों या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थान के प्रचालक या स्वामी के किसी स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) जहां संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से अन्यून उचित अधिकारी के पास या तो उपधारा (1) के अधीन किए गए निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि कोई माल जो अधिहरण के लिए दायी है या कोई दस्तावेज या बहियां या चीजें, जो उसके मत में इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, जिन्हें किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है तो वह राज्य कर के किसी अन्य अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या ऐसे मालों, दस्तावेजों या बहियों या चीजों की तलाशी ले सकेगा और अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां ऐसे मालों को अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है तो समुचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी मालों के स्वामी या अभिरक्षक पर एक आदेश तामिल कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय मालों को नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उनसे व्यौहार नहीं करेगा :

परंतु इस प्रकार अभिग्रहण किए गए दस्तावेज या बहियां या चीजें ऐसे अधिकारी द्वारा केवल तब तक प्रतिधारित की जाएंगी जब तक वह उनकी परीक्षा के लिए और इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के लिए आवश्यक हैं ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज या बहियां या चीजें या कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज बहियां या चीजें जिन्हें इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सूचना जारी करने के लिए आधार नहीं बनाया गया

है, को ऐसे व्यक्ति को उक्त सूचना जारी करने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर वापस कर दिया जाएगा ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने की या तोड़ने की या किसी अलमारी, इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक, जिसमें व्यक्ति के कोई माल, लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजों को छिपाए जाने का संदेह है, जहां ऐसे परिसर, अलमारी,इलैक्ट्रानिकी युक्ति, बाक्स, संदूक तक उसके पहुंच को रोका जाता है, वहां उन्हें तोड़कर खोल सकेगा ।

(5) वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (2) के अधीन किन्हीं दस्तावेजों को अभिग्रहण किया गया है, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में ऐसे स्थान और ऐसे समय जो ऐसा अधिकारी इस निमित्त उपदर्शित करे, सिवाय जहां ऐसी प्रतियां बनाना या ऐसा उद्धरण लेना समुचित अधिकारी के मत में जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, लेने का हकदार होगा ।

(6) उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार अभिग्रहण किया गया माल औपबंधिक आधार पर बंधपत्र निष्पादित करने पर और क्रमश: ऐसी रीति और ऐसे मात्रा की प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, जो विहित की जाए, या यथास्थिति, लागू कर, ब्याज और संदेय शास्ति के संदाय पर निर्मुक्त किया जा सकेगा ।

(7) जहां उपधारा (2) के अधीन किन्हीं मालों का अभिग्रहण किया गया है और मालों के अभिग्रहण से छह मास की अवधि के भीतर उनके संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है तो मालों को उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा जिसके कब्जे से उनका अभिग्रहण किया गया था :

परंतु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर छह मास की अवधि का उचित अधिकारी द्वारा अधिकतम छह मास की और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा ।

(8) सरकार, शीघ्र नष्ट होने या खतरनाक या, समय के साथ मालों के मूल्य में अवक्षयण होने वाली प्रकृति के मालों या मालों के लिए भंडारण स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत विचारणों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा मालों या मालों के ऐसे वर्ग को, जिसका उचित अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण के पश्चात्यथासंभव शीघ्र निपटान किया जाएगा, निर्दिष्ट कर सकेगी ।

(9) जहां कोई माल, जो उपधारा (8) के अधीन विनिर्दिष्ट माल है, जिनका उचित अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वाराउपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किया गया है, वह ऐसे मालों की ऐसी रीति में , जो विहित की जाए, एक सूची तैयार करेगा ।

(10) तलाशी और अभिग्रहण के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 उपधारा (5) में "मजिस्ट्रेट" शब्द, जहां-जहां वह आता है, के स्थान पर "आयुक्त" शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया था ।

(11) जहां समुचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि व्यक्ति ने कर का अपवंचन किया है या वह किसी कर के संदाय के अपवंचन का प्रयास कर रहा है, वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे व्यक्ति के लेखाओं, रजिस्टरों या दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा और उनपर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अभियोजन के लिए कार्यवाहियों के संबंध में जब तक आवश्यक हो, अभिग्रहण बनाये रखेगा ।

(12) आयुक्त या उसके द्‌वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति द्‌वारा मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के सम्बन्ध में कर बीजक या प्रदाय का बिल के निर्गमन की जाँच करने के उद्देश्य से उसके कारबार परिसर से माल या सेवाओं या दोनों का क्रय कर सकेगा और ऐसे अधिकारी द्‌वारा इस प्रकार क्रय किए गए मालों के वापस करने पर कारबार परिसर का प्रभारी व्यक्ति इस प्रकार संदत्त रकम का पूर्व में जारी कर बीजक या बिल को रद्द करने के पश्चात् प्रतिदाय करेगा ।

68. संचलन में मालों का निरीक्षण ।—

(1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्‌वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मालों के परिवहन करने वालेवाहन के प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों की, जो विहित की जाए, रखे जाने की अपेक्षा कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन वहन किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(3) जहां उपधारा (1)में निर्दिष्ट किसी परिवहन को किसी स्थान पर उचित अधिकारी द्‌वारा रोक लिया जाता है तो वह उक्त वाहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधाराके अधीनविहित दस्तावेजों और युक्तियों की सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों के प्रस्तुत करने का दायी होगा तथा मालों के निरीक्षण करवाने की भी स्वीकृति देगा।

69. गिरफ्तार करने की शक्ति ।

(1) जहां आयुक्त के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि किसी व्यक्ति ने धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किया है जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या उपधारा (2)के अधीन दंडनीय है तो वह आदेश द्‌वारा राज्यकर के किसी अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार से अवगत करवाएगा और उसे चौबीस घंटें के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,--

(क) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मंजूर की जाएगी या जमानत के व्यतिक्रम की दशा में मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा के लिए अग्रेषित किया जाएगा ;

(ख) असंज्ञेय और जमानतीय अपराध की दशा में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर या अन्यथा निर्मुक्त करने के लिए किसी उपायुक्त या सहायक आयुक्त के पास वहीं शक्तियां होंगी जो किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति के पास होती हैं और वह उन्ही उपबंधों के अधीन रहेगा जिनके अधीन किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी व्यक्ति होता है।

70. व्यक्तियों को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन करने की शक्ति ।-

(1) इस अधिनियम के अधीन उचित अधिकारी को किसी व्यक्ति को समन करने की, जिसकी उपस्थिति को किसी जांच में वह साक्ष्य देने के लिए या किसी दस्तावेज या किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है, उसी रीति में शक्ति सन्निहित होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय को दी गई है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी जांच को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत "न्यायिक कार्यवाहियां" समझा जाएगा ।

71. कारबार परिसरों तक पहुंच।-

(1) संयुक्त आयुक्त से अन्यून उचित अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कारबार के किसी स्थान तक, लेखाबहियां, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर साफ्टवेयर, चाहे किसी कंप्यूटर में प्रतिष्ठापित हो या अन्यथा, अपेक्षित अन्य ऐसी चीजों जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों, लेखापरीक्षा, संवीक्षा, सत्यापन और जांच के लिए **जो राजस्व के** हितार्थ **आवश्यक हो, तक पहुंच होगी ।**

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति मांग किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को या उचित अधिकारी द्वारा तैनात लेखा परीक्षा दल या धारा 66 के अधीन निर्दिष्ट लागत लेखाकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट को निम्नलिखित—

(i) **ऐसे अभिलेख, जिन्हें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया या रखा गया है और उचित अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, घोषित किया गया है** ;

(ii) **कच्चा चिट्ठा या उसका समतुल्य** ;

(iii) **वार्षिक वित्तीय लेखे,** सम्यक् रूप से अंकेक्षित, **जहां अपेक्षित हो** ;

(iv) **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो** ;

(v) **आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44क ख के अधीन आय-कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो ; और**

(vi) **कोई अन्य सुसंगत अभिलेख,**

अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार द्वारा संवीक्षा करने के लिए उस दिन से,जबऐसी मांग की गई थी,पन्द्रह कार्य दिवस से अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी और अधिक **अवधि,जो उक्त अधिकारी या लेखा परीक्षा दल या चार्टर्ड लेखाकार या लागत लेखाकार द्वारा** मंजूर **की जाए,उपलब्ध कराएगा ।**

72. उचित अधिकारियों की सहायता के लिए अधिकारी।-

(1) पुलिस, रेल, सीमाशुल्क और भू-राजस्व के संग्रहण में लगे हुए अधिकारी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अधिकारी हैं, केंद्रीय कर के अधिकारी और संघ राज्यक्षेत्र कर के अधिकारी, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में उचित अधिकारियों की सहायता करेंगे ।

(2) सरकार अधिसूचना के माध्यम से अधिकारियों के किसी अन्य वर्ग को सशक्त करते हुए इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उनसे, आयुक्त द्वारा कहे जाने की दशा में, उचित अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगी ।

अध्याय 15

मांग और वसूली

73. कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से असंदत्त कर या कम संदत्त करया त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।—

(1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कपट या जानबूझ कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए कर तथ्यों को छिपाए जाने से भिन्न किसी कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया या उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उदग्रहणीय शास्ति का संदाय करे ।

(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न किन्ही कालावाधिओं मेंसंदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए या उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए प्रयुक्त आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा ।

(5) कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति,उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के अवधारणा पर या उचित अधिकारी के अवधारणा पर कर का संदाय कर सकेगा और उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) उचित अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए यथास्थिति,उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप

से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करेगा।

(8) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का कारण बताओ सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) समुचित अधिकारीकर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के समतुल्य रकम या दस हजार रूपए, जो भी अधिक हो, के बराबर शक्ति निर्धारित करेगा जो ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतेय होगा और एक आदेश जारी करेगा ।

(10) समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को उस वित्त वर्ष, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था या त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया गया था, के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(11) उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वत: निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की निर्धारित तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है ।

74. कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन या छिपाने के कारण से असंदत्त कर या कम संदत्त करया त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का निर्धारण ।—

(1) जहां उचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाए जाने के कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया या उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताओ सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और सूचना में निर्दिष्ट कर की राशी के समतुल्य राशि के शास्ति का संदाय करे ।

(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, उपधारा (10) में आदेश जारी करने के लिए में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से कम से कम छहमास पूर्व जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है तो उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न किन्ही कालावाधिओं में संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए या उपभोग किये गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर उपधारा (3) **के अधीन विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली ऐसी कर अवधियों के लिए** प्रयुक्त **आधार, कपट या कोई मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर तथ्यों को छिपाए जाने के सिवाय, वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, धारा ७३ की उपधारा** (1) **के अधीन सूचना की तामील समझा जाएगा ।**

(5) कर से प्रभार्य व्यक्तिउपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व धारा 50 के अधीन उसके द्वारा संदेय ब्याज के साथ कर की रकम का अपने स्वयं के अवधारणा पर याउचित अधिकारी के अवधारणा पर कर तथा ऐसे कर पर पंद्रह प्रतिशत के दर से संगणित शास्ति का संदाय कर सकेगा और उचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा ।

(6) उचितअधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन संदेय किसी शास्ति के लिए उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील नहीं करेगा ।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करेगा।

(8) जहां उपधारा (1)के अधीन कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा ।

(9) उचित अधिकारीकर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय **कर की रकम, ब्याज और शास्ति का अवधारण करेगा और आदेश जारी करेगा ।**

(10) समुचित अधिकारीउपधारा (9) के अधीन आदेश को उस वित्त वर्ष, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था या **त्रुटिवश प्रतिदाय प्राप्त किया गया था, के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।**

(11) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपधारा (9) के अधीन आदेश तामील की गई है, धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ कर और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के समतुल्य शास्ति का आदेश की संसूचना के तीस दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 1—धारा 73 **और इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--**

(i) **"उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी** ;

(ii) **जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है और ऐसी कार्यवाहियों को धारा 73 या धारा 74 के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है तो धारा 122, धारा 125, धारा 129 और धारा 130 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ**

समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,"छिपाना" पद से ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिन्हें कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को उचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता अभिप्रेत होगा ।

75. कर अवधारण के संबंध में साधारण उपबंध ।—

(1) जहां किसी सूचना की तामील या आदेश के जारी करने पर किसी न्यायालय या अपील अधिकरण द्वारा रोक लगा दी जाती है तो ऐसी रोक की अवधि को, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) तथा धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की संगणना करने से विवर्जित किया जाएगा ।

(2) जहां कोई अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन निर्गत सूचना इस कारण से मान्य नहीं है कि कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या कर अपवंचन के लिए तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा संदेय कर का यह मानते हुए अवधारण करेगा कि धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी की गई थी ।

(3) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में किसी आदेश को जारी करने की अपेक्षा है तो ऐसा आदेश उक्त निदेश की संसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा ।

(4) सुने जाने के अवसर को वहां प्रदान किया जाएगा जहां कर या शास्ति से प्रभार्य व्यक्ति का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है या जहां ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय अपेक्षित है ।

(5) उचित अधिकारी यदि कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा पर्याप्त कारण उपदर्शित किया जाता है तो उक्त व्यक्ति को समय प्रदान करेगा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए सुनवाई को स्थगित कर देगा :

परंतु ऐसा कोई स्थगन कार्यवाहियों के दौरान किसी व्यक्ति को तीन बार से अधिक प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(6) उचित अधिकारी अपने आदेश में सुसंगत तथ्यों तथा निर्णय के आधार का अधिकथन करेगा ।

(7) आदेश में मांग किए गए कर, ब्याज और शास्ति की रकम सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होगी और सूचना में विनिर्दिष्ट आधारों के किसी अन्य आधार पर किसी मांग की पुष्टि नहीं की जाएगी ।

(8) जहां अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय समुचित अधिकारी द्वारा अवधारित कर की रकम को परिवर्तित करता है तो ब्याज और शास्ति की रकम भी इस प्रकार परिवर्तित कर की रकम को विचार में लेते हुए तदनुसार परिवर्तित हो जाएगी ।

(9) कम संदत्त किए गए या संदत्त नहीं किए गए कर पर ब्याज संदेय होगा चाहे कर दायित्व का अवधारण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं ।

(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) में यथाउपबंधित तीन वर्ष के भीतर या धारा 74 की उपधारा (10) में

यथाउपबंधित पांच वर्ष के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है ।

(11) कोई मुद्दा, जिस पर अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा अपना विनिश्चय लिया गया है जो किन्हीं अन्य कार्यवाहियों में राजस्व के हित के प्रतिकूल है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील लंबित है तो अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख या अपील अधिकरण और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच की कालावधि को धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) में निर्दिष्ट कालावधि की संगणना करने में वहां विवर्जित किया जाएगा जहां कार्यवाहियां उक्त धाराओं के अधीन कारण बताओ सूचना जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं ।

(12) धारा 73 या धारा 74 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी के अनुसार स्वत: निर्धारित कर की कोई रकम पूर्णत: या अंशतः अभुगतित रहती है या ऐसे कर पर संदेय ब्याज की कोई रकम अभुगतित रहती है तो उसकी धारा 79 के उपबंधों के अधीन वसूली की जाएगी ।

(13) जहां धारा 73 या धारा 74 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की जाती है तो उसी कृत्य या लोप के लिए उसीव्यक्ति पर इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगी ।

76. संगृहित किंतु सरकार को संदत्त न किया गया कर ।—

(1) अपील प्राधिकरण या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश या निदेश में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी अन्य व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कर के रूप में किसी रकम का संग्रह किया है और उक्त रकम का सरकार को संदाय नहीं किया है तो वह तुरंत इस बात के होते हुए कि वह प्रदाय, जिनके संबंध में ऐसी रकम का संग्रह किया गया है, कराधेय है या नहीं, उक्त रकम का सरकार को संदाय करेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी रकम का सरकार को संदाय किया जाना अपेक्षित है और जिसका संदाय नहीं किया गया है तो उचित अधिकारी ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति को कारण बताओ सूचना सूचना जारी करेगा कि सूचना में यथा विनिर्दिष्ट उक्त रकम को उसके द्वारा सरकार को संदाय क्यों नहीं किया जाना चाहिए तथा सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के समतुल्य शास्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उस पर अधिरोपित क्यों नहीं की जानी चाहिए ।

(3) समुचित अधिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, के अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय रकम का निर्धारण करेगा और तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने के अतिरिक्त उस पर धारा 50 के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर उसके द्वारा संगृहित रकम की तारीख से सरकार को ऐसी रकम का संदाय करने की तारीख तक ब्याज का संदाय करने का भी दायी होगा ।

(5) वहां सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा जहां ऐसे व्यक्ति से, जिसको कारण बताओ **सूचना जारी की गई है, लिखित अनुरोध प्राप्त होता है ।**

(6) समुचित अधिकारी सूचना जारी करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा ।

(7) जहां आदेश जारी करने पर न्यायालय या अपील अधिकरण के किसी आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है तो ऐसी रोक की कालावधि को एक वर्ष की कालावधि की संगणना करने में विवर्जित किया जाएगा ।

(8) समुचित अधिकारी अपने आदेश में अपने विनिश्चय के सुसंगत कारणों को अधिकथित करेगा ।

(9) उपधारा (1) याउपधारा (3) के अधीन सरकार को संदत्त रकम का उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रदायों के संबंध में व्यक्ति द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजन किया जाएगा ।

(10) जहां उपधारा (9) के अधीन समायोजन के पश्चात् कोई आधिक्य शेष बचता है तो ऐसे आधिक्य की रकम का या तो निधि में प्रत्यय किया जाएगा या उस व्यक्ति को प्रतिदाय किया जाएगा जिसने ऐसी रकम को चुकाया है ।

(11) वह व्यक्ति, जिसने रकम को चुकाया है, धारा 54 के उपबंधों के अनुसार उसका प्रतिदाय करने के लिए आवेदन कर सकेगा ।

77. गलती से संगृहित किया गया और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संदत्त किया गया कर ।—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा राज्यान्तर्गतप्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर केंद्रीय कर और राज्य कर संदत्त किया है किंतु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से अंतर्राज्यिकप्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, को इस प्रकार संदत्त रकम का ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रतिदाय किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने उसके द्वारा अंतर्राज्यिकप्रदाय समझे जाने वाले किसी संव्यवहार पर एकीकृत कर संदत्त किया है किन्तु जिसे पश्चात्वर्ती रूप से राज्यान्तर्गतप्रदाय अभिनिर्धारित किया गया है, से, यथास्थिति, संदेय राज्य कर की रकम पर ब्याज का संदाय करने की अपेक्षा नहीं होगी ।

78. वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना ।— इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तामील की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परंतु जहां उचित अधिकारीराजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा ऐसी तीन मास से कम विनिर्दिष्टकालावधि के भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

79. कर की वसूली ।—

(1) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल कर सकेगा ,

अर्थात् :--

(क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को देय किसी रकम को वैसे पैसे से जिस पर उसका स्वामित्व हो और **उचित** अधिकारी या अन्य किसी विनिर्दिष्ट आधिकारी के नियंत्रण में हो, **से इस प्रकार कटौती** कर सकेगा **या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से** उस **रकम की कटौती करने की अपेक्षा** कर सकेगा।

(ख) उचित अधिकारी भुगतेय राशि की वसूली या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से उस राशि की वसूली की अपेक्षा उस व्यक्ति के मालों **जो** की **उचित** या अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रण में हो, को **निरुद्ध और** विक्रय करके कर सकेगे।

(ग) (i) उचित अधिकारी, लिखित सूचना के द्वारा, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को कोई धन सोध्य है या हो सकता है या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके मद् कोई धन धारण करता है या पश्चात्वर्ती रूप में धारण कर सकेगा, निदेश दे सकेगा कि वह सरकारी को, विनिर्दिष्ट रीति से धन शोध्य होने पर या धारण करने पर तुरन्त या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर (जो धन शोध्य होने या धारण करने के पूर्व नहीं हो) उतना धन जितना इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति से शोध्य राशि चुकाने के लिए पर्याप्त हो, या कुल धन जब वह उक्त रकम के बराबर या उससे कम हो, जमा कर दें**;**

(ii) **प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेषतया जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है तो किसी पासबुक, जमा रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या संदाय किए जाने से पूर्व इस बात के होते हुए भी कि तत्प्रतिकूल कोई नियम, पद्धति या अपेक्षा है, प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा ;**

(iii) किसी व्यक्ति को, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, के उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम लागू होंगे ;

(iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में भुगतान **के लिए समय का विस्तार कर सकेगा ;**

(v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालन में कोई भुगतान **करने वाले किसी व्यक्ति को व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन** भुगतान **करने वाला समझा जाएगा और ऐसे** भुगतान राशि **का सरकार में** जमा**किए जाने पर ऐसे व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व का, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम** की सीमा **तक अच्छा और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा ;**

(vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति निर्वहन किए गए दायित्व के सीमा **तक या** व्यतिक्रमी के **कर, ब्याज और शास्ति** के दायित्व की सीमा तक **इनमें से जो भी कम हो,** व्यक्तिगत रूप से **सरकार के प्रति दायी होगा ;**

(vii) जहां किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील की गई है वहां सूचना जारी करने वाले अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि मांग धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रम वाले व्यक्ति, को देय नहीं था, या जिस समय उस पर सूचना तामील की गई थी उस समय ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से कोई धन उस पर धारित नहीं था, और मांग धन या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को देय होने को या ऐसे व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से ऐसे व्यक्ति का कोई धन उस पर धारित होने की संभावना नहीं है, तो इस धारा में

अंतर्विष्ट किसी बात से ऐसे व्यक्ति द्वारा सरकार को यथास्थिति ऐसा कोई धन या उसके किसी भाग का संदाय करने की अपेक्षा किया जाना नहीं समझा जाएगा;

(घ) समुचित अधिकारी इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का भुगतनार्थ जब्त कर सकेगा और उसे तब तक निरुद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता है और उक्त देय रकम का कोई भाग या जब्त संपति की लागत या संपत्ति को रखने की लागत अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् भी अभुगतित रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय कर सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगतों सेसंदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा आधिक्य प्राप्त राशि को ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा ;

(ङ) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से बकाया रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा,जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या जहाँ वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्तिसे उस प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करेगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था ;

(च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उचित अधिकारी समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे अग्रसर होगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपितकोईजुर्मानाथा ;

(2) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमोंके अधीन निष्पादित कोई बंधपत्र या लिखत यह उपबंध करता है कि ऐसे लिखित के अधीन बकाया किसी रकम को उपधारा (1) में अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा तो वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी ।

(3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय है और जो अभुगतित रहती है तो राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के प्रक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की ऐसी वसूली करेगा मानो वह राज्य कर का बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम का सरकार के खाते में जमा करेगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बकाया रकम से कम है तो संबंधित सरकारों के खाते में रकम का जमा प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में किया जाएगा ।

80. कर और अन्य रकम का किस्तों में संदाय ।— किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर आयुक्त कारणों को लेखबद्ध करते हुए भुगतान के लिए समय का विस्तार कर सकेगा या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी विवरणी में स्वत: निर्धारित दायित्व के अनुसार बकाया रकम से भिन्न किसी रकम के भुगतान को धारा 50 के अधीन ब्याज के भुगतान के अधीन रहते हुए और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं, जो विहित की जाएं, के अधीन रहते हुए चौबीस से अनधिक मासिक किस्तों में भुगतान करने के लिए अनुमति दे सकेगा :

परंतु जहां किसी नीयत तारीख को किसी एक किस्त के भुगतान में कोई व्यतिक्रम

होता है तो ऐसी तारीख को देय शेष राशि बकाया हो जाएगा और तुरंत देय होगा तथा किसी और सूचना की ऐसे व्यक्ति पर तामील किए बिना वसूली का दायी होगा ।

81. कतिपय मामलों में संपत्ति अंतरण का शून्य होना ।— जहां कोई व्यक्ति, उससे किसी रकम के शोध्य हो जाने के पश्चात् उसकी या उसके कब्जे की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार सृजित करता है या उससे विक्रय,बंधक रखने, विनिमय या किसी अन्य विधि से अंतरण चाहे,जो भी हो, द्वारा अपने किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सरकारी राजस्व पर कपट करने के आशय से करता है तो ऐसा प्रभार या अंतरण उक्त व्यक्ति द्वारा संदेय किसी कर या किसी अन्य राशि के आलोक में अमान्य हो जाएगा:

परंतु यह कि ऐसा प्रभार या अंतरण अमान्य नहीं होगा यदि वह पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक किया गया हो या इस अधिनियम के अधीन ऐसी लंबित कार्यवाहियों, के बिना किसी सूचना के आधार पर किया गया हो या ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किसी अन्य राशि के लिए किया गया हो या समुचित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से किया जाताहो।

82. कर का संपत्ति पर पहला प्रभार होना ।— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, सिवाय दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में अन्यथा उपबंधित के किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर, ब्याज या शास्ति के लेखे संदेय कोई रकम, जिसके लिए वह सरकार को संदाय करने का दायी है, का ऐसे कराधेय व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा ।

83. कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की ।—

(1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबन के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा औपबंधिक रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा ।

(2) ऐसी औपबंधिक कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा ।

84. कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण।— जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती है तब—

(क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है तो आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम के संबंध में जिसके द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो उस पर तामील की गई मांग की सूचना में आती हैं, ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे

निपटान के ठीक पूर्व थी ;

(ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है तो,--

(i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा ;

(ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित हैं, संसूचना देगा ;

(iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रहेंगी ।

अध्याय 16

कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

85. कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व ।— (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागत: विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाज्त और अनुज्ञप्ति, भाड़ा या किसी अन्य रीति, चाहे जो भी हो, अंतरण करता है तो कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस प्रकार कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथक्त: पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया हो किंतु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के लिए दायी होगा ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है तो वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा प्रदाय किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का संदाय करनेऔर, यदि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो विहित समय के भीतर अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करने का , दायी होगा ।

86. अभिकर्ता और प्रधान व्यक्ति का दायित्व ।— जहां कोई अभिकर्ता अपने प्रधान व्यक्ति के निमित्त कराधेय वस्तुओं की प्रदाय करता है या उन्हें प्राप्त करता है तो ऐसा अभिकर्ता और उसका प्रधान व्यक्ति संयुक्त रूप से और पृथक्त: इस अधिनियम के अधीन ऐसे मालों पर संदेय कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

87. कंपनियों के समामेलन या विलयन की दशा में दायित्व । —

(1) जब दो या अधिक कंपनियों का किसी न्यायालय या अधिकरण या अन्यथा के निर्णय **के अनुसरण में समामेलन या विलयन होता है और** निर्णय **का आदेश किए जाने की तारीख** के **पूर्व** से **प्रभावी होना है तथा दो या उससे अधिक ऐसी कंपनियों ने एक दूसरे को उस तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि से आदेश के प्रभावी होने की तारीख के बीच मालों या सेवाओं की या दोनों की प्रदाय की है या मालों को या सेवाओं को या दोनों को**

प्राप्त किया है तब ऐसा प्रदाय और प्राप्ति के संव्यवहारों को संबंधित कंपनियों के प्रदाय या प्राप्ति आवर्त में सम्मिलित किया जाएगा और वह तद्नुसार कर का भुगतान करने की दायी होगी ।

(2) उक्त आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी दो या अधिक कंपनियों को उक्त आदेश की तारीख तक की अवधि के लिएभिन्न कंपनियां समझा जाएगा और उक्त कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को उक्त आदेश की तारीख से रद्द किया जाएगा ।

88. परिसमापन के अधीन कंपनियों की दशा में दायित्व ।—

(1) जब कोई कंपनी को किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अधीन या अन्यथा, समाप्त किया जा रहा है तो कंपनी की किन्हीं परिसंपत्तियां को प्राप्त करने के लिए परिसमापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "परिसमापक" कहा गया है), अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपनी नियुक्ति की संसूचना देगा ।

(2) आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात् या ऐसी सूचना मंगाने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, उस तारीख से तीन मास के भीतर, जब वह परिसमापक की नियुक्ति की सूचना प्राप्त करता है, परिसमापक को और वह रकम, जो उसके मत में किसी कर, ब्याज या शास्ति, जो तब या तत्पश्चात् कंपनी द्वारा भुगतेय है या भुगतेय हो जाती है, अधिसूचित करेगा ।

(3) जब किसी प्राइवेट कंपनी को समाप्त किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन कंपनी पर किसी अवधि के लिए,चाहे परिसमापन केक्रम में या तत्पश्चात् अवधारित कोई कर,ब्याज या शास्ति,जिसको वसूल नहींकिया जा सकता है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर बकाया है, के दौरान हर ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का निदेशक था,संयुक्त रूप से और पृथक्त: ऐसे कर,ब्याज या शास्तिका, सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा,दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, भुगतान करने के लिए दायी होगा ।

89. प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व ।—

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, बकाया है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर बकाया है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथक्त: ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का, सिवाय जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित नहीं कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, भुगतान करने के लिए दायी होगा ।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है तो उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का, ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या

सेवाओं की या दोनों की प्रदाय के विरूद्ध **किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में, निदेशक था :**

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति के लिए **लागू नहीं होगी ।**

90. फर्म के भागीदारों का कर का संदाय करने के लिए दायित्व ।— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि याकिसी संविदामें तत्प्रतिकूल के होते हुए भी, जहां कोई फर्म इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है तो फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार ऐसे संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः दायी होगा :

परंतु जहां कोई भागीदार फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह या फर्म उक्त भागीदार की सेवानिवृत्ति की तारीख को इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा आयुक्त को संसूचित करेगा और ऐसा भागीदार अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख तक बकाया **कर, ब्याज या शास्ति का** भुगतान **करने का, चाहे उस तारीख को** बकाया निर्धारित **की जाए या नहीं, दायी होगा** :

परन्तु यह और कि यदि ऐसी कोई सूचना सेवानिवृति की तारीख से एक मास के भीतर नहीं दी जाती है तो पहले परन्तुक के अधीन ऐसे भागीदार का दायित्व उस तारीख तक बना रहेगा जब **ऐसी सूचना आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाती है ।**

91. अभिरक्षों, न्यासियों आदि का दायित्व ।— जहां कोई कारबार, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर,ब्याज या शास्ति संदेय है, को किसी अव्यस्क **या किसी अन्य अक्षम व्यक्ति के निमित्त और ऐसे** अव्यस्क **या अन्य अक्षम व्यक्ति के फायदे के लिए किसी अभिरक्षक, न्यासी या अभिकर्ता द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे अभिरक्षक या न्यासी या अभिरक्षक पर कर,ब्याज या शास्ति उसी रूप में और उसी सीमा तक उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी जैसे कि उसका ऐसे** अव्यस्क **या अन्य अक्षम व्यक्ति के लिए अवधारण किया जाता और वसूली जाती, यदि वह व्यस्क या सक्षम व्यक्ति होता और जैसे कि वह स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।**

92. प्रतिपाल्य अधिकरण ।— जहां किसी कराधेय व्यक्ति की संपदा या उसके किसी भाग जिसके **अधीन कोई कारबार है, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर, ब्याज या शास्तिकराधेय है, किसी प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी या किसी प्रापक या प्रबंधक (जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति,चाहे किसी भी पदनाम से ज्ञात हो, जो वास्तव में कारबार का प्रबंध करता है), जिसकी नियुक्ति किसी न्यायालय के आदेश के अधीन की गई है, के नियंत्रणाधीन है,कर,ब्याज या शास्तिउस पर उद्ग्रहित की जाएगी और वसूली जाएगी** ठीक वैसे **जैसे उसका कराधेय** व्यक्ति **के लिए अवधारण किया जाता और वसूली** की **जाती, जैसे कि कराधेय व्यक्ति स्वयं कारबार का संचालन कर रहा था तथा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।**

93. कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध ।—

(1) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए

दायी है, तब—

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा ; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसके विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा से उस परिमाण तक, जहाँ तक संपदा ऐसे व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्ति का भुगतान चुकाने में सक्षम है, भुगतान करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्तिका अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो किंतु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् अभुगतित रहा हो या मृत्यु के बाद या अवधारित किया गया है ।

(2) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्तिका भुगतान करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों को समूह का सदस्य है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के समूह का विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है तब प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्त: इस अधिनियम के अधीनकराधेय व्यक्तिसे बंटवारे के समय तक कर, ब्याज या शास्तिका संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसेकर,ब्याज या शास्तिका अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो,जो बंटवारे के पश्चात् अभुगतित रह गया है या बंटवारा के बाद अवधारित किया गया है ।

(3) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्तिका संदाय करने के लिए दायी है और फर्म का विघटन कर दिया गया है तब प्रत्येक व्यक्ति,जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथक्त: इस अधिनियम के अधीनफर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किंतु बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या बंटवारा के पश्चात् अवधारित किया गया है ।

(4) दिवाला और धन शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीनकर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है,--

(क) किसी अव्यस्क का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है ; या

(ख) कोई न्यासी है, जो हितग्राही किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, अव्यस्क या हितग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन तक बकाया कर, ब्याज या शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसेकर,ब्याज या शास्ति का अवधारण अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया हो जो अभुगतित रह गया है या समापन के पश्चात अवधारित किया गया हो।

94. अन्य मामलों में दायित्व ।—

(1) जहां कराधेय व्यक्ति कोई फर्म या व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है और ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब ने कारबार करना बंद कर दिया है,--

(क) ऐसी फर्म, संगम या कुटुंब द्वारा ऐसे कारबार को बंद करने की तारीख तक इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज या शास्ति का निर्धारण **ऐसे किया जाएगा मानो कारबार** बंद **हुआ ही न हो ;और**

(ख) प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार को ऐसे बंद करने के समय ऐसी फर्म या ऐसे संगम या कुटुंब का सदस्य था, ऐसा बंद करना होते हुए भी फर्म, संगम या कुटुंब पर अवधारित कर और ब्याज के भुगतान **के लिए और अधिरोपित शास्ति का संदाय करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्त: दायी होगा, चाहे ऐसे कर और ब्याज का** निर्धारण **या शास्ति को उससे पूर्व अधिरोपित किया गया है या ऐसा बंद करने के पश्चात् अधिरोपित किया गया है और पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे व्यक्ति या भागीदार या सदस्यों** पर **ऐसे लागू होंगे मानो वह कराधेय व्यक्ति था ।**

(2) जहां फर्म या व्यक्तियों के समूह **के संगठन में कोई परिवर्तन होता है तो फर्म के भागीदार या** समूह **के सदस्य, जैसा कि वह पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे और जैसे कि वह उसके पश्चात् विद्यमान हैं, धारा 90 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी फर्म या व्यक्तियों से उसके पुनर्गठन की कालावधि से पूर्व** बकाया **कर, ब्याज या शास्ति का** भुगतान **करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्त: दायी होंगे ।**

(3) उपधारा (1) के उपबंध, जहां तक हो सके, कराधेय व्यक्ति, जो विघटित हो गई फर्म या व्यक्तियों का समूह **है, को या कराधेय व्यक्ति, जो अविभक्त हिन्दू कुटुंब है, जिसने उसके द्वारा चलाए जाने वाले कारबार के संबंध में विभाजन किया है, को लागू होंगे और तदनुसार उस धारा में बंद करने के प्रतिनिर्देश का ऐसे विघटन या विभाजन के** समान **लगाया जाएगा ।**

स्पष्टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

(i) "सीमित दायित्व भागीदार" जिसे सीमित दायित्व भागीदार अधिनियम, 2008 के उपबंधों के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को भी एक फर्म माना जाएगा ;

(ii)"न्यायालय" से जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अभिप्रेत है ।

अध्याय 17

अग्रिम विनिर्णय

95. परिभाषाएं ।— इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अग्रिम विनिर्णय" से किसी प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा किसी आवेदक को धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में मालों या सेवाओं या दोनों की प्रदाय, जिसे आवेदक द्वारा किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, पर विनिर्दिष्ट विषयों या प्रश्नों पर दिया गया अग्रिम विनिश्चय अभिप्रेत है ;

(ख) "अपीलप्राधिकरण" से धारा 99 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "आवेदक" से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने की इच्छुक व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(घ) "आवेदन" से धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया आवेदन अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्राधिकरण" से धारा 96 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

96. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का गठन ।—

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य में अवस्थित किसी प्राधिकरण को राज्य के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(i) केंद्रीय कर के अधिकारियों में से एक सदस्य ; और

(ii)राज्यकर के अधिकारियों में से एक सदस्य,

जिन्हें क्रमश: केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति की पद्धति और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

97. अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन ।—

(1) इस अध्याय के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का इच्छुक आवेदक ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उन प्रश्नों को अभिलिखित करते हुए, जिन पर अग्रिम विनिर्णय की इच्छा की गई है, एक आवेदन करेगा।

(2) वह प्रश्न, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय की इच्छा की जाती है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,--

(क) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों का वर्गीकरण ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी अधिसूचना का लागू होना ;

(ग) मालों या सेवाओं या दोनों के प्रदायसमय और मूल्य का अवधारण ;

(घ) संदत्त या संदत्त समझे गए कर के इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता ;

(ङ) किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों पर कर दायित्व का अवधारण ;

(च) क्या आवेदक से रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा है ;

(छ) क्या आवेदक द्वारा किन्हीं मालों या सेवाओं या दोनों की बावत की गई कोई विशिष्ट कृत्य का परिणाम उन मालों या सेवाओं या दोनों का, इस पद के अर्थान्तार्गत , प्रदाय होताहै।

98. आवेदन की प्राप्ति की प्रक्रिया ।—

(1) किसी आवेदन की प्राप्ति पर प्राधिकरण उसकी एक प्रति को संबंधित अधिकारी को अग्रेषित कराएगा और यदि आवश्यक हो तो उससे सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग करेगा :

परंतु किसी मामले में जहां प्राधिकारी द्वारा किन्हीं अभिलेखों की मांग की गई है तो ऐसे अभिलेखों को यथासंभव शीघ्र संबंधित अधिकारी को लौटा दिया जाएगा ।

(2) प्राधिकारी आवेदन और मांगे गए अभिलेखों की जांच करने के पश्चात् तथा आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने के पश्चात् आदेश द्वारा या तो आवेदन को स्वीकार करेगा या अस्वीकार कर देगा :

परंतु प्राधिकारी वहां आवेदन को मंजूर नहीं करेगा जहां आवेदन में उठाया गया प्रश्न पहले से ही लंबित है या आवेदक के किसी मामले में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसका विनिश्चय किया जा चुका है :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी आवेदन को आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तो उसके अस्वीकार किए जाने के कारणों को आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति आवेदक और संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(4) जहां किसी आवेदन को उपधारा (2) के अधीन स्वीकार किया जाता है, ऐसी और सामग्री, जो उसके समक्ष आवेदक द्वारा रखी जाए या प्रधिकारों द्वारा अभिप्राप्त की जाए, की जांच के पश्चात् और आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, प्राधिकारों द्वारा आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर अग्रिम विनिर्णय की उदघोषणा की जाएगी।

(5) जहां प्राधिकरण के सदस्य ऐसे किसी प्रश्न पर मतैक्य नहीं रखते है, जिस पर अग्रिम विनिर्णय की मांग की गई है, वे उस बिन्दु या उन बिन्दुओं को अभिलिखित करेंगे, जिन पर वह मतैक्य नहीं रखते है और ऐसे प्रश्न पर सुनवाई और विनिश्चय के लिए अपील प्राधिकरण को निर्दिष्ट करेंगे ।

(6) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर लिखित में अग्रिम विनिर्णय की घोषणा करेगा ।

(7) प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रीम विनिर्णय की प्रति, सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित

एवं ऐसी रीति में प्रमाणित जैसा की विहित किया जाय, आवेदक, सम्बंधित अधिकारी एवं अधिकारिता रखनेवाले अधिकारी को भेजी जायेगी।

99. अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन ।—

(1) सरकार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिसूचना द्वाराबिहार माल और सेवाकर अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण के नाम से ज्ञात एक अपील प्राधिकरण का गठन करेगी :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश से, किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अवस्थित किसी अपील प्राधिकरण को राज्य के लिए अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी ।

(2) अपील प्राधिकरण, निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,--

(i) बोर्ड द्वारा यथा अभिहित केंद्रीय कर मुख्य आयुक्त ; और

(ii) आवेदक पर अधिकारिता रखने वाला राज्यकर आयुक्त ।

100. अपील प्राधिकरण को अपील ।—

(1) धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन उदघोषित अग्रिम विनिर्णय से व्यथित संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको ईप्सित विनिर्णय के विरुद्ध की गई अपील की संबंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाला अधिकारी या आवेदक को संसूचना दिए जाने की तारीख से, **से तीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी :**

परंतु अपील प्राधिकारी को **यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को तीसदिन की उक्त अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों द्वारा निवारित किया गया था तो वह तीस दिन से अनधिक और अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करना अनुज्ञात कर सकेगा ।**

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र **में, ऐसी फीस के साथ** एवं **ऐसी रीति में सत्यापन** के पश्चात् **किया जाएगा,**जैसा कि **विहित** किया जाये।

101. अपील प्राधिकरण के आदेश ।—

(1) अपील प्राधिकरण अपील या निर्देश के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह अपील किए गए आदेश या निर्दिष्ट आदेश की पुष्टि करने के लिए या उपांतरित करने के लिए उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) **में निर्दिष्ट आदेश,धारा 100 के अधीन** दाखिल **या धारा 98 की उपधारा (5) के अधीन निर्देश करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा ।**

(3) जहां अपील प्राधिकरण के सदस्य, अपील या निर्देश में किसी बिन्दु या बिन्दुओं पर मतैक्य नहींरखते है तो यह समझा जाएगा कि अपील या निर्देश के अधीन प्रश्न के संबंध में कोई अग्रिम विनिर्णय जारी नहीं किया जा सकता है ।

(4) उदघोषित अग्रिम विनिर्णय की प्रति अपील प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं ऐसी रीति से प्रमाणित जैसा की विहित किया जाय, आवेदक, सम्बंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जायेगी।

102. अग्रिम विनिर्णय की परिशुद्धि ।— प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा धारा 98 या धारा 101 के अधीन उसके द्वारा पारित किसी **आदेश** की ऐसी त्रुटियों

जो अभिलेख पटल पर स्पष्ट हो, और जो प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण की जानकारी में स्वयं आती है या उसकी जानकारी में सम्बंधित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी, आवेदक या अपीलार्थी द्वारा लाया जाता है, को आदेशपारित करने की तिथि से छः माह के भीतर संसोधितकर सकेगा :

परंतु ऐसी कोई परिशुद्धि, जिसका प्रभाव कर दायित्व में वृद्धि करने, इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेय रकम को कम करने के रूप में होता है को तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक या अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है।

103. अग्रिम विनिर्णय का लागू होना ।—

(1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय केवल निम्नलिखित पर बाध्यकर होगा—

(क) उस आवेदक पर, जिसने अग्रिम विनिर्णय के लिए धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उसकी अपेक्षा **की थी ;**

(ख) आवेदक के संबंध में संबंधित अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले अधिकारी पर ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय तबतक **बाध्यकर होगा** जबतक कि **मूल अग्रिम विनिर्णय की समर्थनकारी विधि, तथ्य या परिस्थितियां न बदल गई हों ।**

104. कतिपय परिस्थितियों में अग्रिम विनिर्णय का शून्य होना ।—

(1) जहां प्राधिकरण या **अपील प्राधिकरण यह पाता है कि धारा 98 की उपधारा (4) के अधीन या धारा 101 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा उदघोषित अग्रिम विनिर्णय को आवेदक या अपीलार्थी द्वारा कपट या तात्विक तथ्यों को छिपाने या तथ्यों के दुव्यर्पदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है तो वह आदेश द्वारा ऐसे विनिर्णय को आरंभ से ही शून्य घोषित कर देगा और तत्पश्चात् इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंध आवेदक या अपीलार्थी** पर **ऐसे लागू होंगे मानो अग्रिम विनिर्णय कभी** हुआ **ही नहीं था** :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश आवेदक को सुने जाने का अवसर प्रदान किये बगैर **पारित नहीं किया जाएगा।**

स्पष्टीकरण–धारा 73 की उपधारा (2) और उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (2) और उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट अवधि की गणना करते समय इस उपधारा के अधीन ऐसे अग्रिम विनिर्णय की तारीख से प्रारंभ होने वाली और आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को परिवर्जित कर दिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी ।

105. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की शक्तियां ।—

(1) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को निम्नलिखित के संबंध में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी,--

(क) खोज और निरीक्षण ;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति का प्रवर्तन और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ग) कमीशन जारी करना और लेखा बहियों और अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत

करने के लिए बाध्य करना ।

(2) प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण धारा 195 के प्रयोजनों के लिए एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए नहीं, और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 193 और धारा 228 के अर्थांतर्गत और उसकी धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

106. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया ।— प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को इस अध्याय के उपबंधों के अधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

अध्याय 18

अपील और पुनरीक्षण

107. अपील प्राधिकारी को अपीलें।—

(1) इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उक्त विनिश्चय या आदेश संसूचित किये जाने के तीन मास के भीतर ऐसे अपील प्राधिकारी जैसा कि विहित किया जाय, को अपील कर सकेगा ।

(2) जहां किसी कार्यवाही के क्रम में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है वहां आयुक्त उक्त विनिश्चय या आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर ऐसी कार्यवाही के अभिलेख की मांग और परीक्षण कर सकेगा तथा आदेश द्वारा ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए जो उक्त विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होते हैं, उक्त विनश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपील प्राधिकारी को आवेदन करने के लिए किसी अधीनस्थ अधिकारी को निदेश दे सकेगा जैसा आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील प्राधिकारी को आवेदन करता है, वहां ऐसे आवेदन को अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन से ऐसे निबटा जायेगा मानो यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध की गई अपील हो और ऐसा प्राधिकृत अधिकारी कोई अपीलकर्ता हो तथा इस अधिनियम के अपील से संबंधित उपबंध ऐसे आवेदन पर लागू होंगे ।

(4) अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता, यथास्थिति, तीन या छह मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था, तो वह उसे एक मास की और अवधि के भीतर प्रस्तुत करना अनुज्ञात करेगा ।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में होगी और ऐसी रीति में सत्यपित की जाएगी जो विहित किया जाए ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी यदि अपीलकर्ता ने–

(क) अक्षेपित आदेश से उद्भूत कोई कर, ब्याज, जुर्माना, फीस और शास्ति का

पूर्ण या ऐसे भाग का संदाय नहीं किया हो जैसा उसके द्वारा स्वीकारकिया गया है; और

(ख) उक्त आदेश, जिसके संबंध में अपील फाइल की गई है, से उद्भूत विवाद में बकाया कर की रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय नहीं किया हो ।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन अपीलकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है, वहां बकाया रकम के लिए वसूली कार्यवाहियां स्थगित समझी जाएंगी ।

(8) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

(9) अपील प्राधिकारी, यदि उसे अपील सुनवाई की किसी अवस्था पर पर्याप्त कारण दर्शित किया जाए तो पक्षकारों को या उनमें से किसी एक को समय देगा और लिखित में अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की सुनवाई को स्थगित रखेगा :

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक के लिए **नहीं दिया जाएगा ।**

(10) अपील प्राधिकारी अपील की सुनवाई के समय अपीलकर्ता को अपील के आधारों में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए अपील के किसी आधार को जोड़ना अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का लोप जानबूझकर या अयुक्तियुक्त नहीं था ।

(11) अपील प्राधिकारी ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, अपील किये गये आदेश या विनिश्चय को **संपुष्ट, उपांतरित या अपास्त करने का आदेश करेगा जो वह उचित समझे, किन्तु उस न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को मामला पुनःनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसने ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया था :**

परन्तु अधिहरण के बदले में कोई फीस या शास्ति या जुर्माना बढ़ाने वाला अथवा वर्धित मूल्य के माल का अधिहरण या प्रतिदाय की रकम या इनपुटकर प्रत्यय घटाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि अपील प्राधिकरण की जहां यह राय है कि कोई कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है या गलती से प्रतिदाय किया गया है अथवा जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत ढंग से प्राप्त किया गया है या उपयोग किया गया है, वहां अपीलकर्ता से ऐसा कर या इनपुट कर प्रत्यय के संदाय की अपेक्षा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा यदि अपीलकर्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस नहीं दिया गया है और धारा 73 या धारा 74 के अधीन विनिर्दिष्टसमय-सीमा के भीतर आदेश पारित किया गया है।

(12) अपील निपटारा करने वाला अपील प्राधिकरण का आदेश लिखित में होगा और अवधारण के बिन्दुओं, उनपर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारणों को लेखापित **करेगा।**

(13) अपील प्राधिकारी, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील को उसे फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष के अवधि के भीतर सुनवाई और विनिश्चय करेगा :

परन्तु जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि एक वर्ष की अवधि की गणना में अपवर्जित की जाएगी ।

(14) अपील के निपटारे पर अपील प्राधिकारी उसके द्‌वारा पारित आदेश को अपीलकर्ता, प्रत्यर्थी और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को संसूचित करेगा ।—

(15) अपील प्राधिकरण द्‌वारा पारित आदेश की एक प्रति आयुक्त या उसके द्‌वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को और केन्द्रीय कर अधिकारिता आयुक्त या उसके द्‌वारा इस निमित्त अभिहित प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी ।

(16) इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश धारा 108 या धारा 113 या धारा 117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

108. पुनरीक्षण प्राधिकारी की शक्तियां ।—

(1) धारा 121 और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या उसके द्‌वारा प्राप्त किसी सूचना पर याकेंद्रीय कर आयुक्त के अनुरोध पर किसी ऐसी कार्यवाही के अभिलेख को मंगा सकेगा और जांच कर सकेगा तथा यदि वह यह मानता है कि उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी ने इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है और राजस्व के हितों के प्रतिकूल है तथा अवैध या अनुचित है अथवा उसने कतिपय सारवान् तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है चाहे वे उक्त आदेश के जारी करने के समय उपलब्ध है या नहीं या भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्‌वारा की गई के पारिणामिक है, तो वह यदि आवश्यक हो तो ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे ऐसे विनिश्चय या आदेश के प्रचालन को स्थगित कर सकेगा और संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक और उचित समझे जिसके अन्तर्गत उक्त विनिश्चय या आदेश को वर्धित करना या उपांतरित करना या अपास्त करना भी है ।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, यदि–

(क) आदेश धारा 107 या धारा 112 या धारा 117 या धारा 118 के अधीन अपील के अध्यधीन है; या

(ख) धारा 107 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हुई है या पुनरीक्षित किए जाने वाले विनिश्चय या आदेश को पारित करने के पश्चात् तीन वर्ष से अधिक समय समाप्त हो गया है ; या

(ग) इस धारा के अधीन किसी पूर्वतर अवस्था पर आदेश को पहले ही पुनरीक्षण के लिए लिया जा चुका है ; या

(घ) आदेश उपधारा (1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में पारित किया जा चुका है :

परन्तु यह कि पुनरीक्षण प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी बिन्दु जो कि उपधारा (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपील में उठाया नहीं गया और विनिश्चित नहीं किया गया, पर ऐसा आदेश की तारिख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व या उस उपधारा के खंड (ख) में विनिदिष्ट तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व, जो भी पश्चात्वर्ती हो, आदेश पारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पुनरीक्षण में पारित प्रत्येक आदेश धारा 113 या धारा

117 अथवा धारा 118 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा ।

(4) जहां पुनरीक्षण के लिए कार्यवाहियां इस धारा के अधीन नोटिस जारी करने के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं और यदि उक्त विनिश्चय या आदेश में कोई ऐसा मुद्दा अन्तरनिहित है जिसमें अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय ने किसी अन्य कार्यवाही में अपना विनिश्चय दिया है और अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय के ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील लंबित है, अपील अधिकरण के विनिश्चय की तारीख और उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख या उच्च न्यायालय के विनिश्चय की तारीख और उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख के बीच व्यतीत अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि की गणना करने में अपवर्जित कर दी जाएगी।

(5) उपधारा (1) के अधीन जहां आदेश जारी किया जाना न्यायालय या अपील अधिकरण के आदेश द्वारा स्थगित किया जाता है, ऐसे स्थगन की अवधि उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की परिसीमा की गणना में अपवर्जित कर दी जाएगी ।

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद,–

(i) "अभिलेख" में इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा परीक्षा के समय किसी कार्यवाही से संबंधित उपलब्धसभी अभिलेख सम्मिलित होंगे ;

(ii) "विनिश्चय" में पुनरीक्षण प्राधिकारी से रैंक में न्यून किसी अधिकारी द्वारा दी गई सूचना सम्मिलित होगी ।

109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें । (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम के अधीनगठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा ।

(2) राज्य में अवस्थित राज्यन्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 109 या तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी ।

110. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें आदि ।— राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा ।

111. अपील अधिकरण के समक्ष प्रक्रिया ।—

(1) अपील अधिकरण, अपने समक्ष किसी कार्यवाहियों या अपील को निपटाते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया द्वारा बद्ध नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अध्यधीन द्वारा निर्देशित होगा औरअपील अधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(2) अपील अधिकरण की इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में

यथा विहित शक्तियों के समान होगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद के विचारण के समय होगी, अर्थात् :--

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उपस्थितिको लागू करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुत करने की अपेक्षा;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे किसी अभिलेख या दस्तावेज की प्रति मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) चूक की स्थिति में किसी प्रतिवेदन को खारिज करने अथवा एक पक्षीय आदेश से इसका निष्पादन करना ;

(छ) किसी अभ्यावेदन को चूक के लिए खारिज करने के आदेश या अपने द्वारा पास किसी एकपक्षीय आदेश को अपास्त करना; और

(ज) कोई अन्य मामले जो विहित किए जाएं ।

(3) अपील अधिकरण द्वारा किया गया कोई आदेश उसी रीति में लागू होगा जैसे न्यायालय द्वारा उसके यहां लंबित किसी वाद में की गई डिक्री हो और यह अपील अधिकरण के लिए विधि सम्मत होगा कि वह अपने आदेशों के निष्पादन के लिए स्थानीय अधिकारिता के ऐसे न्यायालय में भेजे जो--

(क) कंपनी के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या

(ख) किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आदेश की दशा में जहां संबद्ध व्यक्ति स्वेच्छा से निवास करता है या लाभ के लिएव्यापारिक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है ।

(4) अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में और धारा 196 के प्रयोजनों क लिए न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगीऔर अपील अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 25 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

112. अपील अधिकरण को अपील ।—

(1) इस अधिनियम की धारा 107 या धारा 108 के अधीन या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से, ऐसे आदेश के विरुद्ध तीन मास के भीतर अपील कर सकेगा ।

(2) अपील अधिकरण ऐसी किसी अपील को अपने विवेक के अनुसार स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जहां अंतर्वलित कर या इनपुट कर प्रत्यय या कर और इनपुट कर में अंतरकीराशि या ऐसे आदेश द्वारा जुर्माने की रकम या अवधारित शास्ति पचास हजार रूपए से अधिक न हो ।

(3) आयुक्त, आदेश की वैधानिकता या औचित्य के संबंध में स्वयं के समाधान करने के प्रयोजन के लिए, स्वप्रेरणा से या केन्द्रीय कर आयुक्त के निवेदन पर, इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के अभिलेख को आदेशके वैधता और औचित्य

पर संतुष्ट होने के लिएपरीक्षण के लिए मंगा सकेगा और आदेश द्वारा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को, उक्त आदेश से उदभुत ऐसे बिन्दुओं जिसका उल्लेख आयुक्त अपने आदेश में करेगा के विनिश्चय के लिए, उक्त आदेश पारित होने की तिथि से छहमाह के भीतर अपीलीय अधिकरण में अपील करने का निदेश कर सकेगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन आदेश के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी अपील अधिकरण को आवेदन करता है, तो ऐसा आवेदन अपील अधिकरण इस प्रकार निपटाएगा जैसे वह धारा 107 की उपधारा (11) के अधीन या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो और इस अधिनियम के उपबंध आवेदन को ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन दाखिल अपील के संबंध में लागू होते हैं ।

(5) इस नोटिस की प्राप्ति पर कि इस धारा के अधीन अपील हो चुकी है, पक्षकार जिसके विरुद्ध अपील हुई है किसी अन्य बात के होते हुए भी कि उसने ऐसे आदेश या उसके किसी भाग के विरुद्ध अपील नहीं की है, नोटिस की प्राप्ति के 45 दिन में विहित रीति में सत्यापित प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन, आदेश जिसके किसी भाग के विरुद्ध अपील की गई है, फाइल करेगा और ऐसा ज्ञापन अपील अधिकरण द्वारा ऐसे निस्तारित किया जाएगा जैसे यह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय में प्रस्तुत की गई अपील हो ।

(6) अपील अधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में अपील स्वीकार कर सकेगा या उपधारा (5) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् 45 दिन में प्रतिआक्षेपों का ज्ञापन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा यदि यह समाधान हो जाए कि इसको उस अवधि में प्रस्तुत न कर पाने का उपयुक्त कारण था।

(7) अपील अधिकरण को अपील ऐसे प्रपत्र एवं ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी फीस सहित होगीजैसा कि विहित किया जाय ।

(8) कोई अपील, उपधारा (1) के अधीन तबतक फाइल नहीं की जाएगी जबतक अपीलार्थी निम्नलिखित संदत्त न कर दे,--

(क) पूर्ण कर की रकम का ऐसा कोई भाग, ब्याज, जुर्माना, फीस और आरोपित आदेश से उत्पन्न शास्ति जैसी उसके द्वारा स्वीकार की गई हो; और

(ख) धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम के अतिरिक्त विवाद में कर की शेष रकम के 20% के बराबर राशि ।

(9) जहां अपीलार्थी उपधारा (8) के अनुसार रकम संदत्त कर चुका है वहां शेष रकम की वसूली कार्यवाहियां अपील के निस्तारण तक स्थगित समझी जाएंगी ।

(10) अपील अधिकरण के समक्ष--

(क) त्रुटि को ठीक करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील;

(ख) अपील या किसी आवेदन का प्रत्यावर्तन करने हेतु,

प्रत्येक आवेदन ऐसी शुल्क सहित होगा जो विहित किया जाए।

113. अपील अधिकरण के आदेश ।—

(1) अपीलीय अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् विनिश्चय या आदेश जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई है के पुष्टिकरण, उपांतरण या अपास्त जैसा ठीक समझे, उस पर आदेश कर सकेगा या अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को ऐसे निदेशों, जिनको वह ठीक समझे के

साथ वापस नये न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् यदि आवश्यक हों, विनिश्चय के लिए वापस भेज सकेगा ।

(2) अपीलीय अधिकरण, यदि समुचित कारण दिए जाएं तो किसी अपील की सुनवाई की किसी प्रास्थिति पर उनके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए पक्षकारों को समय प्रदान या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं प्रदान किया जाएगा ।

(3) अपीलीय अधिकरण, अपने आदेशमें ऐसी कोई त्रुटि जो अपने आप उसे संज्ञान में आती है या आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त या अपील के किसी पक्षकार द्वारा संज्ञान में लाई जाती है तो आदेश की तारीख से तीन माह की अवधि में अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिये उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर सकेगा:

परंतु यह कि ऐसा कोई संशोधन जो करनिर्धारण की वृद्धि या वापसी याइनपुट कर प्रत्ययकी कमी या किसी पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करता है, इस अधिनियम के अधीन तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए ।

(4) अपीलीय अधिकरण जहां तक संभव हो अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि में प्रत्येक अपील सुने और विनिश्चय करेगा ।

(5) अपीलीय अधिकरण इस अधिनियम के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकारया मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण यथास्थिति अपीलार्थी और आयुक्त या अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय कर आयुक्त को भेजेगा।

(6) जैसाकि धारा 117 या धारा 118 में उपबंधित है,अपीलीय अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश अंतिम और पक्षकारों पर वाध्कारी होगा ।

114. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां ।— राज्य अध्यक्ष, राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसा विहित किया जाए:

परंतु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसावह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय पीठों के किसी अन्य सदस्य या अन्य अधिकारी को, इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा ।

115. अपील के दाखिल करने के लिए संदत्त रकम की वापसी पर ब्याज ।— जहां अपीलार्थी द्वारा धारा 112 की उपधारा (8) या धारा 107 की उपधारा (6) के अधीन संदत्त रकम को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के किसी आदेश के परिणामस्वरूप वापस किया जाना अपेक्षित है तो धारा 56 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज की दर से ऐसी वापसी के संबंध में रकम के संदाय की तारीख से ऐसे रकम की वापसी की तारीख तक ब्याज का संदाय किया जाएगा।

116. प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हाजिरी ।—

(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में हाजिर होने के लिए हकदार है या अपेक्षित है, इस धारा के अन्य

उपबंधों के अध्ययधीन शपथ या कथन पर परीक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए इस अधिनियम के अधीन जब उससे अन्यथा अपेक्षित है तो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिर हो सकेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पद "प्राधिकृत प्रतिनिधि" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उपधारा (1) में निर्देशित व्यक्ति द्वारा उसके स्थान पर हाजिर होने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति --

(क) उसका रिश्तेदार या नियमित कर्मचारी है; या

(ख) ऐसा कोई अधिवक्ता जो भारत में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार है और जिसे भारत में किसी न्यायालय के समक्ष प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है ; या

(ग) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट, लागत लेखाकारया कंपनी सचिव जो प्रैक्टिस करने का प्रमाण-पत्र रखता है और जिसे प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है; या

(घ) किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या बोर्ड के वाणिज्य कर विभाग का ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी की रैंक की पंक्ति से अन्यून के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि तक कीसेवा की हो :

परंतु यह कि ऐसा कोई अधिकारीअपनी सेवानिवृत्ति या पदत्याग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के समक्ष हाजिर होने के लिए अधिकारी नहीं होगा ; या

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति जो संबद्ध रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए माल और सेवा कर प्रैक्टिसकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है ।

(3) कोई व्यक्ति--

(क) जो सरकारी सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो ; या

(ख) जो इस अधिनियम,केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, समेकित माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या विद्यमान किसी विधि या माल के विक्रय या माल के प्रदाय या सेवाओं या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी अपराध का दोषसिद्ध हो ; या

(ग) जो विहित प्राधिकारी द्वारा दुर्व्यावहार का दोषी पाया गया हो ;

(घ) जो दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत हो चुका हो,

उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र नहीं होगा--

(i) खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मामले में सदैव के लिए; और

(ii) खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में उस अवधि के दौरान जब तक दिवालियापन जारी रहे ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो केन्द्रीयमाल और सेवा कर अधिनियम याकिसी अन्य राज्य के माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन अयोग्य घोषित है इस अधिनियम के अधीन भीअयोग्य समझा जाएगा ।

117. उच्च न्यायालय को अपील । (1) राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायलय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अर्न्तनिहित है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको व्यथित व्यक्ति द्वारा अपीलगत आदेश प्राप्त हुआ है से एक सो अस्सी दिन की अवधि में फाइल की जा सकेगी और यह ऐसे प्रारूप में और ऐसे सत्यापित रीति में होगी जो विहित की जाए :

परंतु यह कि उच्च न्यायालय उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को सुन सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसी अवधि में इसको फाइल न कर पाने का समुचित कारण था ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का समाधान हो जाए कि किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अर्न्तनिहित है वहां वह उस प्रश्न को विनियमित करेगा और केवल इस प्रकार विनियमित प्रश्न पर अपील की सुनवाई करेगा तथा परिवादी अपील की सुनवाई के दौरान कि मामले में ऐसा प्रश्न अर्न्तनिहित नहीं है पर बहस करने के लिए अनुज्ञेय होंगे :

परंतु इस उपधारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से न्यायालय की किसी अपील की, उसके द्वारा विरचित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर सुनवाई करने की शक्ति को तब समाप्त करता है या उसका अल्पीकरण करता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अर्न्तनिहित है ।

(4) उच्च न्यायालय इस प्रकार विनियमित विधि के प्रश्न का विनिश्चय करेगा और ऐसे निर्णय को उन आधारों सहित जिन पर ऐसा निर्णय आधारित हैं, प्रदान करेगा और ऐसी लागत लगा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो—

(क) राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा अवधारित न किया गया हो ; या

(ख) उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट ऐसे विधि के प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारण किया गया हो ।

(6) जहां उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील फाइल की गई हो, वहां यह उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों से कम की पीठ द्वारा नहीं सुनी जाएगी और ऐसे न्यायाधीशों यदि हों तो उनके बहुमत के मत के अनुसार विनिश्चय की जाएगी ।

(7) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है, वहां न्यायाधीश विधि के उस बिंदु को बताएंगे जिस पर वे मतांतर रखते हैं और वहां केवल उस बिंदु पर उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा मामले को सुना जाएगा और ऐसे न्यायाधीशों, जिन्होंने पहले इस मामले को सुना है, सहित के बहुमत के मत के अनुसार ऐसे बिंदु पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(8) जहां उच्च न्यायालय ने इस धारा के अधीन फाइल अपील में निर्णय दे दिया है तो ऐसे निर्णय को प्रभाव इसकी सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर किसी पक्ष द्वारा दिया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में जैसे पहले अन्यथा उपबंधित किया गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध, जो उच्च न्यायालय के अपील से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन अपील के मामलों में, जहां तक संभव हो लागू होंगे ।

118. उच्चतम न्यायालय को अपील ।—

(1) ऐसी अपील जो उच्चतम न्यायालय में होगी--

(क) राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध ; या

(ख) किसी मामले में धारा 117 के अधीन की गई अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध, जो स्वत: या व्यथित पक्षकार द्वारा या उसके निमित्त के द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय या आदेश के पारित होने के तुरंत बाद, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए उचित मामला है ।

(2) सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जो उच्चतम न्यायालय को अपील करने से संबंधित हैं जहां तक संभव हो इस धारा के अधीन अपील के मामलों में उस तरह लागू होंगे जैसे उच्च न्यायालय की डिग्री की अपील के मामले में होते हैं ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का निर्णय अपील में बदल या उल्ट गया हो वहां उच्च न्यायालय का आदेश उस प्रकार प्रभावी होगा, जैसे उच्च न्यायालय के निर्णय के मामले में धारा 117 में यथा उपबंधित रीति में उच्चतम न्यायालय का आदेश होता है ।

119. राशि जो अपील आदि के होने के बाद भी संदत्त किए जाने हैं । **किसी बात के होते हुए भी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील की गई है, धारा 113 के उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण की राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों या धारा 113 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण के राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों या धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को दिए जाने वाली राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय** होगी।

120. कतिपय मामलों में अपील फाइल नहीं की जा सकेगी ।—

(1) आयुक्तपरिषद् की सिफारिशों पर समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों से, जैसा ठीक समझे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन राज्य कर अधिकारी द्वारा फाइल की जाने वाली **अपील या आवेदन के नियमन के प्रयोजन के लिए ऐसी किसी मौद्रिक सीमा को नियत कर सकेगा ।**

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर का अधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील या आवेदन नहीं फाइल किया गया है, **यह राज्य कर के ऐसे अधिकारी को किसी अन्य मामले में** अंर्तनिहित **समान या समतुल्य विवाद्यक या विधि के प्रश्न के विरुद्ध अपील या आवेदन फाइल करने से नहीं रोकेगा ।**

(3) किसी बात के होते हुए भी यह तथ्य कि उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी द्वारा कोई अपील या आवेदन फाइल नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अपील में या आवेदन में पक्षकार होते हुए भी किसी अपील या आवेदन के फाइल न किए जाने पर विवादित बिंदु पर विनिश्चय से राज्य कर का अधिकारी अवगत था, आशयित नहीं करेगा ।

(4) अपील अधिकरण या न्यायालय ऐसी अपील या आवेदन को सुनते समय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों या अनुदेशों या निदेशों के अनुसरण में राज्य कर के अधिकारी

द्वारा अपील या आवेदन फाइल न किए जाने की परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

121. अपील न किए जाने वाले विनिश्चय और आदेश ।— इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी बात के होते हुए भी राज्य कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि ऐसा लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है अर्थात् :--

(क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को सीधे अंतरित करने में सशक्त हो ; या

(ख) लेखा पुस्त रजिस्टर आदि अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित कोई आदेश ; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश ; या

(घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश ।

अध्याय 19

अपराध एवं शास्तियां

122. कतिपय अपराधों के लिए शास्ति । (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति जो—

(i) किसी बीजक के जारी किए बिना किसी माल या सेवा या दोनों का प्रदाय करता है या ऐसे किसी प्रदाय के लिए झूठा या गलत बीजक जारी करता है;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में माल या सेवा या दोनों के प्रदाय के बिना बीजक या बिल जारी करता है ;

(iii) कर के रूप में किसी रकम का संग्रह कर उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे,उस तारीख से जब ऐसा संदाय देय था, असफल रहता है ;

(iv) इस अधिनियम के उपबंधों के विपरीत किसी कर का संग्रह करता है लेकिन उसको सरकार को संदाय करने में तीन मास से परे, उस तारीख सेजब ऐसा संदाय देय था, करने में असफल रहता है ;

(v) धारा 51 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vi) धारा 52 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपनियम के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को इस कटौती की गई रकम को कर के रूप में संदाय करने में असफल रहता है ;

(vii) इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के विपरीत चाहे पूर्णत: या आंशिक रूप से माल या सेवाओं या दोनों की वास्तविक रसीद के बिना इनपुट कर प्रत्यय को लेता या उपभोग करता है ;

(viii) इस अधिनियम के अधीन कर की वापसी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त करता है ;

(ix) धारा 20 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के विपरीत इनपुट कर प्रत्यय

प्राप्त करता है या बांटता है ;

(x) **इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय से बचने के आशय से वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या फर्जी लेखाओं या दस्तावेजों या किसी झूठी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करता है ;**

(xi) **इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायी तो है लेकिन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में असफल रहता है ;**

(xii) **रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करते समय या उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के विवरण के संबंध में गलत सूचना देता है ;**

(xiii) **इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से किसी अधिकारी को रोकता है या प्रवारित करता है ;**

(xiv) **इस निमित यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना कराधेय किसी माल का परिवहन करता है ;**

(xv) **इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन के लिए अपने आवर्तको छिपाता है ;**

(xvi) **इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में लेखा पुस्तकों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने या प्रतिधारित करने में असफल रहता है ;**

(xvii) **इस अधिनियम के या तद्धीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसरण में किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान झूठी सूचना या दस्तावेजों को प्रस्तुत करता है ;**

(xviii) **ऐसे किसी माल का प्रदाय, परिवहन या भंडारण करता है जिसके लिए उसको विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि येइस अधिनियम के अधीन** प्रतिहरण **के लिए दायी हैं ;**

(xix) **अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का प्रयोग द्वारा किसी बीजक या दस्तावेज को जारी करता है ;**

(xx) **किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है ;**

(xxi) **किसी माल को निष्पादित या छेड़छाड़ करता है जो इस अधिनियम के अधीन रोका, जब्त या कुर्क किया हुआ था,**

दस हजार रूपए या अपवंचित कर या धारा 51 के अधीन कटौती न किए गए कर या कम कटौती किए गए कर या कटौती किए गए परंतु सरकार को संदेय नहीं किए गए कर या धारा 52 के अधीन संगृहीत नहीं किए गए कर या कम संगृहीत या संग्रहीत परंतु सरकार को संदत्त नहीं किए गए कर या इनपुट कर प्रत्यय पर लिए गए या अनियमित रूप से वितरित या पारित या कपटपूर्ण ढंग से दावा की गई वापसी के समतुल्य रकम, जो भी उच्चतर हो, को शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो किसी माल का प्रदाय या सेवाओं या दोनों का प्रदाय करता है जिन पर उसने कोई कर नहीं दिया है या कम संदत्त किया है या त्रुटिपूर्ण ढंग से वापस लिया या जहां इनपुट कर प्रत्यय गलत रूप से लिया है या प्रयोग किया है,--

(क) कपट या जानबूझकर मिथ्या अभिकथन या कर अपवंचना के लिए तथ्यों को छुपाया

जाने से भिन्न कारण की दशा में वह दस हजार रूपए या शोध्य कर का दस प्रतिशत जो उच्चतर हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ।

(ख) कपट या जानबूझ कर मिथ्या अभिकथन या कर अपवंचना के लिए तथ्यों को छुपाया जाने केदशा में वह दस हजार रूपए या ऐसे व्यक्ति पर शोध्य कर के समतुल्य राशी,जो उच्चतर हो, के शास्ति कादायी होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो--

(क) उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (xxi) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी के लिए सहायता या दुष्प्रेरण करता है;

(ख) किसी ऐसे माल का कब्जा प्राप्त करता है या उसके परिवहन को हटाने, जमा करने, रखने, छिपाने, प्रदाय करने या विक्रय या अन्य किसी रीति में किसी प्रकार अपने को संबद्ध करता है, जिसके विषय में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन प्रतिहरण के लिए दायी है;

(ग) किसी ऐसे माल को प्राप्त करता है या इसके प्रदाय से किसी प्रकार संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा के किसी प्रदाय को करता है जिसके लिए वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कियह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के किसी उपबंध के उल्लंघन में है;

(घ) किसी जांच में साक्ष्य या दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए हाजिरी हेतु सम्मन के जारी होने पर राज्य कर के अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

(ङ) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक केप्रविष्टि करनेमें असमर्थ रहता है,

ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

123. **सूचना विवरणी देने में असफल रहने पर शास्ति** ।— यदि कोई व्यक्ति जिससे धारा 150 के अधीन सूचना के अधीन सूचना विवरणी देना अपेक्षित है, वह उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट सूचना विवरणी देने में असफल रहता है तो उचित अधिकारी निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसी अवधि के प्रत्येक दिन जिसके लिए वह ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, के लिए सौ रूपए की शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु यह कि इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति पांच हजार से अधिक नहीं होगी ।

124. **आंकड़े देने में असमर्थ रहने पर जुर्माना** ।— यदि किसी व्यक्ति से धारा 151 के अधीन सूचना या विवरणी देना अपेक्षित है,--

(क) इस धारा के अधीन यथा अपेक्षित ऐसी सूचना या विवरणी देने में बिना युक्तियुक्त कारण देने में असमर्थ रहता है, या

(ख) कोई सूचना या विवरणी जिसे वह जानता है कि असत्य है, को जानबूझ कर प्रस्तुत करता है,

वह ऐसे जुर्माने से जो दस हजार तक हो सकेगा और अपराध जारी रहने की दशा में जो प्रथम दिन के पश्चात प्रत्येक दिन जिस के दौरान अपराध जारी रहती है, पच्चीस हजार की अधिकतम

सीमा के अध्यधीन एक सौ रूपए प्रतिदिन के जुर्माने से दंडनीय होगा।

125. **साधारण शास्ति ।**— कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित किन्हीं नियमों के किसी उपबंध जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति नहीं है, का उल्लंघन करता है, ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगी ।

126. **शास्ति से संबंधित साधारण विधाएं ।**—

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी कर विनियमन या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के छोटे भंग और विशेषतः दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती जिसे आसानी से शुद्ध किया जा सकता है तथा जो बिना कपटपूर्ण आशय या समग्र लापरवाही के किए गए हैं, के लिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजन के लिए--

(क) कोई भंग जिसमें पांच हजार रूपए से कम का कर अंतर्वलित है,"छोटा भंग" माना जाएगा;

(ख) दस्तावेजीकरण में कोई लोप या गलती आसानी से शुद्ध की जा सकने वाली तब मानी जा सकेगी जब वह अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष त्रुटि है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित शास्ति तथ्यों पर और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर होगी तथा यह भंग के परिमाण और गंभीरता के अनुपात में होगी ।

(3) किसी व्यक्ति पर बिना उसे सुनवाई का अवसर दिए शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के अधीन कोई अधिकारी किसी विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षा के भंग के आदेश में शास्ति अधिरोपित करते समय भंग की प्रकृति और लागू विधि, विनियम या प्रक्रियाएं जिनके अधीन विनिर्दिष्ट भंग के लिए शास्ति की रकम, विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अधिकारी द्वारा भंग की खोज से पहले विधि, विनियम या प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के भंग की परिस्थितियां इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को स्वेच्छया प्रकट कर देता है तो समुचित अधिकारी उस व्यक्ति के लिए शास्ति की गणना करते समय इस तथ्य पर न्यूनकारी घटक के रूप में विचार करेगा।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागु नहीं होंगे जहां शास्ति इस अधिनियम के अधीन नीयत राशि या नियत प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट है।

127. **कतिपय मामलों में शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।**— जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है और वह धारा 62 याधारा 63 याधारा 64 याधारा 73 याधारा 74 याधारा 129 याधारा 130 के अधीन किसी कार्यवाही में नहीं आती है तो वह ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी शास्ति उदगृहीत करने का आदेश जारी कर सकेगा।

128. **शास्ति या शुल्क या दोनों के अधित्यजन करने की शक्ति ।**— सरकार, अधिसूचना द्वारा कर दाता के ऐसे वर्ग के लिए धारा 122 या धारा 123 या धारा 125 में निर्दिष्ट किसी शास्ति या धारा 47 में निर्दिष्ट किसी विलंब शुल्क का भाग में या

पूर्णतः और परिषद् की सिफारिश पर उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी न्यूनीकरण परिस्थितियों के अधीन अधित्यजन कर सकेगी ।

129. अभिरक्षा, अभिग्रहण और माल की निर्मुक्ति तथा अभिवहन में प्रवहण ।—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई व्यक्ति किसी माल का परिवहन या माल का भंडारण करता है जब वे अभिवहन में इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में हैं, जबऐसेसभी माल और अभिवहन में उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधनों के रूप में प्रयुक्त साधन और ऐसे माल से संबंधित दस्तावेज और अभिवहन, अभिरक्षा में लेने या अभिग्रहण के लिए दायी होगा तथा अभिरक्षा या अभिग्रहण निर्मुक्त हो सकेगा--

(क) ऐसे कराधेयमाल की दशा में पर संदेय कर के एक सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के संदाय पर और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे आता है;

(ख) देय कर के और उस पर संदत्त कर रकम द्वारा कम करके माल के मूल्य का पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति और छूट प्राप्त माल की दशा में माल के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर रकम या पच्चीस हजार रूपए जो कम हो, के संदाय पर जहां माल का मालिक ऐसे कर और शास्ति के संदाय के लिए आगे नहीं आता है;

(ग) ऐसे प्ररूप और रीति जो विहित की जाएं, में खंड (क) या खंड (ख) के अधीन संदेय रकम के समतुल्य प्रतिभूति को देने पर :

परंतु यह कि इस प्रकार का माल या अभिवहन माल का परिवहन करने के लिए व्यक्ति पर अभिरक्षा या अभिग्रहण के आदेश के तामील कराए बिना अभिरक्षा मे या अभिग्रहण में नहीं लिया जाएगा ।

(2) धारा 67 की उपधारा (6) के उपबंध माल की अभिरक्षा और अभिग्रहण और प्रवहण के लिए यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(3) माल या प्रवहण को स्तंभित या जब्त करने वाला उचितअधिकारी कर और संदेय शास्ति को विनिर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी करेगा और उसके पश्चात् खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन संदेय कर और शास्ति के लिए एक आदेश पारित करेगा ।

(4) बिना संबद्ध व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए कर,ब्याज या शास्ति उपधारा (3) के अधीन अवधारित नहीं की जाएगी ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम के संदाय पर उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट नोटिस की बाबत सभी कार्यवाहियां समाप्त समझी जाएंगी ।

(6) जहां किसी माल का परिवहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपधारा (1) में यथा उपबंधित कर और शास्ति की रकम का संदाय करने में ऐसी अभिरक्षा या अभिग्रहण के सात दिन के भीतर असफल रहता है तो अन्य कार्यवाहियां धारा 130 की शर्तों के अनुसार आरंभ की जाएंगी :

परंतु यह कि जहां अभिरक्षा या अभिग्रहण का माल शीघ्र नष्ट होने योग्य या खतरनाक या समय के साथ मूल्य में ह्रास की प्रकृति का है तो उक्त सात दिन की अवधि उचित अधिकारी द्वारा कम की जा सकेगी।

130. माल या प्रवहरण की जब्ती और शास्ति का उद्ग्रहण ।—

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति--

(i) इस अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंघन में माल का प्रदाय या प्राप्ति, कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किए बिना इस अधिनियम के अधीन कर योग्य किसी माल का प्रदाय; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तद्वीन बने नियमों का उल्लंघन, कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का मालिक यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके ऐजेंट की बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) जब कभी किसी माल या प्रवहण की जब्ती इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है तो उसको न्यायनिर्णयन करने वाला अधिकारी माल के स्वामी को प्रतिग्रहण के बदले ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे, संदाय करने का विकल्प दे सकेगा :

परंतु यह कि ऐसा जुर्माना प्रतिग्राहित माल पर प्रभारित कर घटाने के पश्चात् उसके **बाजार मूल्य से अधिकनहीं होगा :**

परंतु यह और कि ऐसा जुर्माना और उद्ग्रहणीय शास्ति धारा 129 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम से कम नहीं होगा :

परंतु यह भी कि जहां माल को ढोने या भाड़े पर यात्रियों को ढोने में प्रयुक्त किसीप्रवहरण का प्रतिग्रहण किया जाता हो तो ऐसा प्रवहण के मालिक को जब्त प्रवहण के स्थान पर उसमें परिवहन किए माल पर संदेय कर के बराबर जुर्माना संदेय करने का विकल्प किया जा सकेगा ।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसीमाल या प्रवहण के प्रवहरण के बदले कोई शास्ति अधिरोपित की गयी है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति, इसके अतिरिक्त **ऐसे माल या प्रवहण की बाबत** कर, शास्ति और एनी प्रभारों **के लिए दायी होगा ।**

(4) माल या प्रवहण की जब्ती या शास्ति का अधिरोपण का आदेश उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं जारी किया जाएगा ।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी माल या प्रवहण को जब्त कर लिया गया है वहां ऐसे माल या प्रवहण का स्वामित्व सरकार में निहित हो जाएगा ।

(6) प्रवहरण के न्यायनिर्णयन का समुचित अधिकारी जब्त वस्तुओं का कब्जा लेगा और धारण करेगा तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी ऐसे समुचित अधिकारी की अपेक्षा पर ऐसा कब्जा लेने और धारण करने में उसको सहयोग करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी स्वयं के समाधान के पश्चात्कि जब्त माल या प्रवहण इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाहियों में अपेक्षित नहीं है और प्रवहरण के स्थान

पर जुर्माना देने के लिए तीन मास से अनधिक युक्तियुक्त समय देने के पश्चात् ऐसे माल या प्रवहण का निस्तारण करेगा और उसके विक्रय राशि सरकार को जमा करेगा।

131. **जब्ती या शास्ति अन्य दंडों से व्यतिरेक नहीं करेगा ।**— दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई प्रवहरण या अधिरोपित शास्ति किसी अन्य दंड जो उससे प्रभावित व्यक्ति को इस अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दायी है, के दंड का व्यतिरेक नहीं करेगा।

132. **कतिपय अपराधों के लिए दंड ।**—

(1) जो निम्नलिखित में से किसी दंड को कारित करता है, अर्थात् :--

(क) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना किसी माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय अपवंचन के आशय से करता है;

(ख) इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उल्लंघन में इनपुटकर प्रत्यय के प्रयोग या उपभोग या कर की वापसी के लिए माल या सेवा या दोनों का प्रदाय बीजक या बिल जारी कियेबिना करना;

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल में प्रयोग से इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करता है;

(घ) कोई रकम कर के रूप में संगृहीत करता है किन्तु उसे उस तारीख से जिसको ऐसा संदाय देय हो जाता है, तीन मास की अवधि के पश्चात् तक सरकार को संदाय करने में असफल होता है ;

(ङ) कर अपवंचन, कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति या कपट से वापसी प्राप्त करना और जहां ऐसा अपराध खंड (क) से (घ) में नहीं आता;

(च) इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर के संदाय से अपवंचन के आशय से या तो वित्तीय अभिलेखों को बदलता है या झूठलाता है या झूठे लेखा या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या किसी झूठी सूचना को प्रस्त्तुत करता है;

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकता है या प्रवारित करता है;

(ज) किसी माल जिसे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों को जब्त करने के लिए दायी है, उसका कब्जा अर्जित करता है या परिवहन में स्वयं को किसी माध्यम से संबद्ध करता है, हटाता है या जमा करता है, रखता है, छिपाता है, प्रदाय करता है या क्रय करता है या किसी अन्य रीति में उनका संव्यवहार करता है;

(झ) किसी माल को प्राप्त करता है या किसी अन्य प्रकार से उसके प्रदाय से संबद्ध रहता है या किसी अन्य रीति में सेवा प्रदाय में लगा रहता है जिसको वह जानते हुए करता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है ;

(ञ) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;

(ट) किसी सूचना का प्रदाय करने में असफल रहता है जिसे उसे इस अधिनियम में या तद्धीन निर्मित नियमों के उपबंधों के अधीन प्रदाय के लिए वह अपेक्षित है (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, जिसे सिद्ध करने का भार जो उस पर है कि उसके

द्वारा प्रदाय की गई सूचना सत्य है) या झूठी सूचना देता है, या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से खंड (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है,

दंडनीय होगा–

(i) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की जा चुकी इनपुट के प्रत्यय की रकम या वापस प्राप्त की गई रकम पांच सौ लाख रूपए से अधिक हो, ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(ii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की जा चुकी इनपुट के प्रत्यय की रकम या वापस प्राप्त की गई रकम दो सौ लाख रूपए से अधिक है लेकिन पांच सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(iii) जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की जा चुकी इनपुट के प्रत्यय की रकम या वापस प्राप्त की गई रकम एक सौ लाख रूपए से अधिक लेकिन दो सौ लाख रूपए से अनधिक है तो ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना सहित;

(iv) खंड (च) या खंड (छ) या खंड (त्र) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माना सहित या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का दोषसिद्ध है तथा पुनः इस धारा के अधीन दोषसिद्ध होता है तो वह दूसरे और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना सहित,

(3) उपधारा (1) के खंड (i), (ii) और (iii) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट कारावास विशेष और उचित कारण जिन्हें न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित की गई है की अनुपस्थिति में छह मास से कम अवधि का नहीं होगा ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उपधारा (5) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय असंज्ञेय और जमानतीय होगा ।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट और उस उपधारा के खंड (i) के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर जमानतीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए पद "कर" में अपवंचित कर की रकम या गलत रूप से रखी गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या प्रयुक्त की गई इनपुट कर प्रत्यय की रकम या इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गलत रूप से ली गई कर वापसी की रकम जो इस अधिनियम अथवा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम तथा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम के अधीन उदगृहीत उपकर सम्मिलित है।

133. अधिकारियों और कतिपय अन्य व्यक्तियों का दायित्व ।—

(1) जहां कोई व्यक्ति जो धारा 151 के अधीन सांख्यिकियों के संग्रहण या समेकन या उनके कंप्यूटरीकरण या यदि धारा 150 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना तक पहुंच के लिए राज्य कर का कोई अधिकारी लगा हुआ है या समान पोर्टल पर सेवा के उपबंधों के संबंध में लगा कोई व्यक्ति या यदि समान पोर्टल या अभिकर्ता जानबूझकर इस अधिनियम अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी विवरणी के अंश उक्त धाराओं के अधीन उसके कर्तव्यों के निष्पादन से अन्यथा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के प्रयोजन के लिए वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक का होगा या जुर्माने से जो पच्चीस हजार रूपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) कोई व्यक्ति,--

(क) जो सरकारी सेवक है, इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सरकार की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा;

(ख) जो सरकारी सेवक नहीं है, इस धारा के अधीन अपराध के लिए आयुक्त की बिना पूर्व अनुमति के अभियोजित नहीं किया जा सकेगा ।

134. अपराध का संज्ञान ।— न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध या संज्ञान बिना आयुक्त की पूर्व अनुमति के नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

135. आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान ।— इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन जो आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्‌यमानता को अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करने के लिए यह बचाव होगा कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत इस मानसिक स्थिति का नहीं था ।

स्पष्टीकरण–

(i) "आपराधिक मानसिक दशा" पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने का कारण, एक तथ्य सम्मिलित है;

(ii) एक सिद्ध किया हुआ तथ्य केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय इस पर बिना युक्तयुक्त संदेय के विश्वास करता है और जब इसकी विद्‌यमानता केवल संभाव्यता की प्राथमिकता द्‌वारा स्थापित नहीं है ।

136. कतिपय परिस्थितियों के अधीन कथनो की सुसंगतता ।— इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के दौरान धारा 70 के अधीन जारी किसी सम्मन के संदर्भ में हाजिर व्यक्ति द्‌वारा किया और हस्ताक्षरित कथन इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा, जिसमे तथ्य की सत्यता जिसमें होगा-

(क) जब कोई व्यक्ति जिसने कथन किया था जिसकी मृत्यु हो गयी है या नहीं मिल पा रहा है या साक्ष्य देने में अक्षम है या विरोधी पक्ष द्‌वारा दूर रखा गया है या जिसकी बिना बिलम्ब के प्राप्त उपस्थिति नहीं की जा सकती है, मामले की परिस्थितियों के अधीन न्यायालय अनौचित्यपूर्ण मानेगा; या

(ख) जब किसी व्यक्ति जिसने कथन किया है और न्यायालय के समक्ष मामले में साक्षी के रूप में उसका परीक्षण किया गया है और न्यायालय का मत है कि

मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कथन को न्यायहित में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

137. कंपनियों द्वारा अपराध ।—

(1) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रभारीऔर उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत मौनानुकूलता लापरवाही से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

(3) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा किसी भागीदारी फर्म या किसी सीमित दायित्व भागीदारी या किसी हिन्दू अविभक्त परिवार या किसी न्यास के भागीदार या कर्ता या प्रबंध, न्यासी होने के कारण किया जाता है, उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए किए जाने के अधीन दायी होंगे । ऐसे व्यक्तियों पर उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

(4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के रोकथाम लिए सम्यक् तत्परता बरती थी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य समूहहै ; और

(ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

138. अपराधों का प्रशमन ।—

(1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा :

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित लागू नहीं होगी—

(क) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है ;

(ख) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम याकिसी राज्य माल और सेवा कर

अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन के अधीन एक करोड़ रूपए से अधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया था ;

(ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने का अभियुक्त है, जोतत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है ;

(घ) कोई व्यक्ति जो किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है ;

(ङ) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है ; और

(च) कोई अन्य व्यक्तियों या अपराधों का वर्ग जो विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई प्रशमन अनुज्ञात होगा जो किसी अन्य विधि के अधीन संस्थित कार्रवाईयों, यदि कोई हों, पर प्रभाव नहीं डालता :

परंतु यह और भी कि ऐसे अपराधों में केवल अंतर्वलित कर, ब्याज और शास्ति का संदाय करने के पश्चात् प्रशमन अनुज्ञात होगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए न्यूनतम रकम अंतर्वलित करके पचास प्रतिशत या दस हजार रूपए इनमें से जो भी अधिकतम हों, और अधिकतम रकम तीस हजार रूपए से अन्यून या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हों, विहित की जा सकेगी।

(3) आयुक्त द्वारा अवधारित ऐसे प्रशमन रकम के संदाय पर अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के उसी अपराध के लिए संस्थित नहीं होंगी और किसी अन्य दांडिक कार्यवाहियां, यदि उक्त अपराध के संबंध में पहले से ही संस्थित है, समाप्त हो जांएगी।

अध्याय 20

संक्रमणकालीन उपबंध

139. विद्यमान करदाताओं का प्रवर्जन ।—

(1) नियत दिन से ही विद्यमान विधियों में से किसी के अधीन रजिस्ट्रीकृत और विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अनंतिम आधार पर ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी होगा, जिसे जब तक कि उपधारा (2) के अधीनअंतिम प्रमाणपत्र द्वारा प्रतिस्थापित नहीं कर दिया जाता,रद्दकरण के लिए दायी होगा यदि इस प्रकार विहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है ।

(2) रजिस्ट्रीकरण का अंतिम प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, प्रदान किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया नहीं समझा जाएगा यदि उक्त रजिस्ट्रीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में निरस्त होता है कि वह धारा 22 या धारा 24 के अधीन

रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था ।

140. निवेश प्रतिदेय कर के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं ।—

(1) धारा 10 के अधीन कर संदाय का विकल्प देने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विद्‌यमान विधि के अधीन उसके द्‌वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती दिन को समाप्त होने वाली अवधि से संबंधित विवरणी में, विहित की जाने वाली रीति में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर की रकम, यदि कोई हो, के प्रत्यय को अपने इलैक्ट्रोनिकजमा खाते में अग्रनीत करने का हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में इनपुट कर प्रत्यय लेने हेतु अनुज्ञात नहीं होगा, अर्थात् :--

(i) जहां जमा की उक्त रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुटकर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय नहीं है;या

(ii) जहां वह नियत दिन के तत्काल पूर्व छह मास की अवधि के लिए विद्‌यमान विधि के अधीन अपेक्षित सभी विवरणी को नहीं देता है ; या

(iii) जहां जमा की उक्त रकम सरकार द्‌वारा अधिसूचित विमुक्ति अधिसूचना के अधीन निर्मित एवम मंजूर से सम्बंधित हों :

परंतु यह और कि उक्त प्रत्यय की उतनी रकम, जो केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 धारा 3, धारा 5 की उपधारा (3), धारा 6, धारा 6क या धारा 8 की उपधारा (8) से संबंधित किसी ऐसे दावे के कारण है, जिसे केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम,1957 के नियम 12 में विहित रीति और अवधि के भीतर सिद्ध नहीं किया गया है, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में जमा किए जाने की पात्र नहीं होगी :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रत्यय की समतुल्य रकम का उस समय विद्‌यमान विधि के अधीन प्रतिदाय किया जाएगा जब उक्त दावों को केंद्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण और आवर्त) नियम,1957 के नियम 12 में विहित रीति में सिद्ध कर दिया जाता है ।

(2) धारा 10 के अधीन संदेय कर का विकल्प देने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पूंजी माल के संबंध में अनुपभुक्त इनपुटकर प्रत्यय की जमा अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का, जो विद्‌यमान विधि के अधीन नीयत तारीख के ठीक पूर्ववर्ती के दिन को समाप्त होने वाली अवधी के लिए दाखिल विवरणी में अग्रनीत नहीं है, ऐसी विहित रीति में लेने लिए हकदार होगा :

परंतु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्‌यमान विधि के अधीन इनपुटकर प्रत्यय के रूप में अनुज्ञेय उक्त राशी को जब तक प्रत्यय करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय कर के रूप में भी अनुज्ञेय है ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए "अनुपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय "पद से वह रकम अभिप्रेत है जो कि पूंजीगत मालों की बावत विद्यमान विधि के अधीन करधे व्यक्ति को अनुमान्य इनपुट कर प्रत्यय की रकम में से कराधेय व्यक्ति द्वारा उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय के घटाने के पश्चात शेष रहती है;

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं था या जो किसी विद्यमान विधि के अधीन ऐसे छूट प्राप्त या करमुक्त मालों या ऐसे मालों, जिन पर राज्य में उनके विक्रय के प्रथम बिन्दु पर कर लगाया गया है और जिनके पश्चातवर्ती विक्रय राज्य में कर के अध्यधीन नहीं है,चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, के विक्रय में लगा है, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं (या जहां व्यक्ति मालों के विक्रय के समय इनपुट कर प्रत्यय के लिए हकदार था), अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खातों में स्टॉक में धारित इनपुटों और स्टाक में धारित अर्ध-निर्मित माल या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में नियत दिन को मूल्य वर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, हकदार होगा, अर्थात्:--

(i) इस अधिनियम के अधीन कराधेय प्रदाय करने के लिए ऐसे इनपुट या मालों के उपयोग या कराधेय प्रदाय करने के लिए उपयोग के आशयित है ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे इनपुटकर प्रत्यय केलिए पात्र होगा ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने कब्जे में बीजक याऐसे अन्य विहित दस्तावेज, जो ऐसे इनपुटों के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य स्वरूप है, रखता है ;

(iv) ऐसे बीजक या विहित दस्तावेज नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती बारह मासों से पूर्वतर जारी नहीं किए गए थे ;

परंतु जहां किसी विनिर्माता या सेवाओं के प्रदाता से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इनपुटों के संबंध में कर के संदाय का साक्ष्य कोई बीजक या कोई अन्य दस्तावेज नहीं रखता है तब ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों, सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, जिसके अंतर्गत उक्त कराधेय व्यक्ति ऐसी प्रत्यय के लाभ मूल्य की कमी के द्वारा प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित करे, ऐसी रीति में, जो विहित कीजाए, ऐसी दर पर प्रत्यय का अनुज्ञात होगा।

(4) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो विद्यमान विधि के अधीन ऐसे कराधेय मालों के साथ-साथ छूट प्राप्त मालों या कर मुक्त मालों,चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, किंतु जो इस अधिनियम के अधीन कर के दायी हैं,के विनिर्माण में लगा है, अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का हकदार होगा,--

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा विद्यमान विधि के

अधीन दी गई किसी विवरणी में अग्रनीत मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के जमा की रकम ; और

(ख) उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे छूटप्राप्त मालों या कर मुक्त मालों,चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों,के संबंध में नियत दिन को स्टाक में रखे गए इनपुटों और अर्ध-निर्मित या तैयार मालों में अंतर्विष्ट इनपुटों के संबंध में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय की रकम ।

(5) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत दिन को या उसके पश्चात् प्राप्त इनपुटों के सबंध में अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में मूल्यवर्धित कर और प्रवेश कर, यदि कोई हो, की जमा को लेने का हकदार होगा, किंतु जिसके संबंध में कर का संदाय विद्यमान विधि के अधीन प्रदाता द्वारा किया गया है, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके बीजक या किसी अन्य कर संदाय संबंधी दस्तावेज को, नियत दिन से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे व्यक्ति की लेखा बहियों में लेखबद्ध किया गया था :

परंतु तीस दिन की अवधि पर्याप्त कारण दर्शित करने पर और तीस दिन की अधिक अवधि आयुक्त द्वारा विस्तारित होगी :

परंतु यह और कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन जमा के संबंध में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विवरण देगा ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो या तो किसी नियत दर पर कर का संदाय करता था या विद्यमान विधि के अधीन संदाय योग्य करके बदले में नियत रकम का संदाय करता था, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियत दिन को अपने स्टाक में निवेशों, अर्ध-निर्मित या निर्मित मालों में अंतर्विष्ट निवेशों की बावत मूल्य वर्द्धित कर का प्रत्यय अपने इलैक्ट्रोनिक प्रत्यय खाते में लेने का हकदार होगा, अर्थात्:--

(i) इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेश या मालों काप्रयोग कराधेय प्रदाय करने या ऐसे प्रदाय करने के लिए आशयित है ;

(ii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 10 के अधीन कर संदाय नहीं करता है ;

(iii) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे निवेशों पर इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है ;

(iv) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निवेश के संबंध में विद्यमान विधि के अधीन कर के संदाय के साक्ष्य के रूप में बीजक या अन्य विहित दस्तावेज कब्जे में है ; और

(v) ऐसे बीजक और अन्य विहित दस्तावेज नियत तारीख के तत्काल पूर्व बारह मास से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ।

(7) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (6) के अधीन प्रत्यय की रकम ऐसी रीति

में प्रगणित होगी, जो विहित की जाए ।

141. फुटकर काम के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध ।—

(1) नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में, जहां कोई इनपुट,कारबार के एक स्थान पर प्राप्त होता है और उसे उसी रूप में आगे और प्रसंस्करण,जांच, मरम्मत, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी कर्मकार को आंशिक रूप से प्रसंस्करण के पश्चात् प्रेषित कर दिया जाता है और ऐसे इनपुटों को उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् वापस भेजा जाता है तो उस समय कोई कर संदेय नहीं होगा, यदि ऐसे इनपुटों को फुटकर काम के पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान पर वापस भेज दिया जाता है :

परंतु छह मास की अवधि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर दो मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए आयुक्त द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि यदि ऐसा निवेश छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) केखण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किये जाने का दायी होगा।

(2) जहां कोई अर्द्ध तैयार माल कारबार के किसी स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कतिपय विनिर्माणकारी प्रक्रियाएँ करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस उपधारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को वापिस लौटाया जाता है तो कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल, विनिर्माणकारी प्रक्रियाएं करने या अन्यथा के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छहमास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तकबढाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, तो इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा :

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण मेंइस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरनिर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अथवाभारत में करके संदाय पर प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को अंतरित कर सकेगा ।

(3) (जहां कारबार के स्थान सेपरिक्षण कराए जानेयाअन्य प्रक्रियाके लिएकर के बिना संदाय के विद्यमान विधि के अनुसरण में नियत तारीखके पूर्व रजिस्ट्रीकृत अथवाअरजिस्ट्रीकृत किसी अन्य परिसर में हटा दिया गया था और ऐसे माल उक्त स्थान पर नियत तारीख के पूर्व अथवा पश्चात् वापस किया जाता है, कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण के अधीन अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से नियुक्त तारीख से छहमास के भीतर उक्त स्थान पर वापस किया जाता है :

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छहमास की अवधि को, आयुक्त द्वारा दो मास से अनधिकअवधि के लिए विस्तारित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल को इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं किया जाता है, इनपुट कर प्रत्यय धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में वसूल करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह भी कि मालों को प्रेषित करने वाला व्यक्ति, विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण मेंइस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतरनिर्यात के लिए कर के संदाय के बिना अथवाभारत में करके संदाय पर प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसरों में उक्त मालों को अंतरित कर सकेगा ।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर उस समय संदेय नहीं होगा, यदि विनिर्माता और कार्य-कर्मकार यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर और उस प्ररूप और रीति में नियत तारीख को विनिर्माता की ओर से कार्य-कर्मकार द्वारा स्टाक में रखे माल अथवा आगत के ब्यौरे में घोषणा करे।

142 प्रकीर्ण संक्रमण कालीन उपबंध।—

(1) जहां किसी माल पर कोई कर, यदि कोई है, उसके विक्रय के समय पर विद्यमान विधि के अधीन देय किया गया था, जो नियत तारीख से छह मास पूर्व के समय का नहीं हो, नियत तारीख के पश्चात् कारबार के स्थान पर वापिस किया जाता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विद्यमान विधि के अधीन देय कर के वापस किए जाने के लिए पात्र होगा जहां ऐसा माल नियत तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कारबार के उक्त स्थान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति को वापस किया जाता है तथा ऐसे माल का उचित अधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप में पहचान योग्य है ।

परन्तु यह कि उक्त माल रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वापस किया जाता है, ऐसे माल की वापसी प्रदाय समझी जाएगी ।

(2) (क) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनो की कीमत नियत तारीख कोअथवा इसके पश्चात् उससे पूर्व ऊपर की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे कीमत में ऐसे पुनरीक्षण होने के 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में अंतर्विष्ट अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट जारी किया जायेगा तथा इस अधिनियम के उदेदश्य के लिए ऐसे अनुपूरक बीजक अथवा डेबिट नोट को इस अधिनियम के अधीन की गई बाहरी प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा।

(ख) जहां नियत तारीख से पूर्व में किसी करार के अनुसरण में, किसी माल अथवा सेवा या दोनो की कीमत नियत तारीख कोअथवा इसके पश्चात् नीचे की ओर पुनरीक्षित की जाती है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसने मालों का विक्रय किया था, ऐसे कीमत में ऐसे पुनरीक्षण की 30 दिन की अवधि के भीतर जैसा विहित किया जाए ऐसी विशिष्टियों में

अंतर्विष्ट क्रेडिट नोट निर्गत करेगा तथा इस अधिनियम के उदेदश्य के लिए ऐसे अनुपूरक क्रेडिट नोट को इस नियम के अधीन की गई जावक प्रदाय के संबंध में जारी किया समझा जाएगा:

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को केवल क्रेडिट नोट के जारी किए जाने पर दायी उसके कर को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा यदि क्रेडिट नोट के पाने पर दायी करके ऐसे कम करने के लिए तत्स्थानी उसका इनपुट कर प्रत्यय घट जाता है ।

(3) नीयत तारीख के पूर्व, को या पश्चात विद्‌यमान विधि के अधीन भुगताये गए किसी निवेश कर प्रत्यय, कर, ब्याज अथवा कोई अन्य रकम के प्रतिदाय हेतु किसी व्यक्ति के द्‌वारा फाइल किए गए प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा विद्‌यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निष्पादित किया जायेगा और उसके लिए प्रोदभूत की गई पारिणामिक किसी रकम को विद्‌यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट नगद संदेय किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां इनपुट कर प्रत्यय की रकम के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी:

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम का अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है।

(4) नीयत तारीख के पूर्व या पश्चात निर्यात किए गए किसी माल या सेवा के संबंध में विद्‌यमान विधि के अधीन संदेय कर के प्रतिदाय हेतु नियत तारीख के पश्चात्‌ फाइल किए गए प्रतिदाय हेतु प्रत्येक दावा, विदयमान विधि के अनुसरण में निराकृत किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां इनपुट करप्रत्यय के प्रतिदाय के लिए कोई दावा पूर्णरूप से अथवा भागतः अस्वीकार किया जाता है, इस प्रकार अस्वीकृत रकम व्यपगत हो जाएगी:

परन्तु यह कि कोई प्रतिदाय दावा इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख कोउक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से पूर्व उलट दिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कोई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर के प्रत्यय के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी ।

(6) (क) इनपुट कर प्रत्यय के संबंध मेंप्रत्येक अपील, पुनरीक्षण, पुनःर्विलोकन अथवा निदेश की विद्‌यमान विधि के अधीन कोई कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख के पश्चात्‌ अथवा पूर्व की गई हो का निष्पादन विद्‌यमान विधि के अनुसार किया जायेगा तथा दावा करने वाले के लिए स्वीकार की गई पायी जाने वाली प्रत्यय की कोई रकम का विद्‌यमान विधि के अधीन अंतर्विष्ट नगद प्रतिदाय किया जाएगा और वह रकम जो अस्वीकार की जाएगी यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी:

परन्तु यह कि इनपुट करप्रत्यय की रकम का कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां नियत तारीख को उक्त रकम के अतिशेष को इस अधिनियम के अधीन अग्रेषित किया गया है ।

(ख) इनपुट कर प्रत्यय के वसूली के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की विद्‌यमान विधि के अधीन कोई कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो विद्‌यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई प्रत्यय की रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्‌यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(7) (क) आउटपुट कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनर्विलोकन अथवा निदेश की विद्‌यमान विधि के अधीन कोईकार्यवाही चाहे वह नियत तारीख के पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्‌यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में वसूल योग्य है उसी रूप में विद्‌यमान विधि के अधीन जब तक वसूल ना कर ली गई हो, इस अधिनियम के अधीन कर के किसी बकाया के रूप में वसूल की जाने वाली और इस प्रकार वसूल की गई रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) आउटपुट कर के संबंध में प्रत्येक अपील, पुनरीक्षण अथवा निदेश की विद्‌यमान विधि के अधीन कोई कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, विद्‌यमान विधि के उपबंधों के अनुसरण में निराकृत की जाएगी तथा यदि कोई रकम ऐसी अपील, पुनरीक्षण या निदेश के परिणाम के रूप में कोई दावाकृत रकम स्वीकार योग्य पाई जाती है विद्‌यमान विधि के अधीन नगद प्रतिदाय किया जाएगा और अस्वीकार की गई रकम, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(8) (क) जहां विद्‌यमान विधि के अधीन संस्थित किसी निर्धारण अथवा न्यायानिर्नयन की कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, के अधीन कोई कर, लाभ जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति से वसूल योग्य हो, इस अधिनियम के अधीन करके बकाया की तरह वसूली जाएगी यदि विद्‌यमान विधि के अधीन वसूल न कर लिया गया तथा इस प्रकार वसूली योग्य रकम इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां विद्‌यमान विधि के अधीन संस्थित किसी निर्धारण अथवा न्यायानिर्नयन की कार्यवाही चाहे वह नियत तारीख पश्चात् अथवा पूर्व की गई हो, के अधीन कोई कर, लाभ जुर्माना अथवा शास्ति की रकम व्यक्ति प्रतिदाय योग्य हो, विद्‌यमान विधि के अधीन नकद प्रतिदाय की जाएगी तथा अस्वीकृत राशि, यादो कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर

प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(9) (क) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन दाखिल की गई हो, नियत तारीख के पश्चात्पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम वसूल योग्य पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अनुज्ञेय नहीं पायी जाती है,ता विद्यमान विधि के अधीन बकाया कर की वसूली, इस अधिनियम के अधीन बकाया कर के रूप में की जाएगी, यदि विद्यमान विधि के अधीन वसूली नहीं गयी है तो, तथा अस्वीकृत राशी, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(ख) जहां कोई विवरणी विद्यमान विधि के अधीन दाखिल की गई हो, नियत तारीख के पश्चात परन्तु विद्यमान विधि में पुनरीक्षण हेतु निर्दिष्ट समय सीमा के अधीन, पुनरीक्षित की जाती है, और यदि ऐसे पुनरीक्षण के अनुसरण में कोई रकम किसी कराधेय व्यक्ति को वापसी योग्य पायी जाती है अथवा इनपुट कर प्रत्यय की रकम अनुज्ञेय पायी जाती है, तो उकता राशी विद्यमान विधि के अधीन वापस की जाएगी तथा अस्वीकृत राशी, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

(10) इस अध्याय में यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख के पूर्व की गई किसी संविदा के अनुसरण में नियत तारीख के पश्चात् माल या सेवा अथवा दोनो काप्रदाय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर के लिए दायी होगा ।

(11) (क) धारा 12 में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन मालपर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगाजिस सीमा तक वह कर बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन उक्त माल पर उद्ग्रहीत किया गया था ।

(ख) धारा 13 में अंतर्विष्ट होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सेवा पर कोई कर उस सीमा तक देय नहीं होगा जिस सीमा तक वह वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन उक्त सेवाओं पर उद्ग्रहीत किया गया था ।

(ग) जहां बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 और वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के अधीन दोनो के अधीन किसी आपूर्ति पर कर देय था, इस अधिनियम के अधीन कर उद्ग्रहीत किया जाएगा तथा कर योग्य व्यक्ति नियत तारीख के पश्चात्किए गए प्रदायों के विस्तारतक विद्यमान विधि के अधीन मूल्य वर्धित कर या सेवा कर को प्रत्यय के रूप में लेने का हकदार होगा तथा ऐसे प्रत्यय की उस रीति में जैसी विहित की जाए गणना कीजाएगी।

(12) जहां कोई माल नियत तारीख के पूर्व छह मास से पूर्व अनधिक अवधि के अनुमोदन के आधार पर भेजा जाता है, और क्रेता द्वारा अस्वीकृतकिया जाता है या अनुमोदित नहीं किया जाता है और नियत तारीख के पश्चात् अथवा उस तारीख को विक्रेता को वापस

किया जाता है, उस पर कोई कर नहीं देय होगा यदि ऐसा माल नियत तारीख से छहमासकी अवधि के भीतर वापस किया जाता है:

परन्तु यह कि पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर छह मास की अवधि को दो मास से अनधिक अवधि तकबढाने के लिए आयुक्त द्वारा विस्तार किया जाएगा:

परन्तु यह और कि माल वापस करने वाले व्यक्ति द्वारा कर देय होगा यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी होता है तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापसनहीं किया जाता है:

परन्तु यह भी कि कर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा संदेय किया जाएगा जिसने अनुमोदन के आधार पर माल को भेजा है यदि ऐसा माल इस अधिनियम के अधीन कर के लिए दायी है, तथा इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस किया नहीं जाता है ।

(13) जहां प्रदायकर्ता ने ऐसे माल का कोई विक्रय किया है जिस के संबंध में बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, **2005 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था और नियत तारीख के पूर्व बीजक भी जारी किया गया है, धारा 51 के अधीन स्रोत पर कटौतीकर्ता के द्वारा किसी कर की कटौती नहीं की जाएगी जहां उक्त प्रदायकर्ता को संदाय नियत तारीख को या इसके पश्चात्किया जाता है।**

(14) जहां प्रधान के कोई माल या पूंजी माल नियत दिन को अभिकर्ता के परिसरों में रखे हैं, वहां अभिकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसे मालों पर संदत्त कर का प्रत्यय लेने के लिए हकदार होगा,अर्थात् :--

(i) अभिकर्ता इस अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है ;

(ii) प्रधान और अभिकर्ता, दोनों ही नियत दिन से ठीक पूर्ववर्ती तारीख को ऐसे अभिकर्ता के पास रखे मालों या पूंजी मालों के स्टॉक के ब्यौरों की घोषणा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर करते हैं, जो इस निमित्त विहित किया जाए;

(iii) ऐसे मालों या पूंजी मालों के लिए बीजक नियत दिन से ठीक पूर्व के बारह मासों की अवधि से पूर्व जारी नहीं किए गए थे ; और

(iv) प्रधान ने या तो ऐसे,--

(क) मालों ; या

(ख) पूंजी मालों,

के संबंध में या तो इनपुट कर प्रत्यय को वापस कर दिया है या उसका फायदा नहीं लिया है या ऐसे प्रत्यय का फायदा ले लेने के पश्चात् उसे, उसके द्वारा लिए गए फायदे की सीमा तक वापस लौटा दिया है ।

स्पष्टीकरण--इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "पूंजी माल"पद का वही अर्थ होगा, जो उसका बिहारमूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 में है ।

अध्याय 21

प्रकीर्ण

143. छुटपुट कार्य की प्रक्रिया ।—

(1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (इसके पश्चात् इस धारा में "प्रधान" के रूप में निवेशित किया गया है), ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जाएऔर सूचना के अधीन छुटपुट कार्य के लिए छुटपुट कार्य को बिना कर के संदाय के कोई इनपुट अथवा पूंजीमाल भेज सकता है तथा पश्चात्वर्ती रूप में अन्य छुटपुट कार्य को भेज सकता है, और—

(क) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात्या अन्यथा निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजीगत मालकर के संदाय के बिना, उसके किसी भी कारबार के स्थान से उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, वापस लाएगा;

(ख) छुटपुट कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात् इनपुट निवेश या सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों से भिन्न पूंजी गत माल पर कर संदाय पर भारत के भीतर अथवा निर्यात के लिए कर संदाय अथवा बिना संदाय, जैसी स्थिति हो, कर के संदाय पर छुटपुट कर्मकार के कारबार के उसके किसी स्थान को उनके भेजे जाने के क्रमशः एक वर्ष और तीन वर्ष के भीतर, आप्रदाय करेगा:

परन्तु यह कि प्रधान खंड (ख) के निबंधनों में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से माल की आपूर्ति निम्न दशा के सिवाय तब तक नहीं करेगा जब तक उक्त प्रधान द्वारा उस स्थान को कारबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में की घोषणा नहीं करता है,

(i) **जहां छुटपुट कर्मकार धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; अथवा**

(ii) **जहां प्रधान ऐसे माल की आप्रदाय में लगा हुआ है जैसा कि आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है ।**

(2) आगत अथवा पूंजीगत माल के लिए लेखाओं का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व प्रधान पर होगी ।

(3) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजा गया निवेश उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में छुटपुट कार्यों से भिन्न कार्य के पूरा होने के पश्चात् प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने के एक वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आप्रदाय नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे इनपुट की छुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आप्रदाय की गई थी उस दिन जब उक्त इनपुट बाहर भेजे गए थे ।

(4) जहां छुटपुट कार्य हेतु भेजे गए सांचा और रूपदा, जुगतों और फिक्सचरों या औजारों से भिन्न पूंजी माल उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में प्रधान द्वारा वापस नहीं लिया जाता है अथवा उसके बाहर भेजे जाने की तीन वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में छुटपुट कर्मकार के कारबार के स्थान से आप्रदाय नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे पूंजी मालछुटपुट कर्मकार के लिए प्रधान द्वारा आप्रदाय की गई थी उस दिन जब उक्त पूंजी माल बाहर भेजे गए थे ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (2)**में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपशिष्ट और छुटपुट कार्य के दौरान उत्पादित स्क्रेप पर के संदाय पर कारबार के उसके स्थान से सीधे छुटपुट कर्मकार के द्वारा आप्रदाय की जा सकती है, यदि ऐसा छुटपुट**

कर्मकार रजिस्ट्रीकृत है अथवा यदि छुटपुट कर्मकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो प्रधान द्वारा आपूर्ति जाएगी ।

स्पष्टीकरण--छुटपुट कार्य के उद्देश्य हेतु इनपुट में प्रधान या किसी छुटपुट कर्मकार द्वारा इनपुट पर लाए गए किसी उपाय या कार्रवाई से उद्भूत होने वाले मध्यवर्ती माल सम्मिलित है ।

144. कतिपय मामलों में दस्तावेजों के लिए उपधारणा, छूट प्राप्त करना।— **जहां कोई दस्तावेज—**

(i) **इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है; अथवा**

(ii) **इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा अथवा नियंत्रण से अभिग्रण किया गया है; अथवा**

(iii) **इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाही के क्रम में भारत के बाहर किसी स्थान से प्राप्त किया गया है,**

और ऐसा दस्तावेज उसके अथवा किसी अन्य व्यक्ति जिसने उससे संयुक्त होने का प्रयास किया हो, के विरुद्ध न्यायालय--

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा जब तक प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, उपधारणा की जाएगी ।

(i) **ऐसे दस्तावेज की अंर्तवस्तु की सत्यता;**

(ii) **यह कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का प्रत्येक अन्य भाग जिसका तात्पर्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित हो अथवा जिसे न्यायालय ने उचित कारणों के लिए हस्ताक्षर कराया हो अथवा किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्तलिखित किया गया हो और ऐसे** क्रियान्वित **या अभिप्रमाणित दस्तावेज की दशा में इस प्रकार उसका तात्पर्य** क्रियान्वित **या अभिप्रमाणन किया गया हो;**

(ख) यह होते हुए भी कि यह सम्यकतः स्टांपित नहीं है, में दस्तावेज स्वीकार करेगा, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में गृहीय है ।

145. दस्तावेज के रूप में और साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों और कम्प्युटर प्रिंट आउट की माईक्रो फिल्म, प्रतिकृति प्रतियों की ग्राह्यता ।—

(1) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए --

(क) ऐसे माईक्रोफिल्म में लगी हुई छाया या छायाओं के पुर्नउत्पादन या दस्तावेजों की माईक्रोफिल्म (चाहे वह बड़ी हो अथवा नहीं); या

(ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या

(ग) **किसी दस्तावेज में अर्न्तविष्ट कोई विवरण और जिसमें किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित कोई मुद्रित सामग्री भी शामिल है, ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित कीजाए; या**

(घ) **किसी युक्ति या संचार माध्यम में इलैक्ट्रोनिक रूप से भंडारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की हार्डप्रतियां भी शामिल है,**

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्रवाई में, किसी और सबूत या मूल

दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे ग्राहय होगा जैसे मूल दस्तावेज की कोई विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य के रूप में ग्राहय हो ।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाने गये नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन करने की अपेक्षा की गयी है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र--

(क) जो ऐसे दस्तावेज को परिलक्षित करता है जिसमें कथन अर्न्तविष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे लिया गया है;

(ख) जो उस दस्तावेज को बनाने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को देता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाणपत्र में कथित किसी मामलें का साक्ष्य होगा और इस उपधारा से प्रयोजन हेतु यह इसका कथन करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से कहा गया कथन होने के मामलें में पर्याप्त होगा ।

146. सामान्य पोर्टल।—सरकार, परिषद्की सिफारिशों पर प्रसुविधा हेतु रजिस्ट्रीकरण, कर के संदाय, विवरणी के प्रस्तुतीकरण, एकीकृत कर की संगणना और समाधान, इलैक्ट्रोनिक वे बिल और ऐसे प्रयोजनो के लिए जो विहित किए जाए के लिए सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल को अधिसूचित कर सकेगी।

147. निर्यात समझा जाना।— सरकार, परिषद्की सिफारिशों पर जहां प्रदाय किया गया माल भारत नहीं छोड़ता है और ऐसी प्रदाय के लिए संदाय भारतीय रुपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विर्निमित किया गया है, कतिपय माल की प्रदाय को निर्यात के रूप में समझा जाना अधिसूचित कर सकेगी।

148. कतिपय प्रक्रियाओं के लिए विशेष पद्धति।—सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तो और सुरक्षा के अधीन जो विहित किए जाए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्गों द्वारा अनुसरण की जाने वाली विशेष पद्धति को अधिसूचित कर सकेगी, जिसमें रजिस्ट्रीकरण से संबंधित, विवरणी का प्रस्तुतीकरण, कर का संदाय और ऐसे कराधेय व्यक्तियों का प्रशासन भी शामिल है।

149. माल और सेवाकर अनुपालन रेंटिग।—

(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अनुपालन के उसके अभिलेख पर आधारित सरकार द्वारा एक माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग समानुदेशित कर सकेगी।

(2) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को ऐसे मानकों के आधार पर जो विहित किए जाए, अवधारित किया जा सकेगा।

(3) माल और सेवा कर अनुपालन रेटिंग गणना को अवधारित अन्तरालों पर अद्यतन किया जा सकेगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सूचित किया जा सकेगा तथा ऐसी रीति जो विहित की जाए पब्लिक डोमेन मे भी रखी जा सकेगी ।

150. सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता । (1) कोई व्यक्ति--

(क) कोई कराधेय व्यक्ति होने के कारण ; या

(ख) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य सार्वजनिक निकाय या संगम होने के कारण ; या

(ग) वर्द्धित कर या विक्रय कर या राज्य उत्पाद कर के संग्रहण के लिए

उत्तरदायी राज्य सरकार का कोई प्राधिकारी या उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी केन्द्र सरकार का कोई प्राधिकारी होने के कारण ; या

(घ) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आयकर प्राधिकारी होने के कारण ; या

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थ के अंतर्गत कोई बैकिंग कंपनी होने के कारण; या

(च) कोई राज्य विद्युत बोर्ड या विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारक या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्यों से न्यस्त कोई इकाई, होने के कारण; या

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार होने के कारण; या

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार होने के कारण; या

(झ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने को सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी होने के कारण; या

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई समाहर्त्ता होने के कारण ; या

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज होने के कारण; या

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड़) में निर्दिष्ट निक्षेपागार होने के कारण; या

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन यथागठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी होने के कारण; या

(ढ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कोई रजिस्ट्रर्ड कंपनी, माल और सेवा कर नेटवर्क होने के कारण; या

(ण) धारा 25 की उपधारा (9) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया विशिष्ट पहचान संख्या प्रदत्त व्यक्ति होने के कारण; या

(त) सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति; जो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, रजिस्ट्रीकरण या लेखा विवरण या का अभिलेख कोई आवधिक विवरणी या कर संदाय और माल या सेवा या दोनों के संव्यवहार के अन्य ब्यौरे को अंतर्विष्ट करने वाले दस्तावेज या किसी बैंक खाता या विद्युत खपत से संबंधित संव्यवहार या माल या संपत्ति का क्रय–विक्रय या आदान प्रदान के संव्यवहार या किसी संपत्ति या सम्पत्ति में अधिकार या हित के अभिलेख के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है ऐसी अवधि, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप और रीति में, और ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण के समक्ष जो विहित की जाए एक सूचना विवरणी दाखिल करेगा।

(2) जहां आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सूचना विवरणी में दी गई सूचना को त्रुटिपूर्ण समझता है, वह सूचना विवरणी भरने वाले उस व्यक्ति को ऐसी त्रुटि प्रज्ञापित करेगा और उसको ऐसे प्रज्ञापन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, या उसकी ओर से किए गए आवेदन पर ऐसी अग्रसारित अवधि के भीतर,

त्रुटि के परिशोधन करने का एक अवसर देगा, और यदि त्रुटि का परिशोधन उक्त तीस दिन की अवधि या अग्रसारित अवधि के भीतर नहीं किया गया है तो, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, ऐसी सूचना विवरणी भरी हुई नहीं समझी जाएगी और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिससे सूचना विवरणी दिया जाना अपेक्षित है उसे वह उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो उक्त प्राधिकारी उसे नोटिस परिदान की तारीख से नब्बे दिनों की अनधिक अवधि के भीतर ऐसी सूचना विवरणी देने की अपेक्षा का नोटिस दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति सूचना विवरणी देगा ।

151. सांख्यिकी संग्रहण की शक्ति ।—

(1) आयुक्त यदि यह समझता है कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा, या इस अधिनियम से संबंधित किसी मामले के सिलसिले में सांख्यिकी का संग्रहण करने को निदेश दे सकेगा ।

(2) ऐसी अधिसूचना जारी करने पर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति से यथा विहित, ऐसे प्रारूप और रीति में उन सांख्यिकियों के संग्रहण से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसी सूचना या विवरणी देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा।

152. सूचना के प्रकटन पर वर्जन ।—

(1) धारा 150 या धारा 151 के प्रयोजनों के लिए दी गई किसी भी बात की बावत किसी व्यष्टि विवरणी या उसके भाग की सूचना, अनुरूप या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी कि ऐसी विशिष्टियाँ किसी खास व्यक्ति के पहचान के प्रति निर्दिष्ट न हो और ऐसी सूचना इस अधिनियम के अधीन किसी प्रक्रियाओं के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन अभियोजन के प्रयोजन को छोड़कर, कोई व्यक्ति जो कि इस अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण में या इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए संकलन या उसके कंप्यूटरीकरण में नहीं लगा हुआ है, को, धारा 151 में निर्दिष्ट कोई सूचना या कोई व्यष्टि विवरणी को देखने या उस तक उस तक पहुँचने की अनुमति होगी ।

(3) इस धारा की कोई बात व्यक्ति के किसी वर्ग या संव्यवहार के किसी वर्ग से संबंधित किसी सूचना के प्रकाशन पर लागू नहीं होगी, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोकहित में वांछनीय है ।

153. किसी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त करना ।— सहायक आयुक्त की पंक्ति से अन्युन कोई अधिकारी, मामले की प्रकृति और जटिलता तथा राजस्व के हित के संबंध को ध्यान में रखते हुए, उसके समक्ष संविक्षा, जांच अन्वेषण या किसी अन्य कार्यवाही के किसी भी स्तर पर किसी भी विशेषज्ञ से सहायता प्राप्त कर सकेगा ।

154. नमूनों को प्राप्त करने की शक्ति ।— आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जहां वह ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी कराधेय व्यक्ति के कब्जे से माल के नमूने ले सकेगा, और इस प्रकार लिए गए किसी भी नमुने की रसीद उपलब्ध कराएगा ।

155. सबूत का भार ।— जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता है कि वह उस अधिनियम के अधीन इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र है, ऐसे दावे को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा ।

156. व्यक्ति लोक सेवक समझा जाएगा ।— इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत आने वाले लोक सेवक समझे जाएंगे ।

157. इस अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण ।—

(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भाव में की गई या किये जाने को आशयित कोई कृत्य **के लिए अपील अधिकरण के अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या उक्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद्, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएगी।**

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभाव में की गई या किए जाने को आशयित कोई कृत्य **के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत** किसी अधिकारी **के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जाएगी ।**

158. लोक सेवक द्वारा सूचना का प्रकट किया जाना । (1) इस अधिनियम, के के अनुसरण में किए गए किसी कथन, दी गई विवरणी या पेश किए गए लेखाओं या दस्तावेजों में या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के अनुक्रम में दिए गए साक्ष्य के अभिलेख में (किसी दंडिक न्यायालय के समक्ष कार्यवाही से भिन्न) या इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से संबंधित या किसी अभिलेख में, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, प्रकट नहीं करेगा।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) में यथाउपबंधित के सिवाय, कोई न्यायालय किसी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी से उसके समक्ष उपधारा (1) में निर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों को प्रस्तुत करने या उनकी बावत उसके समक्ष साक्ष्य देने की अपेक्षा करने का हकदार होगा।

(3) इस धारा की **कोई बात,--**

(क) **भारतीय दंड संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन किसी अभियोजन के प्रयोजन के लिए किसी विवरण, विवरणी, लेखाओं, दस्तावेजों, साक्ष्य, शपथपत्र या अभिसाक्ष्य के संबंध में; या**

(ख) **इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार को या राज्य सरकार को या इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कार्यकारी कोई व्यक्ति को; या**

(ग) ऐसी विशिष्टियाँ जिनके प्रकटन का कारण इस अधिनियम के अधीन विधि पूर्ण कार्य द्वारा किसी नोटिस के तामिल या किसी मांग की वसूली के लिए कोई कार्यवाही हो, **के संबंध में; या**

(घ) किसी भी वाद या कार्यवाहयों में एक सिविल न्यायालय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सरकार या कोई प्राधिकारी, एक पक्षकार है जो कि इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी कार्यवाहियों में उठने वाले किसी मामले से संबंधित है, इसके अधीन किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ऐसा कोई प्राधिकारी को प्राधिकृत करता है, के संबंध में; या

(ङ) इस अधिनियम द्वारा कर प्राप्ति या अधिरोपित कर के प्रतिदाय **की लेखापरीक्षा** के **प्रयोजन** से **नियुक्त किसी अधिकारी को; या**

(च) तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी के आचरण के जाँच हेतु संगत **; या**

(छ) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को किसी कर या शुल्क के अधिरोपण या वसूली हेतु समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए; **या**

(ज) ऐसी विशिष्टियाँ जिनके प्रकटन का कारण **तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन कोई लोक सेवक या कोई अन्य कानूनी प्राधिकारी द्वारा उसकी या उसकी** शक्तियों के **विधिपूर्ण** प्रयोग में **; या**

(झ) किसी पेशारत अधिवक्ता, कर व्यवसायी, पेशारत लागत लेखाकार, पेशारत चार्टर्ड अकाउंटेंट, पेशारत कंपनी सचिव के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में दुराचरण के अभियोग की जाँच हेतु विधि व्यवसाय, लागत लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सचिव के पेशा में लगे हुए सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाई करने हेतु सशक्त किसी प्राधिकारी को सुसंगत किसी तथ्य का प्रकटन ; या

(ञ) नियुक्त किसी अभिकरण को डाटा प्रविष्टि या स्वचालित प्रणाली के प्रयोजन के लिए या संचालन, उन्नत करने या किसी स्वचालित प्रणाली के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए जहां ऐसे अभिकरण पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए को छोड़ ऐसी विशिष्टियों के प्रयोग या प्रकट नहीं करने की संविदा आबद्ध है ; या

(ट) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के प्रयोजन के लिए यथाआवश्यक सरकार के किसी अधिकारी को ; और

(ठ) कराधेय व्यक्तियों के या संव्यवहारों के किसी वर्ग से सम्बंधित प्रकाशन हेतु कोई सूचना, यदि आयुक्त की राय में ऐसी सूचना का प्रकाशन लोक हित में है,

किन्हीं विशिष्टियों के प्रकटन को लागू नहीं होगी।

159. कतिपय मामलों में व्यक्ति के विषय में सूचना का प्रकाशन ।—

(1) यदि आयुक्त, या उसकी ओर से इस संबंध में **उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी की यह राय है कि किसी व्यक्ति का नाम और ऐसे व्यक्ति के संबंध में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाहियों या अभियोजन से संबंधित कोई अन्य विशिष्टियां का प्रकाशन लोकहित में आवश्यक या समीचीन है** तो वह, **ऐसी रीति में ऐसे नाम और विशिष्टियां का प्रकाशन कर सकेगा ।**

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में इस धारा के अधीन कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जब तक अपील प्राधिकारी को कोई अपील प्रस्तुत करने के लिए धारा 107 के अधीन समय का अवसान कोई अपील प्रस्तुत किए बिना **हो जाता है या कोई अपील यदि प्रस्तुत की जाती है, का निपटारा** नहीं हो जाता है।

स्पष्टीकरण--यथास्थिति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों का संगम, फर्म के भागीदारों, कंपनी के निदेशकों, प्रबंधकीय अभिकर्ताओं, सचिवों और कोषाध्यक्षों या प्रबंधकों का नाम या सदस्यों का संगम की दशा में, सदस्यों का नाम **प्रकाशित किया जा सकेगा, यदि आयुक्त या उसकी ओर से उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की राय में मामले की परिस्थिति** में ऐसा करना **न्यायोचित** हो ।

160. कतिपय बिन्दुओं पर निर्धारण कार्यवाहियां, आदि का अविधिमान्य न किया जाना ।—

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंधों के अनुसरण में किए गए, प्रतिग्रहण किए गए

बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया या कथित रूप में किए गए, प्रतिग्रहण किए गए प्रतिग्रहण किए गए **बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया कोई निर्धारण पुन:निर्धारण, न्यायनिर्णयन, पुन:विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या की गई अन्य कार्यवाहियां, बनाए गए, जारी किया गया, आरंभ किया गया उसमें किसी गलती, त्रुटि या लोप होने के कारण अविधिमान्य** नहीं होगा या **समझा जाएगा, यदि ऐसे निर्धारण, पुनःर्निधारण, न्यायनिर्णयन, पुनःर्विलोकन, पुनरीक्षण, अपील, परिशोधन, नोटिस, समन या अन्य कार्यवाहियां इस अधिनियम या विद्यमान किसी विधि के** सार एवं प्रभाव की दृष्टि से **आशय, प्रयोजन और अपेक्षा** के अनुरूप हो।

(2) किसी **नोटिस, आदेश या संचार की तामील, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, यदि यथास्थिति, नोटिस, आदेश या संचार** के अनुसरण में **उस व्यक्ति** द्वारा **पहले ही** कार्यवाही की गयी **है जिसके नाम उसे जारी किया गया है,** या **जहां ऐसे तामिल** कार्यवाही या पूर्व के कार्यवाही के प्रारंभ करने, चालु करने या पूर्ण करने में **प्रश्नगत नहीं किया गया है।**

161. अभिलेख पर प्रकट त्रुटि का परिशोधन ।— धारा 160 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी अन्य बातों के होते हुए भी, कोई प्राधिकारी, जो किसी पारित या जारी कोई विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र था कोई अन्य दस्तावेज के जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के दौरान ऐसे किसी त्रुटि का परिशोधन कर सकेगा जिसमें ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज में त्रुटी अभिलेख को देखने से ही प्रकट होता है, और जो उसके स्वप्रेरणा से या इस अधिनियम या केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसके संज्ञान में लाई जाती है,

परंतु यह कि ऐसा परिशोधन ऐसे विनिश्चय या आदेश या नोटिस या प्रमाणपत्र या अन्य कोई दस्तावेज के जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उक्त छह मास की अवधि दुर्घटनावश किसी चूक या लोप से उदभूत मात्र लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि के परिशोधन के मामले में लागु नहीं होगी, संशोधन के स्वरूप में शुद्धता की गई हो :

परंतु यह भी जहां कोई व्यक्ति ऐसे परिशोधन से प्रतिकूल रूप से **प्रभावित होता है,** वहां **परिशोधन करने वाले प्राधिकारी द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया** जायेगा।

162. सिविल न्यायालय की अधिकारिता पर वर्जन ।— धारा 117 और 118 में यथाउपबंधित के सिवाय कोई सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किये गए या तात्प्रयित किसी कृत्य से उदभूत किसी प्रश्न से निपटने या विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

163. फीस उदग्रहण ।— जहां कहीं किसी आदेश या दस्तावेज की प्रति आवेदन पर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाती है, वहां यथाविहित फीस संदत्त की जाएगी ।

164. नियमों को बनाने की सरकार की शक्ति ।—

(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशो पर, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार, ऐसे

सभी या किसी मामले के लिए नियम बना सकेगी जिन्हें विहित करने की अपेछा इस अधिनियम द्‌वारा की गयी है या जिनकी बावत नियम प्रावधान किये जाते हैं ।

(3) इस धारा द्‌वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति में उन्हें या उनमें से किन्ही को इस अधिनियम के उपबंधो की प्रविर्त होने की तारीख के पश्चात किसी तारीख में भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति सम्मिलित होगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्‌वारा उसके उल्लंघन पर दस हजार से अनाधिक शास्ति लगाए जाने का उपबंध किया जा सकेगा ।

165. विनियम बनाने की शक्ति ।— सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्‌वारा बना सकेगी ।

166. नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।—इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाये या जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र या उन आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम या अधिसूचना नहीं बनाई या नहीं जारी की जानी चाहिए तो, यथास्थिति ऐसा नियम या विनियम या ऐसी अधिसूचना, तत्पश्चात, यथास्थिति, केवल ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम या विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

167. शक्तियों का प्रत्यायोजन।— आयुक्त, अधिसूचना द्‌वारा ऐसी शर्तों, यदि हों तो, के अधीन रहते हुए, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्‌वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी और प्राधिकरणी **या अधिकारी द्‌वारा भी प्रयोग करने का निदेश कर सकेगा ।**

168. अनुदेशों या निदेशों को जारी करने की शक्ति ।— आयुक्त, यदि इस अधिनियम के कार्यान्वयन में समरूपता के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, राज्य कर अधिकारियों को उसके द्‌वारा उचित समझा जाने वाला आदेश, अनुदेश या निदेश जारी कर सकेगा और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में नियोजित सभी ऐसे अधिकारी और सभी अन्य व्यक्ति ऐसे आदेशों, अनुदेशों या निदेशों का अनुसरण और पालन करेंगे ।

169. कतिपय मामलों में नोटिस की तामील ।—

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या अन्य संसूचना को निम्नलिखित किन्हीं पद्धतियों द्‌वारा तामील की जाएगी, अर्थात्:--

(क) प्रेषिती या कराधेय व्यक्ति को या उसके प्रबंधक या प्राधिकृत प्रतिनिधि या ऐसा कोई अधिवक्ता या कर व्यवसायी जिसके पास कराधेय व्यक्ति की ओर से कार्यवाहियों में पेश होने का प्राधिकार है या कारबार के संबंध में उसके द्‌वारा नियमित रूप से नियोजित व्यक्ति को या कराधेय व्यक्ति के साथ रह रहे परिवार के किसी व्यस्क सदस्य को सीधे देकर या सुपुर्द करके या संदेशवाहक, जिसके अंतर्गत कुरियर भी है, के द्‌वारा ; या

(ख) जिसके लिए आशयित है उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई हो, को उसके कारबार या निवास के अंतिम ज्ञात स्थान, पर अभिस्वीकृति देय रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कुरियर द्वारा ; या

(ग) रजिस्ट्रीकरण के समय या समय-समय पर यथासंशोधित उसके ई-मेल पते पर संसूचना भेजने के द्वारा ; या

(घ) सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के द्वारा ; या

(ङ) वह इलाका जहां, कराधेय व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसे यह जारी किया गया है, इससे पहले रहता था, कारबार करता था या अभिलाभ के लिए व्यैक्तिक तौर पर कार्य करता था में प्रचालित समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा ; या

(च) यदि उपर्युक्त कोई ढंग व्यवहारिक नहीं है, तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान पर किसी सहज दृश्य जगह चिपकाने के द्वारा और यदि किसी कारणवश ऐसी पद्धति भी व्यवहारिक नहीं होती है तो ऐसा विनिश्चय या आदेश या समन या नोटिस जारी करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकाने के द्वारा ।

(2) प्रत्येक विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी संसूचना की उसी तारीख को तामील हुई समझी जाएगी जिस पर इसे सुपुर्द किया गया या प्रकाशित किया गया या उपधारा (1) में उपबंधित रीति से एक प्रति वहां चिपकाई गई ।

(3) जब ऐसे विनिश्चय, आदेश, समन, नोटिस या किसी, संसूचना को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, तो ऐसी डाक के पहुंचने में सामान्यतः लगने वाली अवधि के समाप्ति पर प्रेषिती द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता ।

170. कर का पूर्णांकन आदि ।— इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर की रकम, ब्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य संदेय रकम और प्रतिदाय की रकम या कोई अन्य देय रकम निकटतम रुपए के लिए पूर्णांकित होगी और, इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी रकम जिसमें रुपए का एक भाग पैसे के रूप में है, तब यदि ऐसा भाग पचास पैसे या उससे अधिक है, तो एक रूपए तक बढ़ाया जाएगा और यदि ऐसा भाग पचास पैसे से कम है तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।

171. मुनाफाखोरी निरोध उपाय ।—

(1) किसी माल या सेवाओं पर कर की दर में किसी कमी या ईनपुट कर प्रत्यय के फायदे को मूल्यों में सम्मेय कमी के तौर पर प्राप्तकर्ता को दे दी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार यह परीक्षण करने के लिए कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उप्मुक्त ईनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी से वास्तव में परिणामत: माल और सेवाओं या उसके द्वारा प्रदाय किए गए दोनों के मूल्यों में सम्मेय कमी हुई है, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण का गठन या उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी विद्ययमान प्राधिकरण को सशक्त कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा जो विहित की जाय ।

172. कठिनाइयों को दूर करना ।—

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती

है तो सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कोई साधारण या कोई विशेष आदेश कर या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

173. निरसन ।— इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, एवं धारा 174 के शर्तों के अधीन, **इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही निम्नलिखित अधिनियमों का निरसन किया जाता है, अर्थात्** :--

(क) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित मालों के सिवाय, बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, **2005** ;

(ख) बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, ब्यवहार अथवा बिक्रय हेतु मालों के प्रवेश पर कर, अधिनियम,1993 ;

(ग) बिहार होटल विलासिता कर **अधिनियम**, 1988 ;

(घ) बिहार मनोरंजन कर **अधिनियम**, 1948 ;

(ङ) बिहार विज्ञापन कर **अधिनियम**, 2007 ;

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) ।

174. व्यावृत्ति ।—

(1) धारा 173 में निर्दिष्ट अधिनियमों का निरसन, **धारा 173** में **उल्लिखित विस्तार तक-**

(क) ऐसे निरसन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुन: प्रवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) पूर्व प्रचालित निरसित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) ऐसे निरसित के अधीन निरसित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, या अर्जित, प्रोदभूत या उपगत दायित्व को नहीं करेगा :

परंतु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप मे जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है ;

(घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या निरसित अधिनियमों के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा ;

(ङ) किसी अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों की वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण

या दंड उद्गृहित या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इन अधिनियम को इस प्रकार निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ;

(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हे नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त निरसित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त निरसित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को निरसित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ।

(2) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में बिहार एवं उडीसा **साधारण खंड अधिनियम, 1917 की धारा 8 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभावित करने के लिए उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा ।**

अनुसूची 1

[धारा 7 देखें]

प्रतिफल के बिना किये गए क्रियाकलाप जिन्हें प्रदाय माना जायेगा यदि बिना विचार के किया

1. कारबार आस्तियों का स्थाई अंतरण या निपटान, जहां ऐसी आस्तियों पर ईनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया गया है ।

2. धारा 25 में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों या सुभिन्न व्यक्तियों के बीच माल या सेवाओं या दोनों का प्रदाय जहाँ ऐसा प्रदाय कारबार के अनुक्रम या अग्रसारण में किया गया है :

परंतु यह कि किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मचारी को एक वित्तीय वर्ष में पचास हजार रुपयों से अनधिक मूल्य के दिए गए भेंट को माल या सेवा या दोनों का प्रदाय नहीं माना जाएगा ।

3. माल का प्रदाय--

(क) जो किसी मालिक द्वारा उसके अभिकर्ता को किया गया है, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल का प्रदाय करने का वचन देता है ।

(ख) जो किसी अभिकर्ता द्वारा उसके मालिक को किया गया है, जहां अभिकर्ता मालिक की ओर से ऐसे माल को प्राप्त करने का वचन देता है ।

4. कारबार के अग्रसारण या अनुक्रम में, कराधेय व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर उससे संबंधित व्यक्ति या किसी अन्य स्थापना से सेवाओं का आयात ।

अनुसूची 2

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलापों को माल के प्रदाय या सेवाओं के प्रदाय के रूप में माना जाना

1. अंतरण--

(क) माल में हक का कोई अंतरण, माल का प्रदाय है ;

(ख) उसके हक के अंतरण के बिना, माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का कोई अंतरण, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ग) माल में हक़ का अंतरण जो किसी ऐसे करार के अधीन हुआ है जो अनुबंध करता है कि माल में संपत्ति का हस्तांतरण प्रतिफल के संदाय पर भविष्य की तारीख में होगी, माल का प्रदाय है ।

2. भूमि और भवन--

(क) कोई पट्टा, कास्तकारी, सुखाचार, भूमि के आधिपत्य की अनुज्ञप्ति, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ख) किसी भवन, जिसके अंतर्गत कारबार या वाणिज्य के लिए वाणिज्यिक, औद्योगिक या आवासीय परिसर है, को पूर्णत: या अंशत: किसी पट्टा या किराए पर देना, सेवाओं का प्रदाय है ।

3. व्यवहार या प्रक्रिया--

कोई व्यवहार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल पर लागू की जाती है, सेवाओं का प्रदाय है ।

(4) कारबार आस्तियों का अंतरण--

(क) जहाँ व्यवसाय चलानेवाले किसी व्यक्ति या उसके निदेश पर कारबार की आस्तियों के भाग किसी माल का, प्रतिफल हेतु या अन्यथा, इस प्रकार अंतरण या निपटाव कि उक्त माल ऐसी आस्तियों का भाग न रहे, की दशा में ऐसा अंतरण या निपटाव उस व्यक्ति द्वारा माल का प्रदाय है ;

(ख) जहाँ व्यवसाय चलानेवाले किसी व्यक्ति या उसके निदेश पर व्यवसाय के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त या धारित किसी माल का कोई निजी उपयोग किये जाने या, व्यसाय से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, प्रतिफल हेतु या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराये जाने की दशा में ऐसा उपयोग या उपलब्ध कराया जाना, सेवाओं का प्रदाय है ;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत हो जाता है, कोई माल जो उसके द्वारा चलाए जा रहे कारबार की आस्तियों का हिस्सा है, उसके कराधेय व्यक्ति के रूप में प्रविरत होने से तुरंत पूर्व उसके कारबार के अनुक्रम या अग्रसारण में उसके द्वारा प्रदाय किया गया समझा जाएगा, यदि:--

(i) **कारबार का अंतरण अन्य व्यक्ति को चालू समुत्थान के रूप में** नहीं होता है; **या**

(ii) **कारबार ऐसे व्यैक्तिक प्रतिनिधि द्वारा** नहीं **चलाया जाता है जिसे कराधेय व्यक्ति समझा जाए ।**

(5) सेवाओं का प्रदाय--

निम्नलिखित को सेवा का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) स्थावर संपत्ति को किराए पर देना ;

(ख) जहाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समापन प्रमाण पत्र, जहाँ अपेक्षित हो, के जारी होने या इसके प्रथम आधिपत्य, जो भी पहले हो, के पश्चात संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त होता है के सिवाय, पुर्णतः या अंशतः किसी क्रेता को बिक्रय हेतु आशयित किसी परिसर या भवन समेत किसी परिसर, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग का संनिर्माण ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए--

(1) अभिव्यक्ति "सक्षम प्राधिकारी" से सरकार या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन समापन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण की ओर से ऐसा प्रमाणपत्र गैर अपेक्षित होने की दशा में, निम्नलिखित किन्ही में से, अर्थात्:--

(i) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुविद् परिषद् के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई वास्तुविद् ; या

(ii) इंजिनियरी संस्थान (भारत) के साथ रजिस्ट्रीकृत कोई चार्टर्ड इंजिनियर ; या

(iii) क्रमश: शहर या कस्बा या गांव का स्थानीय निकाय या विकास या योजना प्राधिकरण का कोई अनुज्ञप्त सर्वेक्षक ;

(2) अभिव्यक्ति "सन्निर्माण" जिसके अंतर्गत किसी विद्यमान सिविल संरचना में अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या पुन: प्रतिरूपण, है ;

(ग) किसी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति देना या अस्थाई अंतरण करना ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, क्रमादेशन, अनुकूलन, उन्नति, वृद्धि, क्रियान्वयन ;

(ङ) किसी कार्य से विरत होने की बाध्यता को मंजूरी देना या किसी कार्य या किसी स्थिति को सहन करना या किसी कार्य का करना ; और

(च) किसी प्रयोजन के लिए नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए (चाहे किसी विनिर्दिष्ट अविधि के लिए हो या नहीं) किसी माल को उपयोग करने के अधिकार का कोई अंतरण ।

6. संयुक्त प्रदाय--

निम्नलिखित संयुक्त प्रदायों को सेवाओं का प्रदाय माना जाएगा, अर्थात्:--

(क) धारा 2 के खंड (119) में यथा परिभाषित कार्य संविदा ; और

(ख) ऐसे माल का, जो मानव उपभोग के लिए खाद्य या कोई अन्य वस्तु है या किसी पेय (मानव उपभोग हेतु मादक शराब के अतिरिक्त) किसी सेवा के रूप में या उसके भाग रूप में या किसी अन्य रीति से, कोई भी हो, कोई प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है।

7. माल का प्रदाय--

निम्नलिखित को माल के प्रदाय के रूप में माना जाएगा, अर्थात् :--

किसी अनिगमित संगम या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय ।

अनुसूची 3

[धारा 7 देखें]

क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

1. किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के संबंध में या उसके अनुक्रम में नियोजक को दी गयी **सेवाएं ।**

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दी गयी **सेवाएं ।**

3. (क) संसद सदस्यों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, पंचायतों के सदस्यों, नगरपालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा पालन किए गए कृत्य ;

(ख) संविधान के उपबंधों के अनुसरण में किसी पद को धारण किए हुए किसी व्यक्ति द्वारा उस हैसियत में पालन किए गए कर्तव्य ; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी निकाय में किसी व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य या निदेशक के रूप में दी गयी सेवायें **और जिसे इस खंड के प्रारंभ से पूर्व किसी कर्मचारी के रूप में न समझा** गया हो ।

4. अंतिम संस्कार, दफनाना, शवदाहगृह या मुर्दाघर, जिसके अंतर्गत मृतक के परिवहन, की सेवाएं ।

5. भूमि का विक्रय और, अनुसूची-2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अध्यधीन, भवन का विक्रय ।

6. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे ।

स्पष्टीकरण-- कंडिका 2 के प्रयोजन के लिए शब्द "न्यायालय" के अंतर्गत जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

---

8 मई 2017

सं० एल०जी०–01–12/2017/94/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 मई 2017 को अनुमत बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझाा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।